

अध्याय I

राज्य के वित्त का अवलोकन

अध्याय I: राज्य के वित्त का अवलोकन

यह अध्याय 2024–25 के लिए छत्तीसगढ़ के वित्त का एक आशुचित्र प्रदान करता है, जिसमें जनसांख्यिकी, आर्थिक संकेतक और राज्य की राजकोषीय संरचना शामिल है। यह राजस्व और व्यय, ऋण स्तर और राजकोषीय घाटे के रुझानों का विश्लेषण करता है, लगातार असंतुलन और उधार पर निर्भरता को उजागर करता है। अध्याय में उच्च प्रतिबद्ध व्यय, निवेश पर कम रिटर्न आदि जैसे मुद्दों को चिह्नित किया गया है।

1.1 राज्य की रूपरेखा

छत्तीसगढ़, मध्य भारत में मुख्य रूप से कृषि प्रधान राज्य है, जो 1,35,192 वर्ग किमी में फैला हुआ है और इसमें 33 जिले और 20,363 गांव शामिल हैं। 2011 की जनगणना और जुलाई 2020 में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत जनसंख्या अनुमानों पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट **भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमान 2011–2036** के अनुसार, राज्य की जनसंख्या 2025 में 3.09 करोड़, जबकि देश की जनसंख्या 141.33 करोड़ है और जनसंख्या घनत्व 228 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक पहुंचने का अनुमान है। यह खंड राज्य की जनसांख्यिकी, जीएसडीपी और राज्य की प्रति व्यक्ति आय का अवलोकन प्रदान करता है।

1.1.1 राज्य की जनसांख्यिकी

राष्ट्रीय औसत की तुलना में राज्य का जनसांख्यिकीय विवरण नीचे **तालिका 1.1** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.1: राज्य की जनसांख्यिकीय रूपरेखा

(प्रतिशत में)

जनसंख्या	2011 की जनगणना के अनुसार		जनसंख्या पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट के अनुसार (2025 के लिए आंकड़े)	
	राज्य	राष्ट्रीय	राज्य	राष्ट्रीय
ग्रामीण आबादी	76.76	68.86	72.24	64.3
शहरी आबादी	23.24	31.14	27.76	35.7

	छत्तीसगढ़	राष्ट्रीय औसत
जनसंख्या घनत्व (भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमान 2011–36)	228	430
प्रति 1,000 पुरुषों पर लिंग अनुपात (भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमान 2011–36)	994	947
प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर शिशु मृत्यु दर (एसआरएस बुलेटिन सितंबर 2025)	37	25
प्रति लाख महिलाओं पर मातृ मृत्यु दर (भारत में मातृ मृत्यु दर पर एसआरएस बुलेटिन सितंबर 2025)	10	5
कुल प्रजनन दर (एनएफएस-5, 2019–21)	1.82	1.99
जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (एसआरएस आधारित संक्षिप्त जीवन सारणी 2019–23, सितंबर 2025)	64.60	70.30
गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या (प्रतिशत में) (बहुआयामी गरीबी सूचकांक, 2023, नीति आयोग)	16.37	14.95
साक्षरता दर (प्रतिशत में) (आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2023–24)	78.50	80.90

1.1.2 राज्य की अर्थव्यवस्था

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) और प्रति व्यक्ति आय राज्य की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण संकेतक हैं जैसा कि बाद के पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

1.1.2.1 सकल राज्य घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति जीएसडीपी

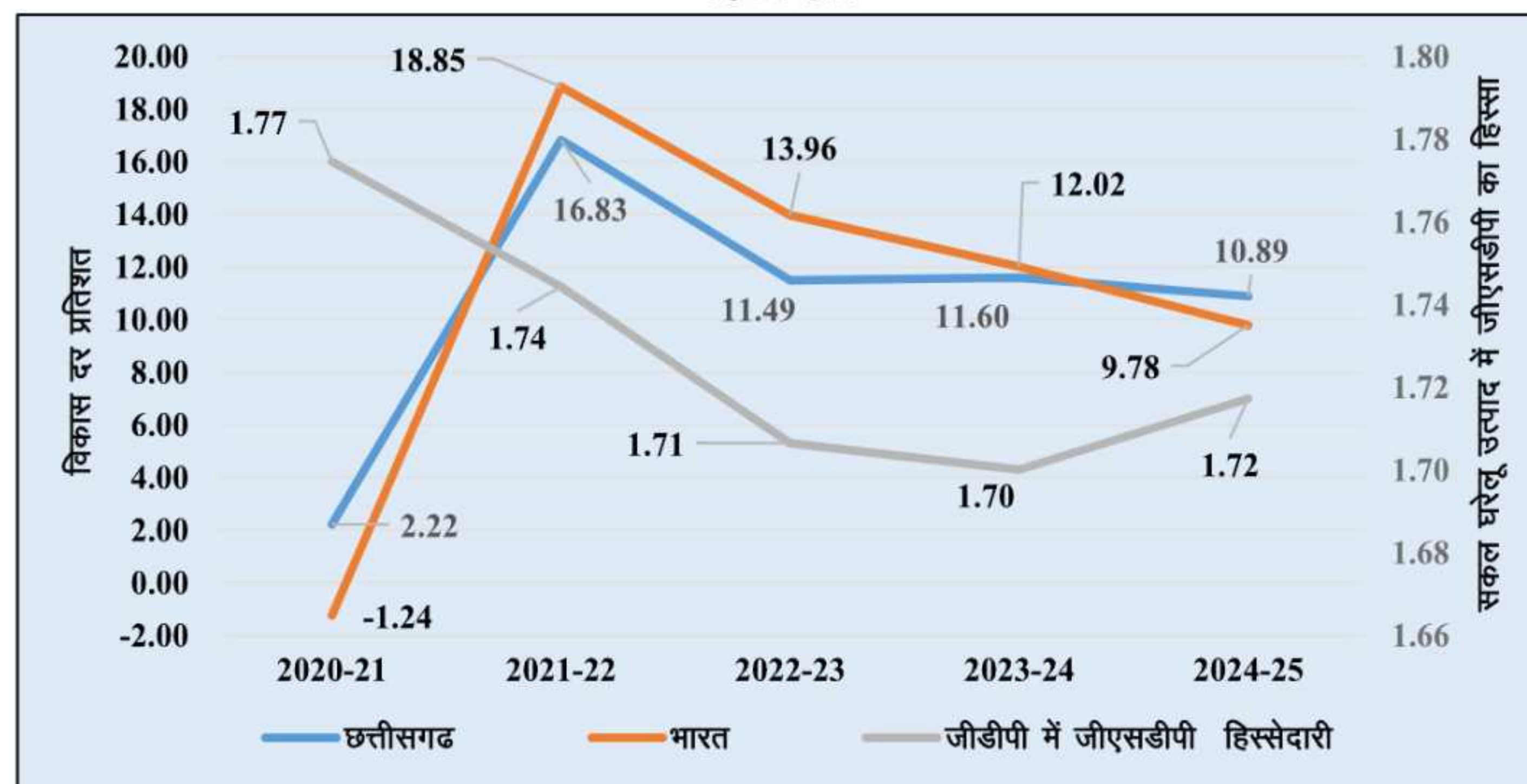
सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) किसी देश के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को संदर्भित करता है, जबकि जीएसडीपी राज्य स्तर पर इसे मापता है, और दोनों आर्थिक विकास और समग्र प्रगति को दर्शाते हैं। जीएसडीपी और जीडीपी के रुझान तालिका 1.2 में दिए गए हैं। जीएसडीपी और जीडीपी की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि और जीडीपी में जीएसडीपी का योगदान चार्ट 1.1 में दिया गया है और देश की प्रति व्यक्ति जीडीपी और राज्य की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी को चार्ट 1.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.2: भारत की जीडीपी की तुलना में जीएसडीपी में रुझान (वर्तमान कीमतों पर)

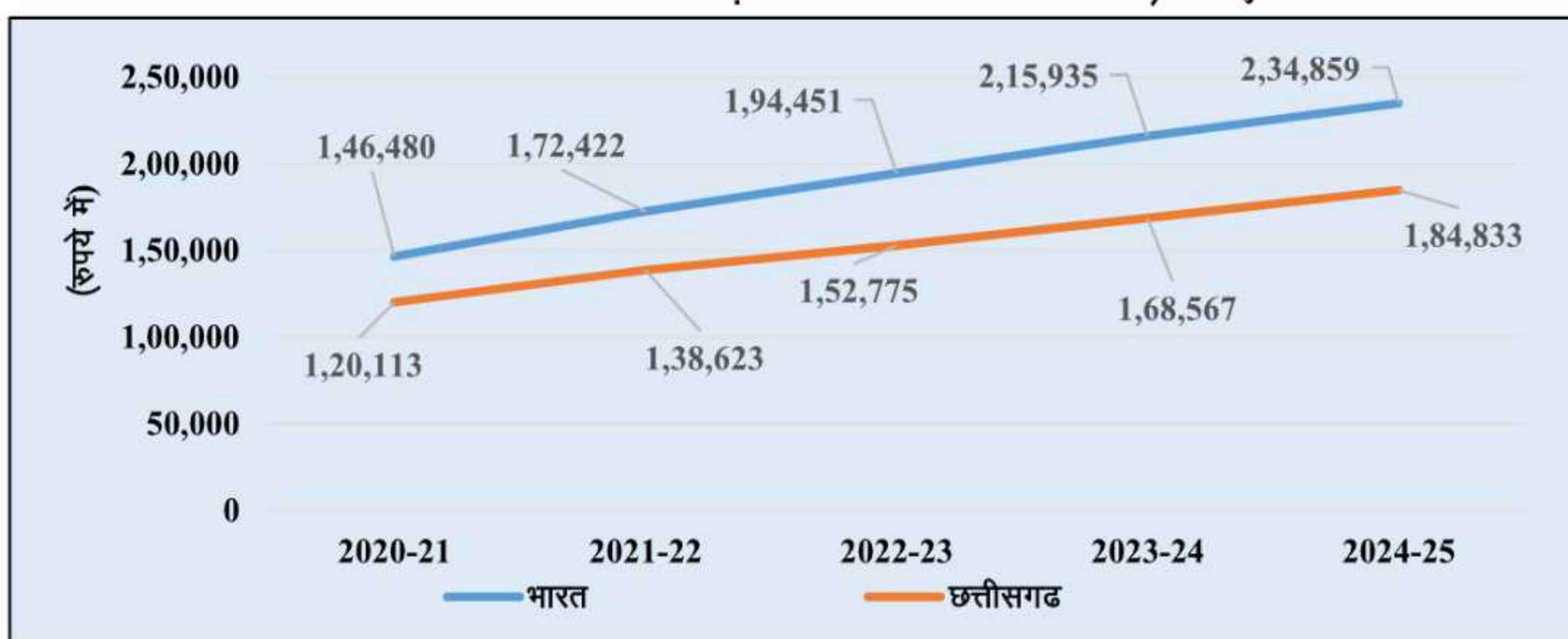
वर्ष	भारत की जीडीपी (₹ करोड़ में)	छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी (₹ करोड़ में)	भारत का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (₹ में)	छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (₹ में)
2015-16	1,37,71,874	2,25,163	1,07,341	81,907
2016-17	1,53,91,669	2,62,802	1,18,489	94,083
2017-18	1,70,90,042	2,82,737	1,30,061	99,612
2018-19	1,88,99,668	3,27,107	1,42,424	1,13,413
2019-20	2,01,03,593	3,44,672	1,49,915	1,19,066
2020-21	1,98,54,096	3,52,328	1,46,480	1,20,113
2021-22	2,35,97,399	4,11,613	1,72,422	1,38,623
2022-23	2,68,90,473	4,58,891	1,94,451	1,52,775
2023-24	3,01,22,956	5,12,107	2,15,935	1,68,567
2024-25	3,30,68,145	5,67,880	2,34,859	1,84,833

स्रोत: एनएसओ (एमओएसपीआई) और आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, छत्तीसगढ़

चार्ट 1.1: जीडीपी और जीएसडीपी में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि और जीडीपी में जीएसडीपी की हिस्सेदारी



चार्ट 1.2: भारत और छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति जीडीपी/जीएसडीपी



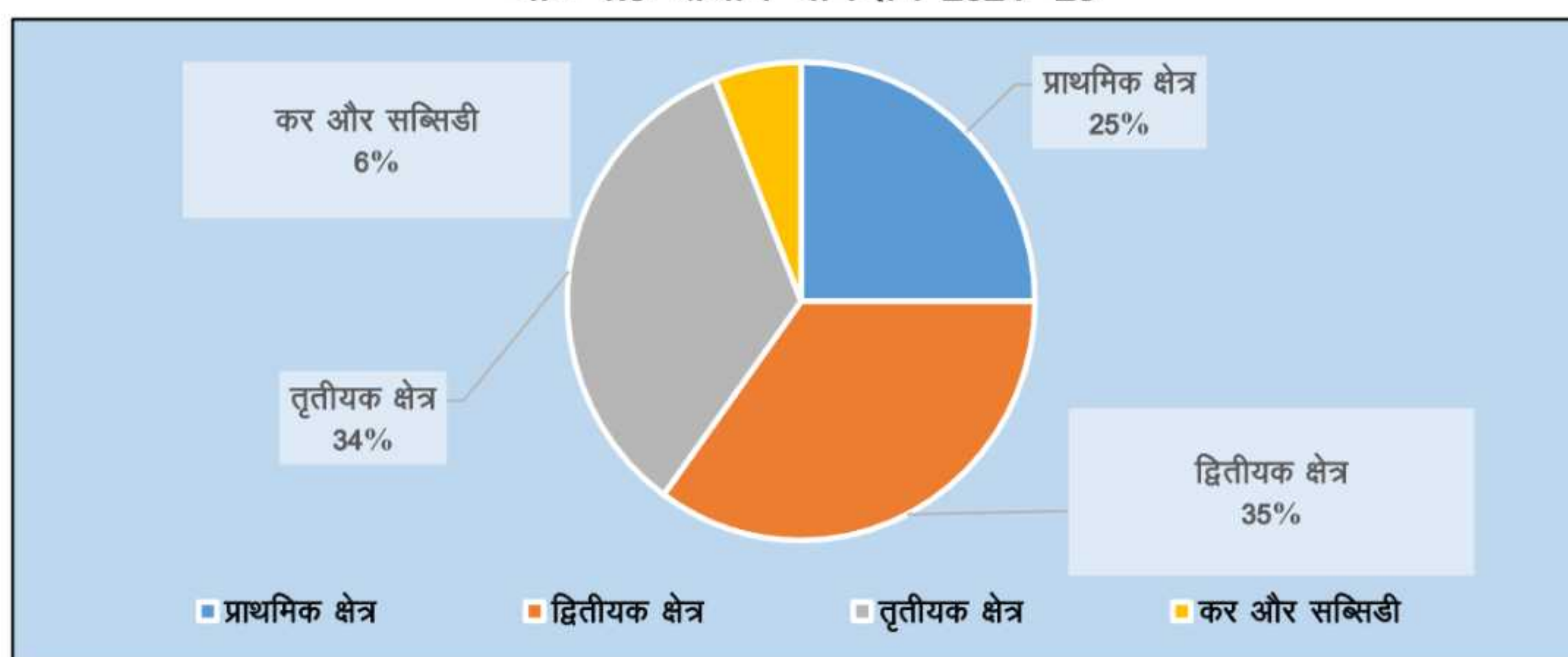
वर्ष 2024–25 के दौरान छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी की विकास दर (10.89 प्रतिशत) भारत की जीडीपी की विकास दर (9.78 प्रतिशत) से अधिक थी, जबकि पिछले तीन वर्षों 2021–24 की अवधि में छत्तीसगढ़ की विकास दर भारत की विकास दर से कम रही। राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में राज्य की हिस्सेदारी में पिछले पांच वर्षों में मामूली गिरावट देखी गई, जो 2020–21 में 1.77 प्रतिशत से गिरकर 2024–25 में 1.72 प्रतिशत हो गई। यह इंगित करता है कि यद्यपि राज्य की अर्थव्यवस्था निरपेक्ष रूप से बढ़ रही है, लेकिन समग्र राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की तुलना में इसकी विकास गति थोड़ी धीमी रही है।

जीएसडीपी के संदर्भ में पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य के अलावा 18 राज्यों में से, छत्तीसगढ़ राज्य पड़ोसी राज्यों ओडिशा, मध्य प्रदेश की तुलना में कम जीएसडीपी के साथ 16वें स्थान पर है, जबकि झारखंड की तुलना में जीएसडीपी अधिक है। प्रति व्यक्ति जीएसडीपी के संदर्भ में, छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश और झारखंड राज्य की तुलना में प्रति व्यक्ति जीएसडीपी के साथ 13 वें स्थान पर है, जबकि ओडिशा की तुलना में प्रति व्यक्ति जीएसडीपी कम है।

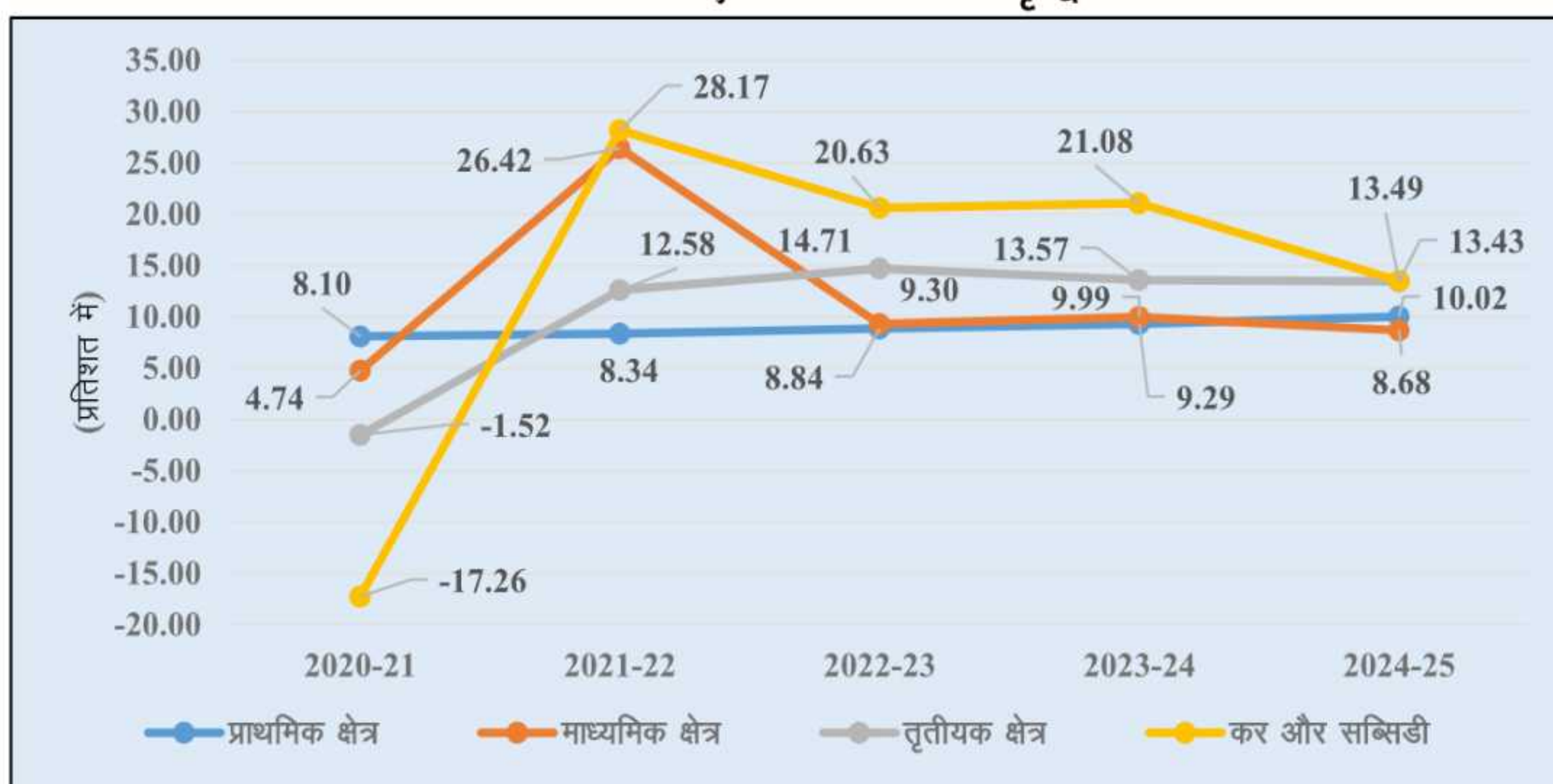
1.1.2.2 जीएसडीपी में क्षेत्रीय योगदान

वर्ष 2024–25 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों द्वारा क्षेत्रीय योगदान और पिछले पांच वर्षों के दौरान जीएसडीपी में क्षेत्रीय वृद्धि को क्रमशः चार्ट 1.3 और चार्ट 1.4 में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.3: क्षेत्रीय योगदान 2024–25

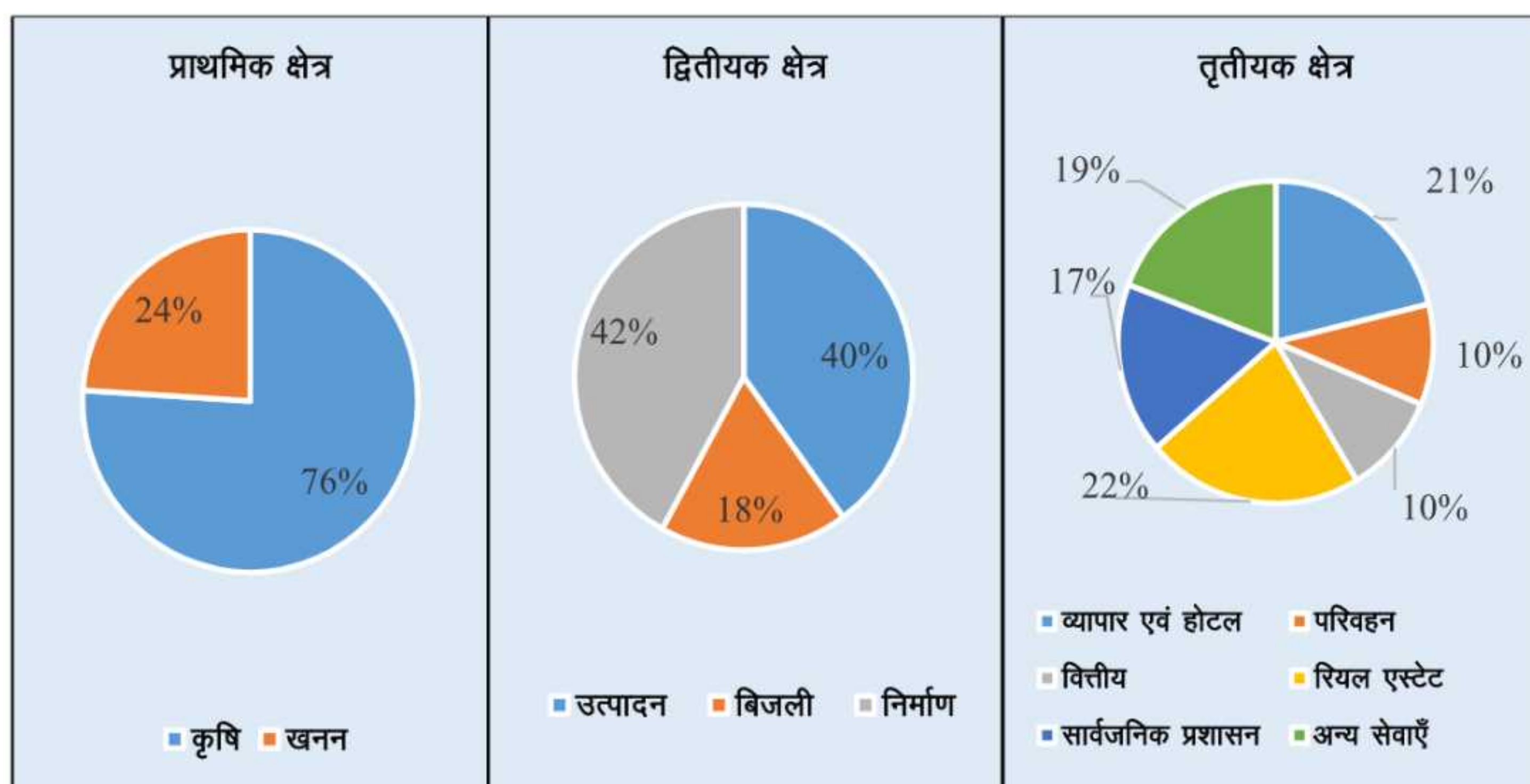


चार्ट 1.4 जीएसडीपी में क्षेत्रीय वृद्धि



चार्ट 1.5 वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान प्रत्येक क्षेत्र की संरचना को उसके प्रमुख योगदान देने वाले खंडों के संदर्भ में दर्शाता है।

चार्ट 1.5: क्षेत्रवार वितरण, वर्ष 2024-25



स्रोत: आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, छत्तीसगढ़

द्वितीयक क्षेत्र सबसे बड़ा योगदानकर्ता बना रहा, जबकि तृतीयक क्षेत्र ने उच्चतम विकास दर दर्ज की और प्राथमिक क्षेत्र ने विकास दर में लगातार वृद्धि के साथ अपेक्षाकृत स्थिर हिस्सेदारी बनाए रखी।

1.1.3 वित्त का आशुचित्र

तालिका 1.3 वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य शासन के वास्तविक वित्तीय परिणामों के साथ-साथ वर्ष 2024-25 के लिए बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान (आरई) और जीएसडीपी का विवरण दिखाती है।

तालिका 1.3: वित्त का आशुचित्र

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	घटक	2023-24 (वास्तविक)	2024-25 (बीई)	2024-25 (आरई)	2024-25 (वास्तविक)	वास्तविक आंकड़े बजट अनुमान का प्रतिशत	वास्तविक आंकड़े जीएसडीपी का प्रतिशत
1	कर राजस्व	77,268.10	93,700.00	90,200.00	88,609.16	94.57	15.60
(i)	स्वयं का कर राजस्व	38,786.22	49,700.00	46,200.00	44,764.99	90.07	7.88
(ii)	केंद्रीय करों और शुल्कों का हिस्सा	38,481.88	44,000.00	44,000.00	43,844.17	99.65	7.72
2	करेत्तर राजस्व	15,147.97	18,700.00	17,500.00	17,420.52	93.16	3.07
3	सहायता अनुदान और योगदान	11,092.13	13,500.00	13,500.00	14,260.67	105.63	2.51
4	राजस्व प्राप्तियां (1+2+3)	1,03,508.20	1,25,900.00	1,21,200.00	1,20,290.35	95.54	21.18
5	ऋण और अग्रिमों की वसूली	25.61	150.00	150.00	23.42	15.61	0.00
6	अन्य प्राप्तियां	5.01	0.00	0.00	4.81	—	0.00
7	उधार और अन्य देनदारिया*	26,933.04	19,695.63	29,350.00	25,447.40	129.20	4.48
8	पूंजीगत प्राप्तियां (5+6+7)	26,963.66	19,845.63	29,500.00	25,475.63	128.37	4.49
9	कुल प्राप्तियां (4+8)	1,30,471.86	1,45,745.63	1,50,700.00	1,45,765.98	100.01	25.67
10	राजस्व व्यय	1,14,740.96	1,24,840.01	1,28,406.00	1,25,389.82	100.44	22.08
11	ब्याज भुगतान	6,798.34	7,851.01	9,015.24	8,952.35	114.03	1.58
12	पूंजीगत व्यय	15,418.93	22,300.02	22,994.00	20,054.62	89.93	3.53
13	ऋण और अग्रिम	311.96	305.60	300.00	321.55	105.22	0.06
14	कुल व्यय (10+12+13)	1,30,471.85	1,47,445.63	1,51,700.00	1,45,765.99	98.86	25.67
15	राजस्व आधिक्य (+)/ घाटा (-) (4-10)	-11,232.76	1,059.99	-7,206.00	-5,099.47 ¹	-481.09	-0.90
16	राजकोषीय आधिक्य (+)/ घाटा (-) [(4+5+6)-14]	-26,933.03	-19,695.63	-29,350.00	-25,447.41	129.20	-4.48
17	प्राथमिक आधिक्य (+)/ घाटा (-) (16-11)	-20,134.69	-11,844.62	-20,334.76	-16,495.06	139.26	-2.90

स्रोत: वित्त लेखे

* उधार और अन्य देनदारियां: लोक ऋण का निवल (प्राप्तियां - संवितरण) + आकस्मिकता निधि का निवल + लोक लेखा का निवल (प्राप्तियां - संवितरण) + प्रारम्भिक एवं अंतिम रोकड़ शेष का निवल।

वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 के लिए राज्य सरकार के वित्त का विवरण **परिशिष्ट 1.1** में दिया गया है।

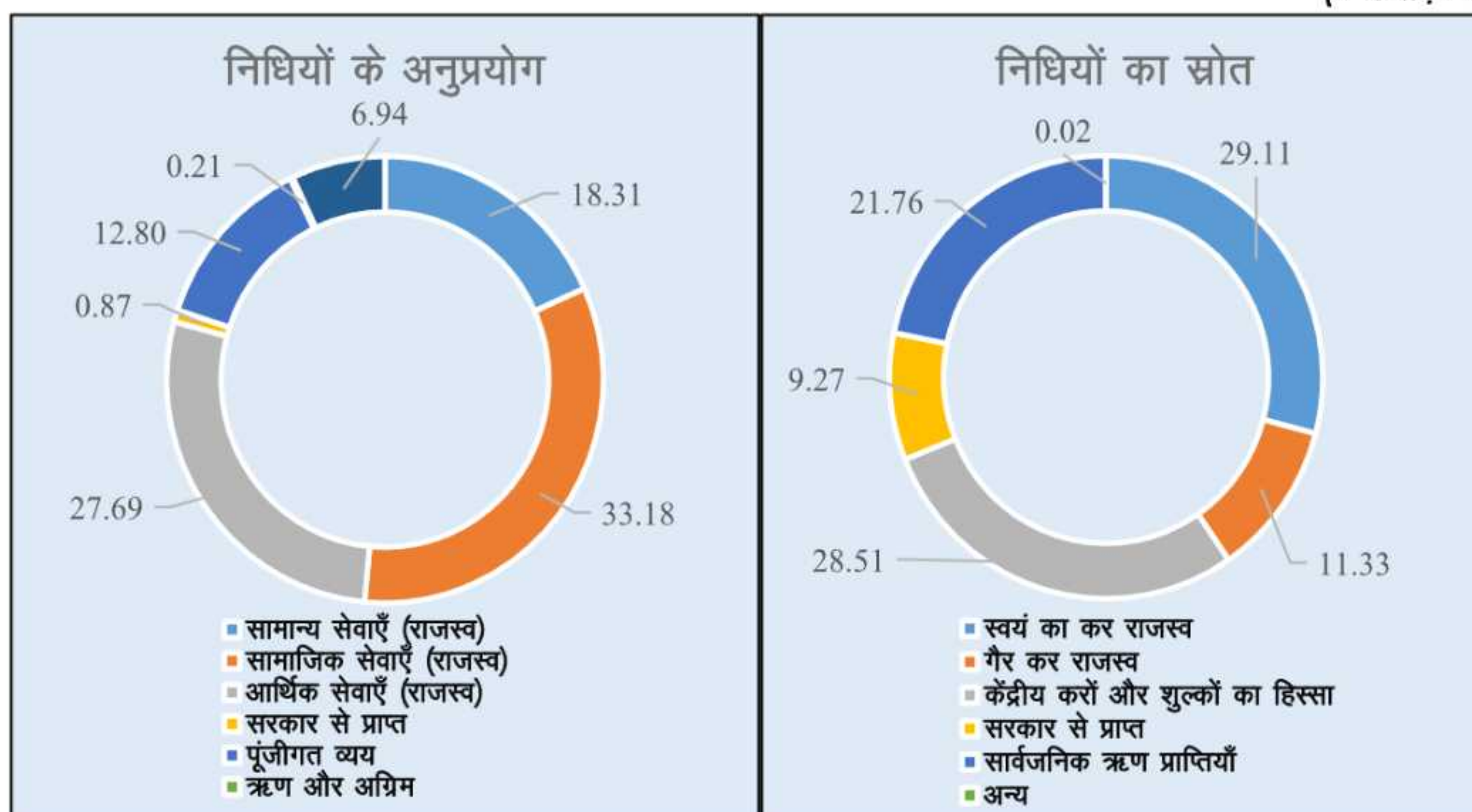
¹ लेखापरीक्षा के बाद समायोजित राजस्व घाटा ₹ 10,245.83 करोड़ रुपये है।

1.1.4 धन के स्रोत और अनुप्रयोग

चालू वर्ष के दौरान राज्य के स्रोतों और निधियों के अनुप्रयोग के घटकों की तुलना चार्ट 1.6 में दी गई है।

चार्ट 1.6: वर्ष 2024-25 के दौरान समेकित निधि के अंतर्गत प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण

(₹ करोड़ में)



स्रोत: वित्त लेखे

परिशिष्ट 1.2 में प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण दिया गया है और चालू वर्ष के साथ-साथ पिछले वर्ष के दौरान राज्य की समग्र वित्तीय स्थिति भी दी गई है।

1.1.5 शासकीय परिसंपत्तियाँ एवं देनदारियों का आशुचित्र

शासकीय लेखे में सरकार की वित्तीय देनदारियों और किए गए व्यय से सृजित परिसंपत्तियों का पता लगाया जाता है। **परिशिष्ट 1.3** पिछले वर्ष की संबंधित स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2025 तक ऐसी देनदारियों और परिसंपत्तियों का सार देता है। देनदारियों में मुख्य रूप से आंतरिक ऋण, भारत सरकार से ऋण और अग्रिम, सार्वजनिक खाते से प्राप्तियाँ और आरक्षित निधियाँ शामिल हैं। परिसंपत्तियों में मुख्य रूप से पूँजीगत व्यय, और राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम और नकद शेष शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए परिसंपत्तियों और देनदारियों की संक्षिप्त स्थिति **तालिका 1.4** में दी गई है।

तालिका 1.4: परिसंपत्तियों और देनदारियों की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

देनदारियाँ					संपत्ति				
		2023-24	2024-25	प्रतिशत वृद्धि/कमी			2023-24	2024-25	प्रतिशत वृद्धि/कमी
संचित निधि									
अ	आंतरिक ऋण	95,140.18	1,11,559.54	17.26	अ	सकल पूँजी व्यय	1,41,142.72	1,61,364.52	14.33
ब	भारत सरकार से ऋण और अग्रिम	18,747.37	18,953.85	1.10	ब	ऋण और अग्रिम	1,664.85	1,949.08	17.07

आकस्मिकता निधि		100.00	100.00	0.00			13.47	37.42	177.80
लोक लेखा									
अ	लघु बचत, प्रोविडेंट फंड, आदि।	10,848.71	12,529.16	15.49	अ	विभागीय अधिकारियों के साथ अग्रिम कार्यवाही	7.10	7.10	0.00
ब	जमा	6,405.35	6,752.32	5.42	ब	प्रेषण	351.50	2,138.69	508.45
स	आरक्षित निधि	10,694.70	12,818.53	19.86	स	सस्पेंस और विविध	0.00	0.00	—
द	प्रेषण	0.00	0.00	—	नकद शेष (निर्धारित निधियों में निवेश सहित)		13,797.24	13,368.36	—3.11
ई	सस्पेंस और विविध	181.93	268.21	47.42	कुल		1,56,976.88	1,78,865.17	13.94
					राउंडिंग—ऑफ के कारण अंतर		0.00	0.01	—
					राजस्व खाते में घाटा		—14,858.64	—15,883.57	6.90
	कुल	1,42,118.24	1,62,981.61	14.68			1,42,118.24	1,62,981.61	14.68

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

1.2 राज्य की संचित निधि

राज्य शासन द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राज्य शासन द्वारा उठाए गए सभी ऋण, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिम और ऋणों की अदायगी में राज्य शासन द्वारा प्राप्त सभी धन राज्य की संचित निधि का हिस्सा है।

1.2.1 राजस्व प्राप्तियां

दस वर्ष की अवधि (2015–25) में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के संबंध में राजस्व प्राप्तियों के रुझान और वृद्धि को तालिका 1.5 में दिखाया गया है।

तालिका 1.5: राजस्व प्राप्तियों में रुझान

(₹ करोड़ में)

पैरामीटर	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20
राजस्व प्राप्तियां	46,068	53,685	59,647	65,095	63,869
कर राजस्व	32,791	37,754	40,649	44,886	42,324
स्वयं का कर राजस्व	17,075	18,945	19,895	21,427	22,118
केन्द्रीय कर एवं शुल्क में राज्यांश	15,716	18,809	20,755	23,459	20,206
करेत्तर राजस्व	5,215	5,669	6,340	7,703	7,934
भारत सरकार से अनुदान सहायता	8,062	10,262	12,657	12,506	13,611
स्वयं के राजस्व (स्वयं के कर राजस्व एवं करेत्तर राजस्व)	22,290	24,614	26,235	29,130	30,052
जीएसडीपी (2011–12 श्रृंखला)	2,25,163	2,62,802	2,82,737	3,27,107	3,44,672
वर्ष-दर-वर्ष विकास दर (प्रतिशत में)					
राजस्व प्राप्तियां	21.27	16.54	11.11	9.13	—1.88
स्वयं के राजस्व	8.01	10.43	6.58	11.04	3.16

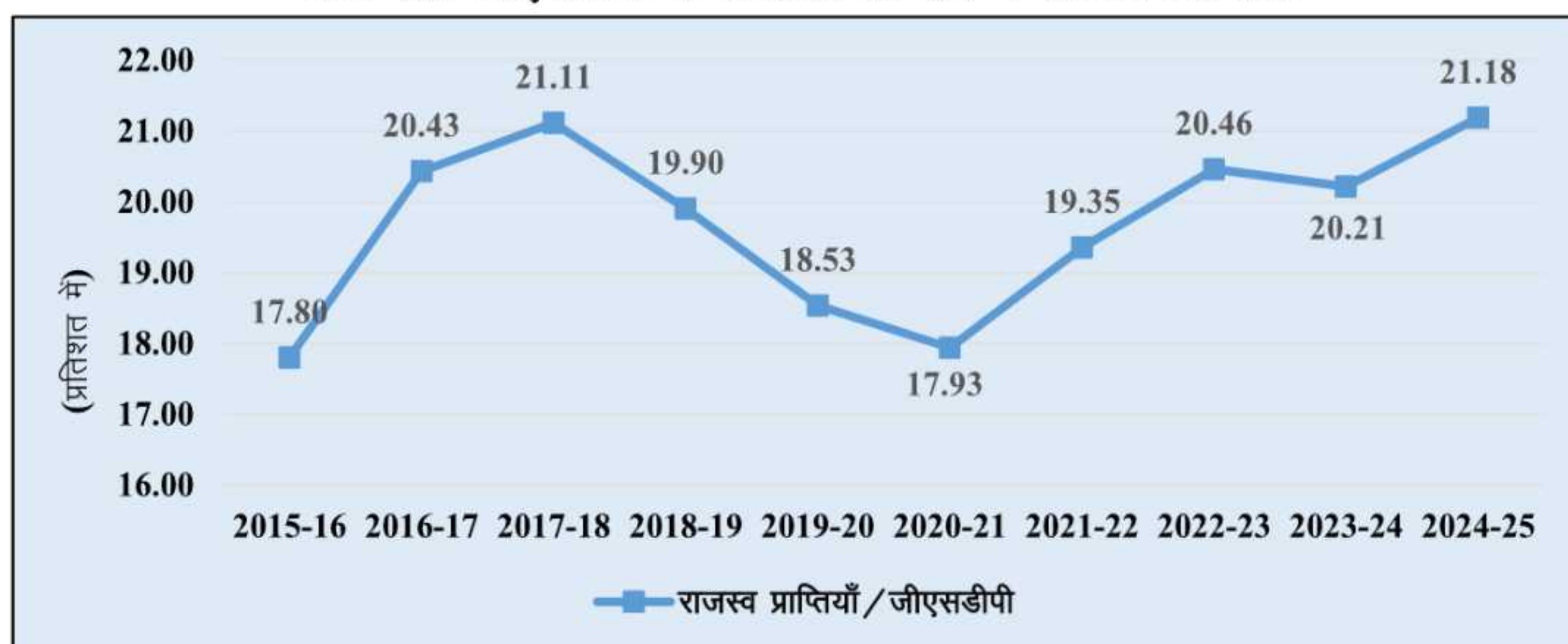
जीएसडीपी	1.83	16.72	7.59	15.69	5.37
उत्प्लावकता अनुपात					
जीएसडीपी के संदर्भ में राज्य के स्वयं के राजस्व उत्प्लावकता	4.38	0.62	0.87	0.70	0.59
पैरामीटर	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
राजस्व प्राप्तियां	63,176	79,652	93,877	1,03,508	1,20,290
कर राजस्व	43,227	55,655	65,481	77,268	88,609
स्वयं का कर राजस्व	22,889	27,084	33,122	38,786	44,765
केन्द्रीय कर एवं शुल्क में राज्यांश	20,338	28,571	32,358	38,482	43,844
करेत्तर राजस्व	7,137	13,851	15,248	15,148	17,421
भारत सरकार से अनुदान सहायता	12,812	10,146	13,148	11,092	14,261
स्वयं के राजस्व (स्वयं के कर राजस्व एवं करेत्तर राजस्व)	30,026	40,935	48,371	53,934	62,186
जीएसडीपी (2011-12 श्रृंखला)	3,52,328	4,11,613	4,58,891 ^{प्रा}	5,12,107 ^{त्व}	5,67,880 ^अ
वर्ष-दर-वर्ष विकास दर (प्रतिशत में)					
राजस्व प्राप्तियां	-1.08	26.08	17.86	10.26	16.21
स्वयं के राजस्व	-0.08	36.33	18.16	11.50	15.30
जीएसडीपी	2.22	16.83	11.49	11.60	10.89
उत्प्लावकता अनुपात					
जीएसडीपी के संदर्भ में राज्य के स्वयं के राजस्व उत्प्लावकता	—*	2.16	1.58	0.99	1.40

स्रोत: राजस्व प्राप्तियों के लिए वित्त लेखे और जीएसडीपी आंकड़ों के लिए आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, छत्तीसगढ़। अ-अग्रिम अनुमान त्व-त्वरित अनुमान प्रा-प्रावधिक अनुमान

*नकारात्मक वृद्धि दर के कारण उत्प्लावन अनुपात की गणना नहीं की जा सकती।

जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियां और राजस्व प्राप्तियों में विभिन्न स्रोतों से योगदान चार्ट 1.7 और चार्ट 1.8 में दिया गया है।

चार्ट 1.7: जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियां



स्रोत: राजस्व प्राप्तियों के लिए वित्त लेखे और जीएसडीपी के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित आंकड़े

चार्ट 1.8: राजस्व प्राप्तियों में योगदान

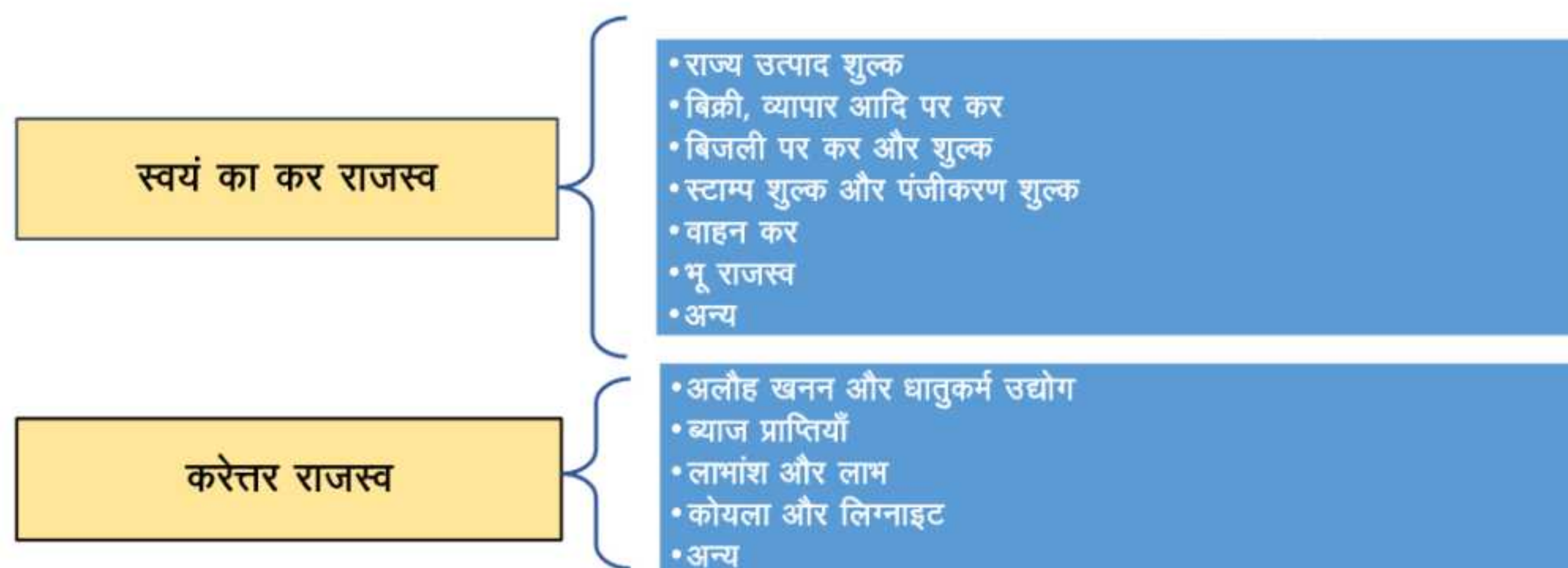


स्रोत: राजस्व प्राप्तियों के लिए वित्त लेखे और जीएसडीपी के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित आंकड़े

वित्त वर्ष 2020-21 और 2023-24 को छोड़कर पिछले पांच वर्षों में राजस्व प्राप्तियों की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर जीएसडीपी से अधिक हो गई है, जो राज्य के राजकोषीय लचीलेपन को उजागर करती है। पिछले दस वर्षों के दौरान राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि का मुख्य कारण भारत सरकार से सहायता अनुदान पर निर्भरता बढ़ने के बजाय राज्य के करेत्तर राजस्व की बढ़ती हिस्सेदारी और केंद्रीय करों और शुल्कों में राज्यांश को दिया जा सकता है, जो अनुदान पर राज्य की घटती निर्भरता और राजकोषीय स्वायत्तता और स्थिरता पर इसके परिणामी प्रभाव को दर्शाता है। पिछले पांच वर्षों में से तीन में से एक से अधिक सकारात्मक स्वयं के राजस्व उत्प्लावकता से संकेत मिलता है कि राज्य की स्वयं की राजस्व प्राप्तियां जीएसडीपी की वृद्धि दर की तुलना में उच्च गति से बढ़ रही हैं।

I. राज्य के स्वयं के संसाधन

चार्ट 1.9: राज्य के स्वयं के राजस्व का विवरण



(i) स्वयं का कर राजस्व

स्वयं का कर राजस्व राज्य शासन द्वारा करों के माध्यम से एकत्र किया गया राजस्व है जिसे संविधान के तहत लगाने का अधिकार है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वास्तविक, वित्त वर्ष

2024-25 के लिए बजट अनुमान (बीई), पुनरीक्षित अनुमान (आरई), और स्वयं के कर राजस्व की वास्तविक तालिका 1.6 में दी गई है।

तालिका 1.6: स्वयं का कर राजस्व 2023-24 (वास्तविक) और 2024-25 (बीई, आरई और वास्तविक)

(₹ करोड़ में)

कर राजस्व	2023-24 (वास्तविक)	2024-25 (बीई)	2024-25 (आरई)	2024-25 (वास्तविक)
राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी)	13,793.29	17,446.36	16,919.41	16,298.59
राज्य उत्पाद शुल्क	8,430.41	11,000.00	10,500.00	10,141.84
भू-राजस्व	847.80	1,200.00	1,000.00	819.04
स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क	2,494.18	2,800.00	3,200.00	2,968.94
वाहनों पर कर	2,048.20	2,200.00	2,500.00	2,317.99
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	6,513.48	9,960.00	6,489.70	6,880.33
विद्युत कर तथा शुल्क	4,584.76	5,000.00	5,500.00	5,063.24
अन्य ²	74.10	93.64	90.89	275.02
कुल	38,786.22	49,700.00	46,200.00	44,764.99

स्रोत: राज्य के वित्त लेखे और बजट दस्तावेज

स्वयं के कर राजस्व और इसके घटकों की प्रवृत्ति क्रमशः चार्ट 1.10 और चार्ट 1.11 में दिखाए गए हैं।

चार्ट 1.10: वित्त वर्ष 2015-16 से 2024-25 के दौरान स्वयं के कर राजस्व की प्रवृत्ति

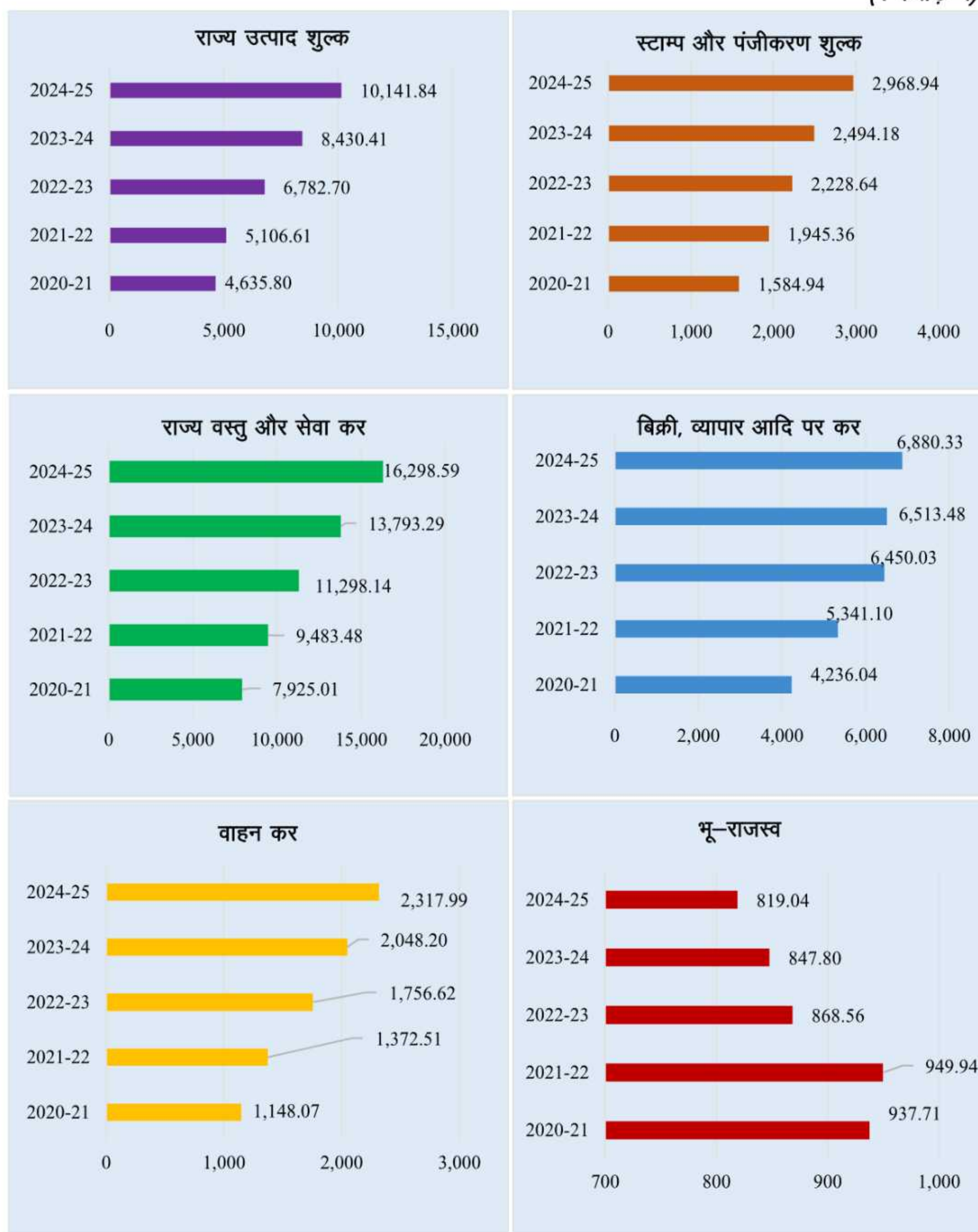


स्रोत: वित्त लेखे

² इसमें माल और यात्रियों पर लगने वाले कर, होटल प्राप्ति कर और आय और व्यय पर लगने वाले अन्य कर शामिल हैं।

चार्ट 1.11: राज्य के स्वयं के कर राजस्व के प्रमुख घटक

(₹ करोड़ में)





स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

➤ राज्य के स्वयं के कर राजस्व में 2020-21 में ₹ 22,889.20 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹ 44,764.99 करोड़ हो गया, जो कि ₹ 21,875.79 करोड़ (95.57 प्रतिशत) की उल्लेखनीय वृद्धि है। चालू वर्ष में, पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व में ₹ 5,978.77 करोड़ (15.41 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) से प्राप्त होने वाली अधिक आय (₹ 2,505.30 करोड़), राज्य उत्पाद शुल्क (₹ 1,711.43 करोड़) और बिजली पर कर एवं शुल्क (₹ 478.48 करोड़) है।

➤ राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) में वृद्धि मुख्य रूप से आईजीएसटी के विभाजन के तहत प्राप्ति में वृद्धि के कारण हुई – एसजीएसटी में कर घटक का हस्तांतरण (0006-106)।

➤ राज्य उत्पाद शुल्क में वृद्धि कंट्री स्पिरिट (0039-101) की प्राप्ति के तहत वृद्धि के कारण हुई थी।

➤ वर्ष 2024-25 में कुल ₹ 44,764.99 करोड़ के स्वयं के कर राजस्व में से, राज्य वस्तु एवं सेवा कर का हिस्सा सबसे अधिक 36 प्रतिशत था, उसके बाद राज्य उत्पाद शुल्क 23 प्रतिशत और बिक्री, व्यापार आदि पर कर 15 प्रतिशत था।

(ii) करेत्तर राजस्व

किसी राज्य का करेत्तर राजस्व करों के अलावा अन्य स्रोतों से राज्य शासन के किराया, शुल्क, रॉयल्टी और अन्य प्राप्तियों को संदर्भित करता है।

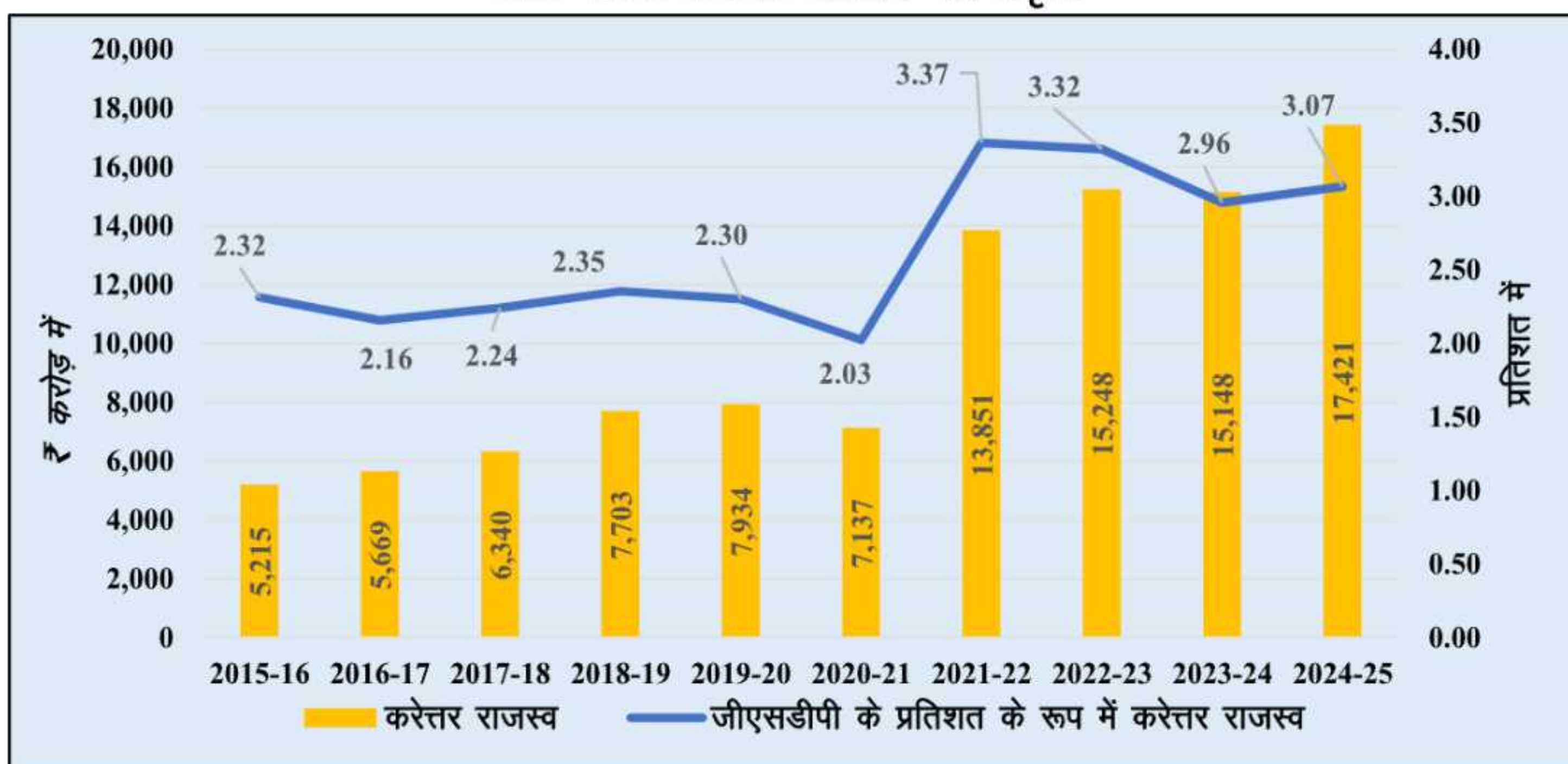
वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वास्तविक और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट अनुमान (बीई), पुनरीक्षित अनुमान (आरई) और करेत्तर राजस्व की वास्तविक तालिका 1.7 में दी गई है।

तालिका 1.7: प्रमुख करेत्तर राजस्व 2023-24 (वास्तविक) और 2024-25 (बीई, आरई और वास्तविक)

करेत्तर राजस्व	2023-24 (वास्तविक)	2024-25 (बीई)	(₹ करोड़ में)	
			2023-24 (आरई)	2024-25 (वास्तविक)
ब्याज प्राप्तियां	175.16	263.15	352.06	348.08
लाभांश और लाभ	3.84	8.13	7.71	1.49
उपयोगकर्ता शुल्क	523.55	1106.71	871.23	691.58
अन्य	14,445.42	17,322.01	16,269.00	16,379.37
कुल	15,147.97	18,700.00	17,500.00	17,420.52

वर्ष 2015-16 से 2024-25 की अवधि के दौरान करेतर राजस्व और इसके घटकों की प्रवृत्ति क्रमशः चार्ट 1.12 और चार्ट 1.13 में दिखाए गए हैं।

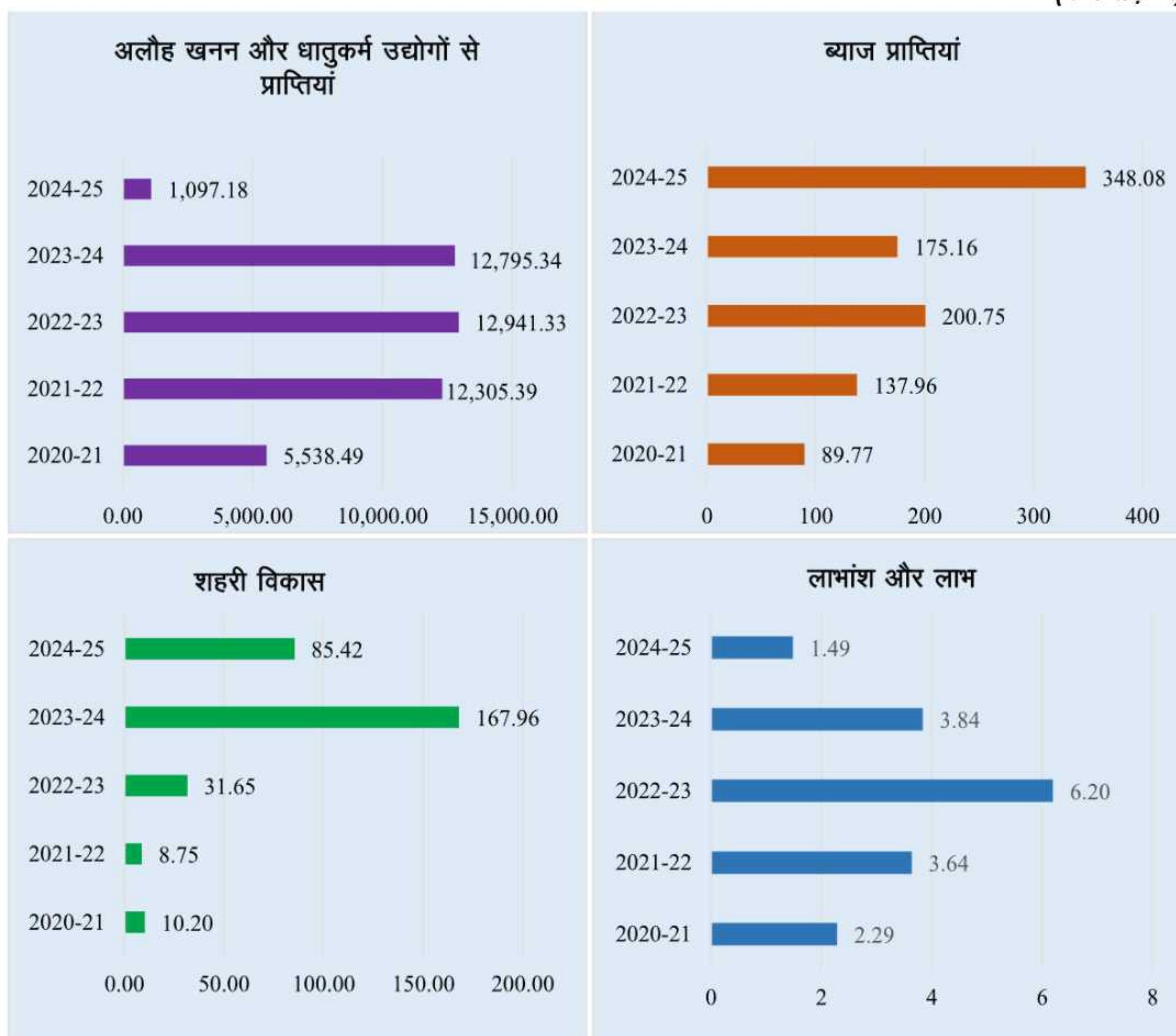
चार्ट 1.12: करेतर राजस्व की प्रवृत्ति

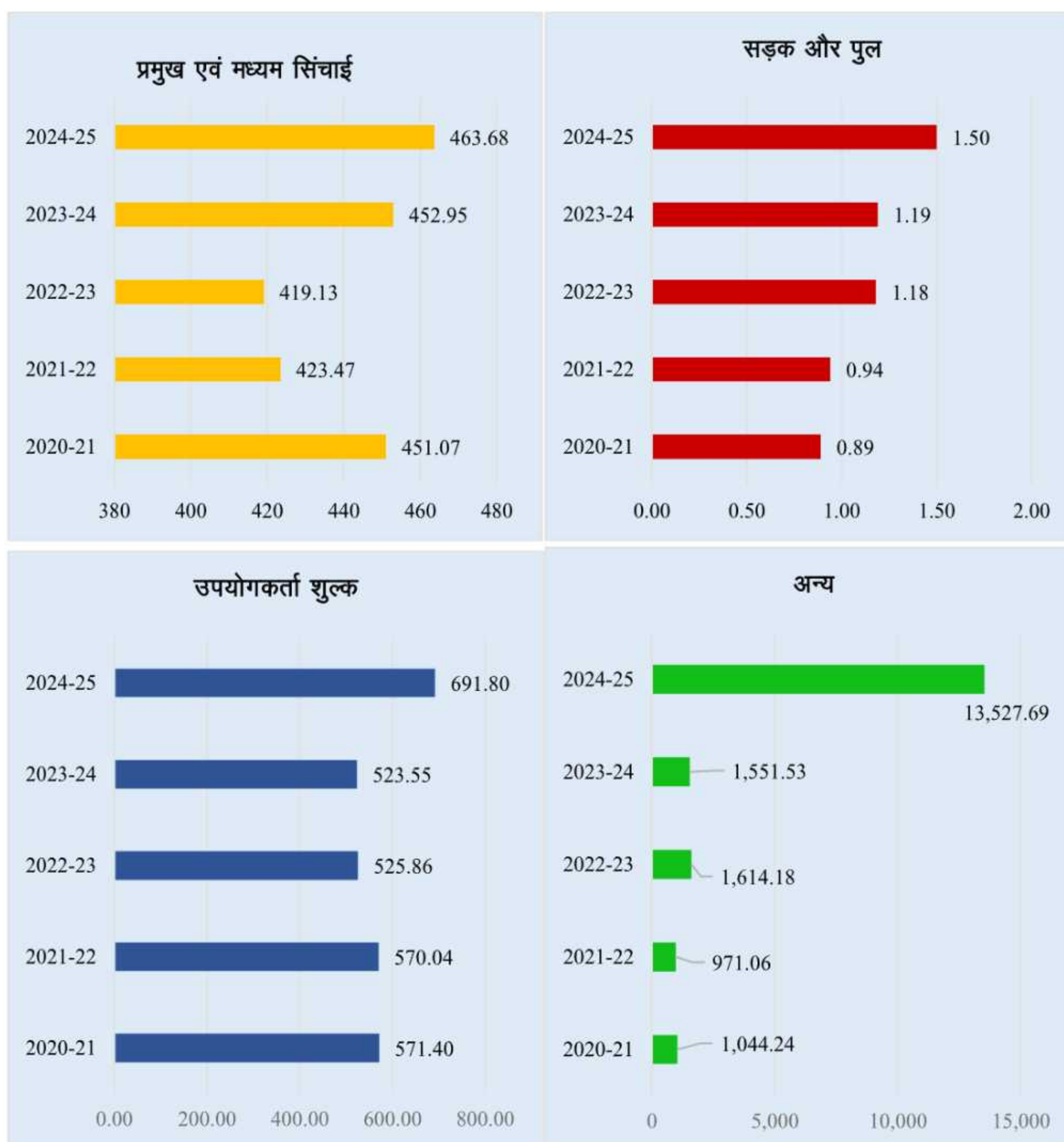


स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 1.13: राज्य के करेतर राजस्व के प्रमुख घटक

(₹ करोड़ में)





स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2024-25 के दौरान, पिछले वर्ष की तुलना में कुल करेत्तर राजस्व में ₹ 2,272.55 करोड़ (15 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जो मुख्य रूप से ब्याज प्राप्तियों में ₹ 172.92 करोड़ और अन्य करेत्तर प्राप्तियों में ₹ 933.95 करोड़ की वृद्धि के कारण थी। अन्य करेत्तर प्राप्तियों में वृद्धि मुख्य रूप से उद्योगों (₹ 8,357.25 करोड़) और कोयला और लिग्नाइट (₹ 5,143.96 करोड़) के तहत थी।

अलौह खनन और धातुकर्म उद्योगों के कारण प्राप्ति में तेज कमी 2023-24 में ₹ 12,795.34 करोड़ से घटकर 2024-25 में ₹ 1,097.18 करोड़ हो गई और पिछले वर्ष की तुलना में 2024-25 में उद्योगों और कोयला और लिग्नाइट में तेज वृद्धि नए शीर्ष खनन (0852-उद्योग) और 2024-25 में नए मद के तहत कोयला रियायत शुल्क और रॉयल्टी और अन्य प्राप्तियां (0803-कोयला और लिग्नाइट) के तहत ₹ 5,143.96 करोड़ का निवेश किया गया, जिसे पहले अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग (0853) में बुक किया गया था।

शहरी विकास (0217) के अंतर्गत प्राप्ति में 2023-24 में ₹ 167.96 करोड़ से घटकर 2024-25 में ₹ 85.42 करोड़ हो गई, जो मुख्य रूप से उप प्रमुख अन्य शहरी विकास योजनाओं (60-800) के अंतर्गत अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत ₹ 126.44 करोड़ की कमी के कारण थी।

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान करेत्तर राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 6,750.04 करोड़ (94.08 प्रतिशत) की उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण अलौह खनन और धातुकर्म

उद्योगों के तहत कोयला ब्लॉकों और अन्य खनिजों की नीलामी से प्राप्तियों में ₹ 6,766.90 करोड़ की वृद्धि हुई है।

उपयोगकर्ता शुल्क करेक्टर राजस्व (एसएनटीआर) का एक महत्वपूर्ण घटक है। उपयोगकर्ता शुल्क एकत्र करने के लिए एक महत्वपूर्ण विचार पूंजी निवेश पर उचित लाभ के साथ सेवाएं प्रदान करने की वर्तमान लागत की वसूली है। राज्य द्वारा विभिन्न सेवाओं, वस्तुओं और उत्पादों और सुविधाओं जैसे ट्यूशन, सार्वजनिक पुस्तकालय, खेल सुविधाओं, राज्य कर्मचारी बीमा, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं, जल आपूर्ति, सिंचाई, परिवहन, पर्यटन आदि की आपूर्ति या उपयोग के लिए उपयोगकर्ता शुल्क एकत्र किए जाते हैं। उपयोगकर्ता शुल्क वर्ष 2023-24 में ₹ 523.55 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2024-25 में ₹ 691.80 करोड़ हो गया, जो दर्शाता है कि राज्य हाल के वर्षों में उपयोगकर्ता शुल्क एकत्र करने में दक्षता बनाए हुए है।

ख. केंद्रीय करों और शुल्कों में राज्यांश

केंद्रीय करों और शुल्कों में राज्यांश के घटकों में रुझान तालिका 1.8 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 1.8: केंद्रीय करों और शुल्कों में राज्यांश

(₹ करोड़ में)

घटक	केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी)	एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी)	निगम कर	निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर	कस्टम्स	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	सेवा कर	अन्य कर ³	कुल
2015-16	0	0	4,950	3,455	2,504	2,070	2,727	10	15,716
2016-17	0	0	6,020	4,184	2,589	2,957	3,046	14	18,809
2017-18	291	2,094	6,353	5,365	2,094	2,189	2,369	0	20,755
2018-19	5,789	462	8,157	6,007	1,663	1,105	218	58	23,459
2019-20	5,734	0	6,889	5,398	1,281	890	0	13	20,206
2020-21	6,069	0	6,118	6,270	1,097	686	85	14	20,338
2021-22	8,629	0	7,700	8,888	2,018	1,009	297	31	28,571
2022-23	9,142	0	10,852	10,590	1,272	399	51	53	32,358
2023-24	11,679	0	11,551	13,339	1,349	510	7	47	38,482
2024-25	12,805	0	12,441	15,866	2,231	429	1	71	43,844

स्रोत: वित्त लेखे

जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में केंद्रीय करों और शुल्कों में राज्यांश चार्ट 1.14 में दिया गया है।

³ इसमें संपत्ति पर कर और वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क शामिल हैं।

चार्ट 1.14: जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में केंद्रीय करों और शुल्कों में राज्यांश



स्रोत: वित्त लेखे

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान केंद्रीय करों और शुल्कों में राज्यांश इसकी राजस्व प्राप्तियों का 36.45 प्रतिशत थी। इसके अतिरिक्त, सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के सापेक्ष केंद्रीय करों और शुल्कों में राज्यांश का अनुपात 2020-21 में 5.77 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 7.72 प्रतिशत हो गया।

ग. भारत सरकार से सहायता अनुदान

भारत सरकार से सहायता अनुदान (जीआईए) और इसके घटकों की प्रवृत्ति तालिका 1.9 में दिखाई गई है।

तालिका 1.9: भारत सरकार से सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

अवयव	केंद्र प्रायोजित योजना योजनाओं के लिए अनुदान	केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान	वित्त आयोग अनुदान	राज्यों को अन्य हस्तांतरण/अनुदान	कुल
2015-16	4,867	866	—	2,329	8,062
2016-17	7,850	399	—	2,013	10,262
2017-18	—	9,276	1,460	1,921	12,657
2018-19	—	8,215	1,679	2,612	12,506
2019-20	—	7,808	2,045	3,758	13,611
2020-21	—	6,976	2,290	3,547	12,812
2021-22	—	6,171	2,380	1,596	10,146
2022-23	—	8,713	1,773	2,663	13,148
2023-24	—	8,218	1,771	1,104	11,092
2024-25	—	11,811	1,950	500	14,261

स्रोत: वित्त लेखे

जीएसडीपी के लिए भारत सरकार से सहायता अनुदान का प्रतिशत चार्ट 1.15 में दिया गया है।

चार्ट 1.15: जीएसडीपी को भारत सरकार से अनुदान सहायता का प्रतिशत



चार्ट 1.15 जीएसडीपी में महत्वपूर्ण वृद्धि (2019-20 में ₹ 3,44,672 करोड़ से 2024-25 में ₹ 5,67,880 करोड़ तक) में उल्लेखनीय वृद्धि के संबंध में बड़े पैमाने पर स्थिर सहायता अनुदान (2019-20 में ₹ 13,611 करोड़ से 2023-24 में ₹ 11,092 करोड़ और 2024-25 में ₹ 14,261 करोड़) के कारण भारत सरकार से जीएसडीपी को अनुदान के प्रतिशत में गिरावट की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

(i) केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदान

वर्ष 2024-25 के दौरान केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए आवंटित ₹ 11,811.16 करोड़ के अनुदानों में से, मुख्य आवंटन तालिका 1.10 में दर्शाई गई योजनाओं को किए गए।

तालिका 1.10: अनुदान प्राप्त करने वाली प्रमुख योजनाएं

योजना का नाम	2024-25 राशि (करोड़ में)	2023-24 राशि (करोड़ में)	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	5,167.22	1,681.72	207.26
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	790.62	804.47	-1.72
प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य और स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और शहरी स्वास्थ्य मिशन के लिए लचीला पूल	673.6	530.44	26.99
समग्र शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	509.95	406.72	25.38
आंगनवाड़ी सेवा योजना	345.06	214.27	61.04
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	325.24	401.77	-19.05
आंगनवाड़ी सेवाओं के निरंतर कार्यान्वयन के लिए पूरक पोषण कार्यक्रम	316.4	285.43	10.85
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) – आजीविका	313.39	306.04	2.40
प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम-पोषण)	303.31	238.99	26.91
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम-राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	242.21	190.63	27.06

स्रोत: वित्त लेखे

(ii) पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदान

पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदान राज्यों को स्थानीय निकायों और राज्य आपदा राहत निधि (एसडीआरएफ), राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (एसडीएमएफ) और स्वास्थ्य क्षेत्र के अनुदानों के लिए प्रदान किए गए थे। भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुदानों का विवरण तालिका 1.11 में दिया गया है।

तालिका 1.11: अनुशंसित राशि, वास्तविक विमोचन और सहायता अनुदान का हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)

स्थानान्तरण		2024-25 के लिए 15वें वित्त आयोग की सिफारिश	2024-25 के दौरान भारत सरकार द्वारा वास्तविक रिलीज	राज्य सरकार द्वारा जारी की गई राशि (भारत सरकार द्वारा जारी राशि का कुल प्रतिशत)
(i) पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान		1,192.00	1,185.25	1,185.29(100)
(क) निष्पादन/बंधित अनुदान		715.20	710.97	—
(ख) संयुक्त अनुदान		476.80	474.28	—
(ii) शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान		614.00	303.29	119.85(39.52)
(क) मिलियन प्लस शहरों के लिये अनुदान (निष्पादन/बंधित अनुदान)		189.00	183.44*	—
(ख) नॉन मिलियन प्लस शहरों के लिये अनुदान		425.00	119.85	—
नॉन मिलियन प्लस शहर (निष्पादन/बंधित अनुदान)		255.00	71.91	—
नॉन मिलियन प्लस शहर (संयुक्त अनुदान)		170.00	47.94	—
(iii) स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान		373.00	80.25	97.67(100)
स्थानीय निकायों के लिए कुल (i+ii+iii)		2,179.00	1,568.79	1,402.81
राज्य आपदा राहत निधि (एसडीआरएफ)	केंद्रीय शेयर	400.00	380.80	380.80(100)
राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (एसडीएमएफ)	केंद्रीय शेयर	100.05	0.00	90.80 [#]
एसडीआरएमएफ के लिए कुल		500.05	380.80	471.60

स्रोत: पंद्रहवें वित्त आयोग प्रतिवेदन और विस्तृत विनियोग लेख 2024-25

* शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (नैदानिक अवसंरचना को सहायता) के लिए जारी किए गए ₹10.19 करोड़ रुपए का अनुदान शामिल है

यह राशि वर्ष 2022-23 से संबंधित है

पंचायती राज संस्थाओं के लिए केन्द्र सरकार से प्राप्त निधियां राज्य शासन द्वारा पूरी तरह से जारी की गई थीं। तथापि, शहरी स्थानीय निकायों के लिए केन्द्र से प्राप्त ₹ 303.29 करोड़ की तुलना में राज्य शासन ने केवल ₹ 119.85 करोड़ (39.52 प्रतिशत) ही जारी किए। राज्य शासन ने एसडीआरएफ के तहत प्राप्त केंद्र सरकार के हिस्से की पूरी राशि ₹ 380.80 करोड़ और राज्य शासन के हिस्से की ₹ 127.20 करोड़ राशि वर्ष 2024-25 के लिए जारी कर दी है। इसके अलावा, वर्ष 2022-23 से संबंधित एसडीएमएफ के तहत ₹ 121.05 करोड़ (जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सा ₹ 90.80 करोड़ और राज्य शासन का हिस्सा ₹ 30.25 करोड़ शामिल है) भी जारी की गई है। चालू वर्ष के दौरान, एसडीएमएफ के लिए भारत सरकार द्वारा कोई केन्द्रीय हिस्सा जारी नहीं किया गया था।

1.2.2 पूंजीगत प्राप्तियां

पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं जैसे कि विनिवेश से प्राप्त आय, ऋणों और अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियां (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से ऋण) और भारत सरकार से ऋण और अग्रिम।

वर्ष 2015-16 से 2024-25 के दौरान पूंजीगत प्राप्तियों और इसके घटकों के रुझान तालिका 1.12 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 1.12: पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि और संरचना की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
पूंजीगत प्राप्तियां	7,551	5,656	9,796	14,538	19,849
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	3	2	3	5	5
ऋण और अग्रिमों की वसूली	297	173	140	163	257
सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां	7,251	5,480	9,652	14,370	19,588
आंतरिक ऋण	7,106	5,098	9,188	13,817	19,308
भारत सरकार से ऋण और अग्रिम	145	382	465	553	279
वर्ष-दर-वर्ष विकास दर (प्रतिशत में)					
जीएसडीपी	1.83	16.72	7.59	15.69	5.37
पूंजीगत प्राप्तियां	13.74	-25.10	73.20	48.42	36.53
ऋण पूंजीगत प्राप्तियां	12.60	-24.43	76.14	48.88	36.31
आंतरिक ऋण	10.49	-28.25	80.21	50.38	39.75
भारत सरकार से ऋण और अग्रिम	1,571.81	162.62	21.76	19.13	-49.56
राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
पूंजीगत प्राप्तियां	21,691	15,191	10,762	54,080	33,491
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	5	5	6	5	5
ऋण और अग्रिमों की वसूली	104	88	117	26	23
सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां	21,582	15,098	10,639	54,050	33,463
आंतरिक ऋण	17,961	9,322	6,939	50,258	27,046
भारत सरकार से ऋण और अग्रिम	3,620	5,777	3,700	3,791	6,417
वर्ष-दर-वर्ष विकास दर (प्रतिशत में)					
जीएसडीपी	2.22	16.83	11.49	11.60	10.89
पूंजीगत प्राप्तियां	9.28	-29.96	-29.16	402.53	-38.07
ऋण पूंजीगत प्राप्तियां	10.18	-30.04	-29.54	408.05	-38.09
आंतरिक ऋण	-6.98	-48.10	-25.57	624.33	-46.19
भारत सरकार से ऋण और अग्रिम	1,196.81	59.56	-35.95	2.46	69.26

स्रोत: वित्त लेखे

* अर्थात् आय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट/स्पेशल ड्रॉइंग फैसिलिटी के तहत नेट फिगर सहित

पिछले पांच वर्षों में, पूंजीगत प्राप्तियों, विशेष रूप से ऋण पूंजीगत प्राप्तियों ने जीएसडीपी की तुलना में वृद्धि में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति दिखाई है, जिसमें वित्त वर्ष 2020-21 और वित्त वर्ष 2023-24 को छोड़कर सभी वर्षों में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2023-24 में, पूंजीगत प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 402.53 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई,

जबकि जीएसडीपी में मामूली 11.60 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस अचानक वृद्धि का कारण पिछले वर्ष की तुलना में आंतरिक ऋण प्राप्तियों में 624.33 प्रतिशत की वृद्धि को माना जा सकता है। जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत प्राप्तियों को चार्ट 1.16 में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.16: जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत प्राप्तियां और ऋण प्राप्तियां



1.2.3 वित्त आयोग के अनुमान और वास्तविक

15वें वित्त आयोग द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक अनुमानित राजस्व, घाटे और जीएसडीपी तथा वास्तविक आंकड़े तालिका 1.13 में दिए गए हैं।

तालिका 1.13: 15वें वित्त आयोग के अनुमान की तुलना में वास्तविक

(₹ करोड़ में)

	2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
	अनु.	वास्त.	अनु.	वास्त.	अनु.	वास्त.	अनु.	वास्त.	अनु.	वास्त.
जीएसडीपी (2011-12 सीरीज मौजूदा कीमतों)	3,84,853	3,52,328	3,62,467	4,11,613	3,90,623	4,58,891	4,24,095	5,12,107	4,62,155	5,67,880
स्वयं की राजस्व प्राप्तियां	40,262	30,026	32,976	40,935	36,039	48,371	39,731	53,934	43,996	62,186
राज्य का स्वयं का कर राजस्व	31,784	22,889	24,105	27,084	26,410	33,122	29,195	38,786	32,420	44,765
राज्य का स्वयं का करेतर राजस्व	8,477	7,137	8,871	13,851	9,629	15,248	10,536	15,148	11,576	17,421
केंद्रीय करों/शुल्कों में राज्यांश	29,230	20,338	22,438	28,571	24,961	32,358	28,087	38,482	31,909	43,844
जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा (-) / आधिक्य (+)	4.98	-2.7	0.89	0.51	1.46	1.04	1.97	-2.65	2.59	-1.33
जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में	-4.5	-4.72	-4	-1.56	-3.5	-1.22	-3	-5.44	-3	-4.69

राजकोषीय घाटा (-)						
-------------------	--	--	--	--	--	--

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे और 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट

* अनु.— अनुमान, वास्त.— वास्तविक

नकारात्मक मान घाटे का संकेत देते हैं, और सकारात्मक मूल्य आधिक्य का संकेत देते हैं।

* राजस्व और राजकोषीय घाटे के लिए लेखापरीक्षा के बाद के आंकड़े लिए गए हैं।

1.2.4 व्यय

सरकारी व्यय को राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय और ऋण और अग्रिमों में वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व व्यय में प्रशासनिक और स्थापना व्यय सहित विभागों के रखरखाव, मरम्मत और दिन-प्रतिदिन के कामकाज की लागत शामिल है। पूंजीगत व्यय परियोजनाओं के प्रारंभिक निर्माण और परिसंपत्तियों में स्वीकृत सुधार या परिवर्धन से संबंधित है। ऋण और अग्रिमों में शासन द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य संस्थाओं को प्रदान की गई धनराशि शामिल होती है, जो समय के साथ वसूली योग्य होती है। व्यय, जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में कुल व्यय और इसके घटकों के हिस्से का विवरण क्रमशः तालिका 1.14, चार्ट 1.17 और चार्ट 1.18 में दिया गया है।

तालिका 1.14: कुल व्यय और इसकी संरचना

(₹ करोड़ में)

पैरामीटर	कुल व्यय	राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	ऋण और अग्रिम ⁴	आकस्मिकता निधि का विनियोग
2015-16	51,811	43,701	7,945	165	---
2016-17	57,908	48,165	9,471	273	---
2017-18	66,601	56,230	10,001	370	---
2018-19	73,555	64,411	8,903	241	---
2019-20	82,100	73,477	8,566	56	---
2020-21	79,108	70,033	9,024	51	---
2021-22	85,838	75,010	10,504	324	---
2022-23	98,691	85,285	13,320	86	---
2023-24	1,30,472	1,14,741	15,419	312	---
2024-25	1,45,766	1,25,390	20,055	322	---

स्रोत: वित्त लेखे

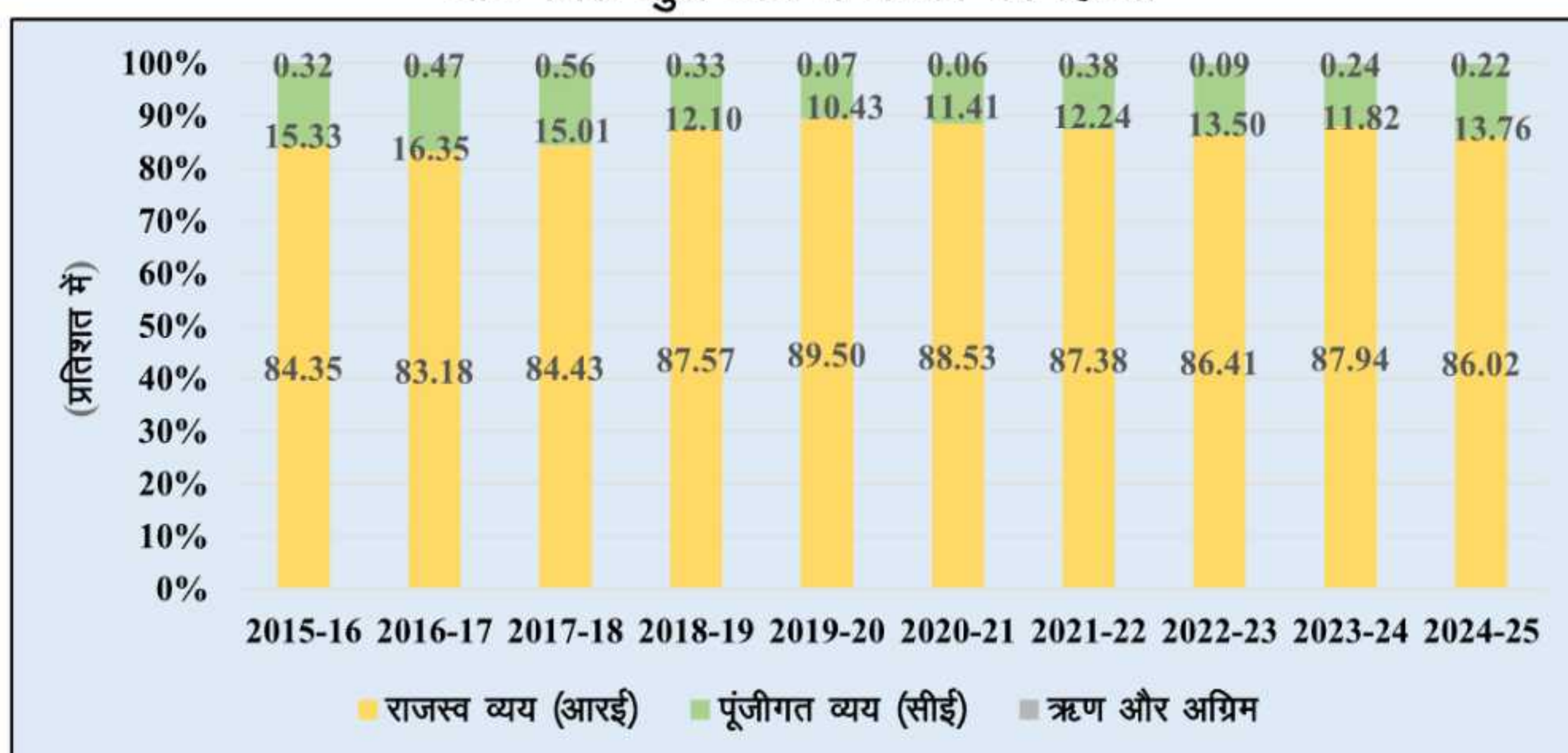
चार्ट 1.17: जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में कुल व्यय



स्रोत: वित्त लेखे

⁴ ऋण और अग्रिमों में अंतर-राज्यीय परिशोधन शामिल हैं

चार्ट 1.18: कुल व्यय में घटकों का हिस्सा



स्रोत: वित्त लेखे

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य द्वारा किए गए कुल व्यय ₹ 1,45,765.99 करोड़ में से, ₹ 12,074.63 करोड़ का हिस्सा निकासी संव्यवहार से संबंधित था, जैसे कि केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान का शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों को हस्तांतरण, रॉयल्टी का दो प्रतिशत राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट को हस्तांतरण, सरकारी खाते में एकत्रित और रखे गए श्रम उपकरण का भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड को हस्तांतरण, केंद्र प्रायोजित योजनाओं और केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं पर राज्य द्वारा प्राप्त केंद्रीय हिस्से का एकल नोडल एजेंसी को हस्तांतरण, सार्वजनिक खाते में निर्दिष्ट प्रमुख मद से निर्दिष्ट निधि प्रबंधक को एनपीएस अंशदान का हस्तांतरण आदि।

चार्ट 1.18 से पता चलता है कि 2020-25 के दौरान कुल व्यय का प्रमुख हिस्सा (86.02 प्रतिशत से 88.53 प्रतिशत) राजस्व व्यय था। दूसरी ओर, पूंजीगत व्यय कुल व्यय का 11.41 प्रतिशत से 13.76 प्रतिशत के बीच है, जो दर्शाता है कि राज्य नियमित और प्रशासनिक खर्चों पर अपने व्यय का एक बड़ा हिस्सा आवंटित कर रहा है, जिससे परिसंपत्ति निर्माण और बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश के लिए छोटा हिस्सा बचा है। राज्य का व्यय पैटर्न उत्पादक निवेश के बजाय उपभोग पक्ष के लिए शीर्षक है जो इसकी दीर्घकालिक राजकोषीय स्थिरता और विकास उद्देश्यों को बाधित कर सकता है।

क्षेत्रवार कुल व्यय

व्यय की क्षेत्रवार संरचना तालिका 1.15 में दी गई है और कुल व्यय में विभिन्न क्षेत्रों की सापेक्ष हिस्सेदारी को चार्ट 1.19 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.15: क्षेत्रवार कुल व्यय

(₹ करोड़ में)

पैरामीटर	सामान्य सेवाएँ	सामाजिक सेवाएँ	आर्थिक सेवाएँ	स्थानीय निकायों को अनुदान	ऋण और अग्रिम ⁵
2015-16	10,771	18,146	21,828	900	165
2016-17	11,684	23,802	20,999	1,151	273
2017-18	13,174	27,023	24,669	1,365	370
2018-19	15,536	25,229	31,655	895	241

⁵ इसमें अंतर-राज्यीय परिशोधन शामिल हैं।

2019-20	19,290	28,565	33,069	1,120	56
2020-21	20,095	28,001	29,836	1,125	51
2021-22	21,727	31,197	31,477	1,113	324
2022-23	23,580	36,807	37,076	1,143	86
2023-24	27,124	46,486	55,252	1,298	312
2024-25	29,872	60,393	53,824	1,357	322

स्रोत: वित्त लेखे

चार्ट 1.19: कुल व्यय में विभिन्न क्षेत्रों का सापेक्ष हिस्सा



स्रोत: वित्त लेखे

नोट: कुल व्यय में ऋणों और अग्रिमों का हिस्सा नगण्य है

जैसा कि चार्ट 1.19 से देखा जा सकता है, कुल व्यय में सामाजिक सेवा व्यय के हिस्से में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है यानी 2020-21 में 35.40 प्रतिशत से बढ़कर 2024-25 में 41.43 प्रतिशत हो गई है जो राज्य के कल्याणकारी अभिविन्यास को दर्शाता है। कुल व्यय में सामान्य सेवाओं की हिस्सेदारी 2020-21 में 25.40 प्रतिशत से घटकर 2024-25 में 20.49 प्रतिशत हो गई, जो प्रशासनिक खर्चों को युक्तिसंगत बनाने पर राज्य के फोकस को दर्शाती है।

सामाजिक सेवा क्षेत्र के अंतर्गत जिन प्रमुख क्षेत्रों में पर्याप्त आवंटन और व्यय देखा गया था, उन्हें चार्ट 1.19 (क) में दर्शाया गया है:

चार्ट 1.19 (क): सामाजिक सेवा क्षेत्र के तहत व्यय के प्रमुख क्षेत्र

(₹ करोड़ में)



वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य शासन की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं नीचे दी गई हैं

(₹ करोड़ में)

योजना/कार्यक्रम	कुल बजट	व्यय	कुल व्यय का प्रतिशत	राजस्व व्यय का प्रतिशत	राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत
महतारी बंदन योजना	7,900.00	7,849.70	5.39	6.26	6.53
हायर सेकेंडरी स्कूल	3,952.77	3,471.06	2.38	2.77	2.89
सरकारी प्राथमिक विद्यालय (बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के लिए)	3,241.13	2,803.83	1.92	2.24	2.33

उपरोक्त तीन योजनाएं कुल और राजस्व व्यय का क्रमशः 9.69 प्रतिशत और 11.27 प्रतिशत हैं और राजस्व प्राप्तियों का 11.75 प्रतिशत उपभोग कर रही हैं।

1.2.4.1 राजस्व व्यय

राजस्व व्यय सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने और पिछले दायित्व के लिए भुगतान करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार, इससे राज्य के अवसंरचना और सेवा नेटवर्क में कोई वृद्धि नहीं होती है। राजस्व व्यय में वृद्धि, कुल व्यय के साथ इसका अनुपात, जीएसडीपी और राजस्व प्राप्तियों को तालिका 1.16 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.16: राजस्व व्यय – बुनियादी पैरामीटर

(₹ करोड़ में)

पैरामीटर	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
कुल व्यय (टीई)	51,811	57,908	66,601	73,555	82,100
राजस्व व्यय (आरई)	43,701	48,165	56,230	64,411	73,477
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में संशोधित अनुमान	94.86	89.72	94.27	98.95	115.04
टीई के प्रतिशत के रूप में आरई	84.35	83.17	84.43	87.57	89.50
आरई/जीएसडीपी (प्रतिशत)	19.41	18.33	19.89	19.69	21.32
वर्ष-दर-वर्ष विकास दर (प्रतिशत में)					
राजस्व व्यय	10.46	10.21	16.74	14.55	14.08
जीएसडीपी वृद्धि	1.83	16.72	7.59	15.69	5.37
पैरामीटर	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
कुल व्यय (टीई)	79,108	85,838	98,691	1,30,472	1,45,766
राजस्व व्यय (आरई)	70,033	75,010	85,285	1,14,741	1,25,390
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में संशोधित अनुमान	110.85	94.17	90.85	110.85	104.24
टीई के प्रतिशत के रूप में आरई	88.53	87.39	86.42	87.94	86.02
आरई/जीएसडीपी (प्रतिशत)	19.88	18.22	18.59	22.41	22.08
वर्ष-दर-वर्ष विकास दर (प्रतिशत में)					
राजस्व व्यय	-4.69	7.11	13.7	34.54	9.28
जीएसडीपी वृद्धि	2.22	16.83	11.49	11.6	10.89

स्रोत: वित्त लेखे

राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय ने पिछले पांच वर्षों में 90.85 प्रतिशत से 110.85 प्रतिशत तक उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति दिखाई और यह 2024-25 में 104.24 प्रतिशत तक पहुंच गया, जो राज्य वित्त पर भविष्य के राजकोषीय दबाव को दर्शाता है। 2024-25 के दौरान,

जीएसडीपी की वृद्धि दर राजस्व व्यय में वृद्धि से आगे निकल गई, जो राज्य के राजस्व व्यय प्रोफाइल की स्थिरता को दर्शाती है।

क. क्षेत्रवार राजस्व व्यय

राजस्व व्यय की क्षेत्रवार संरचना तालिका 1.17 में दी गई है और राजस्व व्यय में विभिन्न क्षेत्रों की सापेक्ष हिस्सेदारी को चार्ट 1.20 में दर्शाया गया है। विस्तृत क्षेत्र-वार व्यय परिशिष्ट 1.2 में दिया गया है।

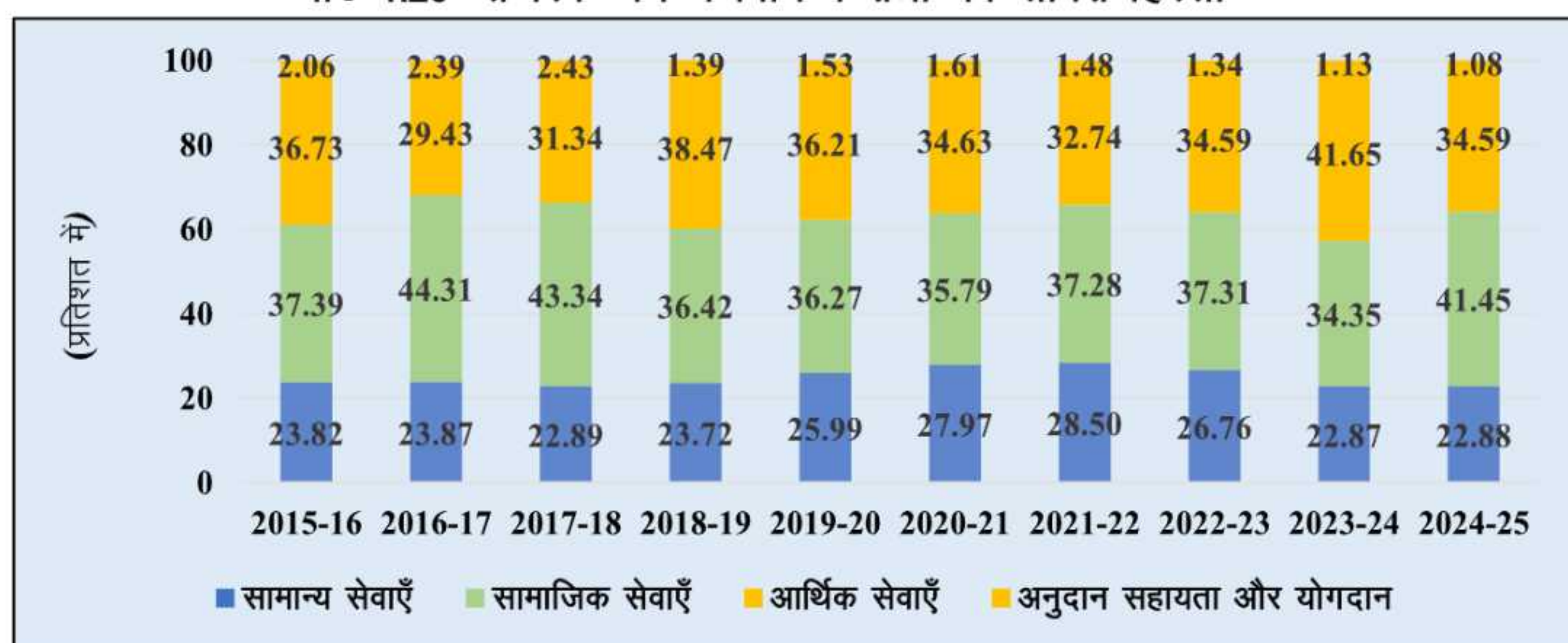
तालिका 1.17: क्षेत्रवार राजस्व व्यय

(₹ करोड़ में)

पैरामीटर	सामान्य सेवाएँ	सामाजिक सेवाएँ	आर्थिक सेवाएँ	अनुदान सहायता और योगदान
2015-16	10,409	16,339	16,053	900
2016-17	11,496	21,342	14,176	1,151
2017-18	12,870	24,372	17,623	1,365
2018-19	15,280	23,455	24,780	895
2019-20	19,095	26,653	26,609	1,120
2020-21	19,586	25,066	24,255	1,125
2021-22	21,375	27,964	24,558	1,113
2022-23	22,825	31,818	29,499	1,143
2023-24	26,240	39,412	47,791	1,298
2024-25	28,687	51,971	43,374	1,357

स्रोत: वित्त लेखे

चार्ट 1.20: राजस्व व्यय में विभिन्न क्षेत्रों का सापेक्ष हिस्सा



स्रोत: वित्त लेखे

जैसा कि चार्ट 1.20 से देखा जा सकता है, राजस्व व्यय में सामान्य सेवाओं की हिस्सेदारी में 2020-21 में 27.97 प्रतिशत से घटकर 2024-25 में 22.88 प्रतिशत की प्रवृत्ति देखी गई, जो प्रशासनिक खर्चों को युक्तिसंगत बनाने पर राज्य के फोकस को दर्शाता है। राजस्व व्यय में सामाजिक सेवा व्यय की हिस्सेदारी में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है, यानी 2020-21 में 35.79 प्रतिशत से बढ़कर 2024-25 में 41.45 प्रतिशत हो गई है, जो नियमित खर्चों को नियंत्रित करने और कल्याण-उन्मुख खर्च को प्राथमिकता देने पर राज्य के फोकस को दर्शाता है।

ख. प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व खाते पर राज्य शासन के प्रतिबद्ध व्यय में ब्याज भुगतान, वेतन और मजदूरी पर व्यय और पेंशन शामिल हैं। इसका पहला प्रभार सरकारी संसाधनों पर है। प्रतिबद्ध व्यय के घटक तालिका 1.18 में दिए गए हैं और राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में प्रतिबद्ध व्यय और अन्य व्यय के लिए शेष राजकोषीय स्थान चार्ट 1.21 में दिया गया है।

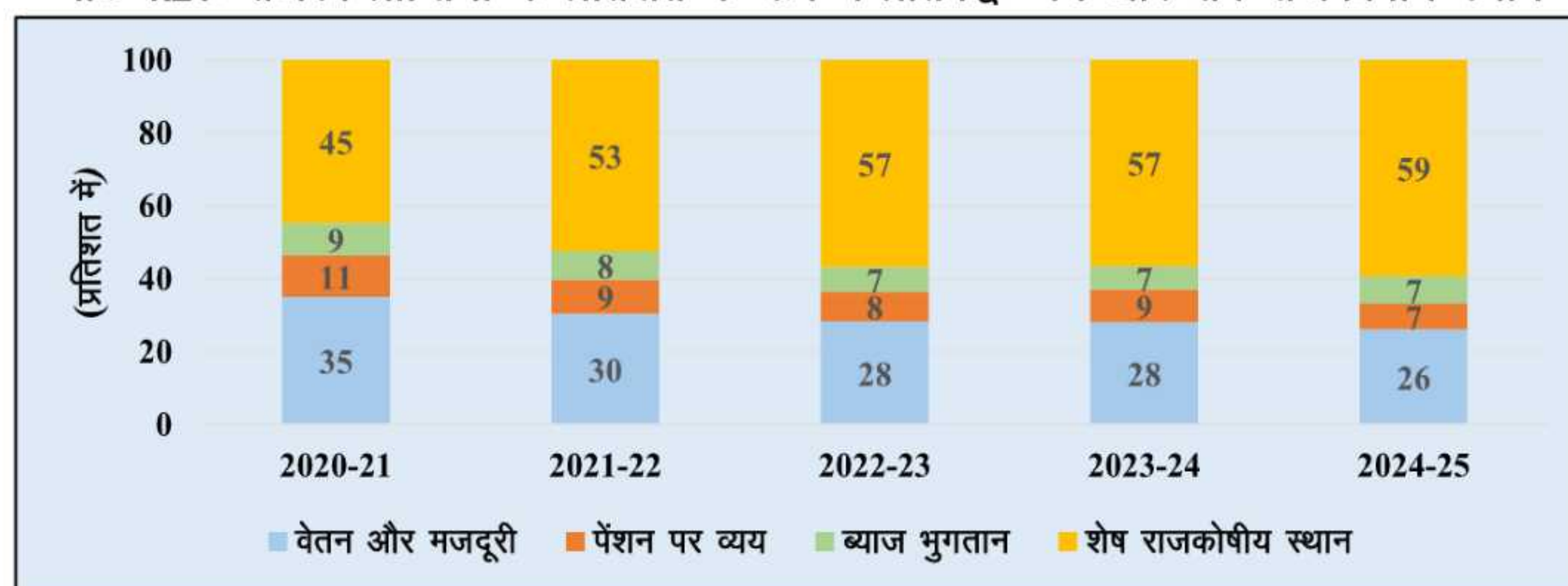
तालिका 1.18: प्रतिबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	वेतन एवं मजदूरी	पेंशन पर व्यय	ब्याज भुगतान	कुल	राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रतिबद्ध व्यय
2015-16	13,483	3,519	2,149	19,151	43.82
2016-17	14,629	3,486	2,687	20,803	43.19
2017-18	17,006	3,924	3,098	24,028	42.73
2018-19	19,400	5,429	3,653	28,481	44.22
2019-20	22,437	6,638	4,970	34,046	46.33
2020-21	22,143	7,136	5,633	34,912	49.85
2021-22	24,210	7,472	6,144	37,827	50.43
2022-23	26,524	7,661	6,382	40,567	47.57
2023-24	29,095	9,112	6,798	45,005	39.22
2024-25	31,420	8,511	8,952	48,883	38.98

स्रोत: वित्त लेखे

चार्ट 1.21: राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में प्रतिबद्ध व्यय और शेष राजकोषीय स्थान



स्रोत: वित्त लेखे

राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रतिबद्ध व्यय का हिस्सा 2020-21 में 49.85 प्रतिशत से घटकर 2024-25 में 38.98 प्रतिशत हो गया और राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में इसका हिस्सा 2020-21 में 55 प्रतिशत से घटकर 2024-25 में 41 प्रतिशत हो गया, जो राज्य के बढ़ते राजकोषीय लचीलेपन को दर्शाता है, जिससे संभावित पूंजी या कल्याणकारी व्यय के लिए बढ़ती गुंजाइश बची है।

राज्य का प्रतिबद्ध व्यय जीएसडीपी का 8.61 प्रतिशत और राज्य के कुल व्यय का 33.53 प्रतिशत था और यह पड़ोसी राज्यों जैसे झारखंड (6.26 प्रतिशत और 29.51 प्रतिशत), ओडिशा (6.62 प्रतिशत और 28.09 प्रतिशत) और मध्य प्रदेश (6.74 प्रतिशत और 31.90 प्रतिशत) से अधिक था। यह उच्च प्रतिबद्ध व्यय मुख्य रूप से वेतन और मजदूरी के कारण था।

ग. सब्सिडी

चालू वर्ष के दौरान सब्सिडी में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 5,742.32 करोड़ (53.18 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि मुख्य रूप से खाद्य और नागरिक आपूर्ति, ऊर्जा और वाणिज्य और उद्योगों के कारण सब्सिडी में क्रमशः ₹ 3,405.40 करोड़, ₹ 1,815.89 करोड़ और ₹ 381.59 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई थी।

वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 के लिए विभागवार प्रमुख सब्सिडी तालिका 1.19 में दिखाई गई है।

तालिका 1.19: वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान विभागवार सब्सिडी

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	विभाग	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	ऊर्जा	2,844.84	2,243.00	3,275.71	6,033.02	7,848.91
2	खाद्य और नागरिक आपूर्ति	3,860.06	3,675.95	4,372.68	3,914.98	7,320.38
3	कृषि	338.67	263.16	262.85	276.13	342.87
4	सहकारी	100.00	215.19	183.00	249.53	195.44
5	वाणिज्य और उद्योग	139.55	141.65	165.55	273.37	654.96
6	अन्य विभाग	24.82	26.35	46.49	49.85	176.64
कुल सब्सिडी		7,307.94	6,565.30	8,306.28	10,796.88	16,539.20

स्रोत: वित्त लेख

चार्ट 1.22: सब्सिडी का रुझान विश्लेषण



वर्ष 2023-24 की तुलना में 2024-25 के दौरान 53.18 प्रतिशत की तेज वृद्धि का मुख्य कारण मुख्यमंत्री खाद्य सहायता योजना (₹2,177.38 करोड़), पांच एचपी के कृषि पंपों को बिजली की मुफ्त आपूर्ति के लिए अनुदान (₹1,377.00 करोड़) जैसी योजनाओं पर आवंटन में वृद्धि को दिया जा सकता है। राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी वर्ष 2020-21 में 10.44 प्रतिशत से बढ़कर 2024-25 में 13.19 प्रतिशत हो गई, जिससे विकासात्मक व्यय के लिए आवश्यक संसाधनों पर दबाव पड़ गया। पिछले तीन वर्षों में सब्सिडी की राशि में वृद्धि राजकोषीय स्थिरता पर संभावित नकारात्मक प्रभाव दिखा रही है। इस पर ध्यान दिए जाने पर, राज्य शासन ने अपने जवाब (फरवरी 2026) में कहा कि वृद्धि मुख्य रूप से पिछले वर्षों की लंबित सब्सिडी देनदारियों के भुगतान से प्रेरित है। इस कदम का उद्देश्य बकाया राशि का भुगतान करना और एनएएन,

मार्कफेड, डिस्कॉम जैसी संस्थाओं की आरामदायक वित्तीय स्थिति बनाए रखना है। इन सब्सिडी का एक बड़ा हिस्सा खाद्य, कृषि और बिजली क्षेत्रों की ओर निर्देशित किया जाता है, जिससे किसानों के लिए उच्च मूल्य समर्थन और किसानों को मुफ्त बिजली सुनिश्चित होती है, जो राज्य की सामाजिक-आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण हैं। राजकोषीय दबाव के बावजूद, राज्य ने सामाजिक सुरक्षा जाल के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखी है, इन खर्चों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था और उपभोक्ता क्रय शक्ति में आवश्यक निवेश के रूप में देखा है।

घ. स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता

वर्ष 2020-21 से 2024-25 की अवधि के दौरान स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को अनुदान के माध्यम से प्रदान की गई सहायता तालिका 1.20 में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 1.20: स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थान	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
(क) स्थानीय निकाय					
नगर निगम और नगर पालिकाएं	3,554.17	3,904.13	4,296.67	4,412.18	2,807.85
नगर निगमों और नगर पालिकाओं के लिए पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए जीआईए	676.42	765.92	691.80	1,051.25	0.00
जिला परिषद और अन्य पंचायती राज संस्थाएं	4,421.79	4,345.60	5,903.98	9,470.53	11,082.90
पंचायती राज संस्थाओं के लिए पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए जीआईए	103.61	76.79	576.91	508.84	0.00
कुल (क)	7,975.96	8,249.73	10,200.65	13,882.71	13,890.75
(ख) अन्य					
शैक्षणिक संस्थान (सहायता प्राप्त स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, आदि)	204.97	254.57	262.59	1,056.21	991.24
विकास प्राधिकरण	229.93	393.08	661.14	517.28	156.82
अन्य संस्थान	14,402.06	15,493.55	18,663.53	37,707.30	34,237.19
कुल (ख)	14,836.96	16,141.20	19,587.26	39,280.79	35,385.25
कुल (क + ख)	22,812.92	24,390.93	29,787.91	53,163.50	49,276.00
पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए जीआईए	2,021.82	2,410.07	2,929.40	3,660.05	215.98
राजस्व व्यय	70,032.84	75,010.01	85,285.03	1,14,740.96	1,25,389.82
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सहायता	32.57	32.52	34.93	46.33	39.30

स्रोत: वित्त लेखे

चालू वर्ष के दौरान, स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 3,887.50 करोड़ (7.31 प्रतिशत) की कमी आई है। यह कमी मुख्य रूप से नगर निगमों और नगर पालिकाओं (₹ 1,604.33 करोड़: 36.36 प्रतिशत) और विकास प्राधिकरणों (₹ 360.46 करोड़ रुपये: 69.68 प्रतिशत) को सहायता में कमी के कारण थी। स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता की कुल राशि राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में चालू वर्ष में घटकर 39.30 प्रतिशत हो गई, जबकि पिछले वर्ष यह 46.33 प्रतिशत थी।

राज्य वित्त आयोग

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 (झ) और 243 (म) के अनुसार, राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) को प्रत्येक पांच वर्ष के बाद नियुक्त किया जाना है जो राज्य शासन से स्थानीय निकायों को निधियों के अंतरण की सिफारिश करेगा और स्वयं के संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपाय सुझाएगा।

छत्तीसगढ़ शासन ने वर्ष 2000 में राज्य के गठन के बाद से चार राज्य वित्त आयोगों का गठन किया है।

तीसरे राज्य वित्त आयोग का गठन 20 जनवरी 2016 को पांच साल की अवधि यानी 2017–22 को कवर करने के लिए किया गया था। राज्य शासन ने 2017–22 के स्थान पर 2020–26 की अवधि के लिए तीसरे राज्य वित्त आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया था। यह भारत के 15वें वित्त आयोग की समयावधि के अनुरूप होगी। तीसरे राज्य वित्त आयोग ने कुल 58 सिफारिशें की थीं, जिनमें से राज्य शासन ने 34 सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था, जबकि 3 अन्य को संशोधन के साथ स्वीकार कर लिया गया था।

चौथे राज्य वित्त आयोग का गठन 29 जुलाई 2021 को पांच साल की अवधि यानी 2025–30 को कवर करने के लिए किया गया था। राज्य शासन ने 2025–30 के स्थान पर 2026–31 की अवधि के लिए चौथे एसएफसी की सिफारिश को भारत के 16वें वित्त आयोग की समयावधि के साथ स्वीकार कर लिया था। चौथे राज्य वित्त आयोग ने कुल 51 सिफारिशें की थीं, जिनमें से राज्य शासन ने 33 सिफारिशें स्वीकार कर ली थीं, जबकि पांच अन्य को संशोधन के साथ स्वीकार कर लिया गया था।

राज्य वित्त आयोगों के गठन और राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन में देरी हुई, जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय निकायों को निधियों के हस्तांतरण में और देरी हुई।

1.2.4.2 पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय मुख्य रूप से सड़कों, भवनों आदि जैसी अचल बुनियादी ढांचा परिसंपत्तियों के निर्माण पर व्यय होता है। केन्द्र और राज्य दोनों में पूंजीगत व्यय को बजटीय सहायता और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों/गैर-बजट ऋणों से पूरा किया जा रहा है। इसमें राज्य शासन द्वारा कंपनियों/निगमों में किए गए निवेश भी शामिल हैं। पिछले पांच वर्षों यानी 2020–25 में राज्य में पूंजीगत व्यय का रुझान चार्ट 1.23 में दिया गया है।

चार्ट 1.23: राज्य में पूंजीगत व्यय



स्रोत: वित्त लेखे

₹ 20,054.62 करोड़⁶ के पूंजीगत व्यय के अलावा, राज्य शासन ने अन्य संस्थानों को पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए सहायता अनुदान के रूप में ₹ 215.98 करोड़ भी अंतरित किए। इसके अलावा, ऋण प्राप्तियों की तुलना में पूंजीगत व्यय का प्रतिशत 59.93 प्रतिशत था, जो यह दर्शाता है कि उधारियों को बुनियादी ढांचे के विकास में आनुपातिक रूप से परिवर्तित नहीं किया गया था।

पांच साल की अवधि 2020-25 के दौरान पूंजीगत व्यय में लगातार वृद्धि देखी गई है। पूंजीगत व्यय की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि ने पांच वर्षों में से चार वर्षों में जीएसडीपी की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि से बेहतर प्रदर्शन किया है, जबकि यह वित्त वर्ष 2021-22 में मामूली रूप से पिछड़ गया है। कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का प्रतिशत हिस्सा 2020-21 में 11.41 प्रतिशत से 2024-25 में 13.76 प्रतिशत के बीच रहा है। कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का हिस्सा 2023-24 में 11.82 प्रतिशत से बढ़कर 2024-25 में 13.76 प्रतिशत हो गया। इससे पता चलता है कि राज्य दीर्घकालिक परिसंपत्ति निर्माण को प्राथमिकता दे रहा है।

क. क्षेत्रवार पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय की क्षेत्रवार संरचना तालिका 1.21 में दी गई है। विस्तृत क्षेत्र-वार व्यय परिशिष्ट 1.2 में दिया गया है।

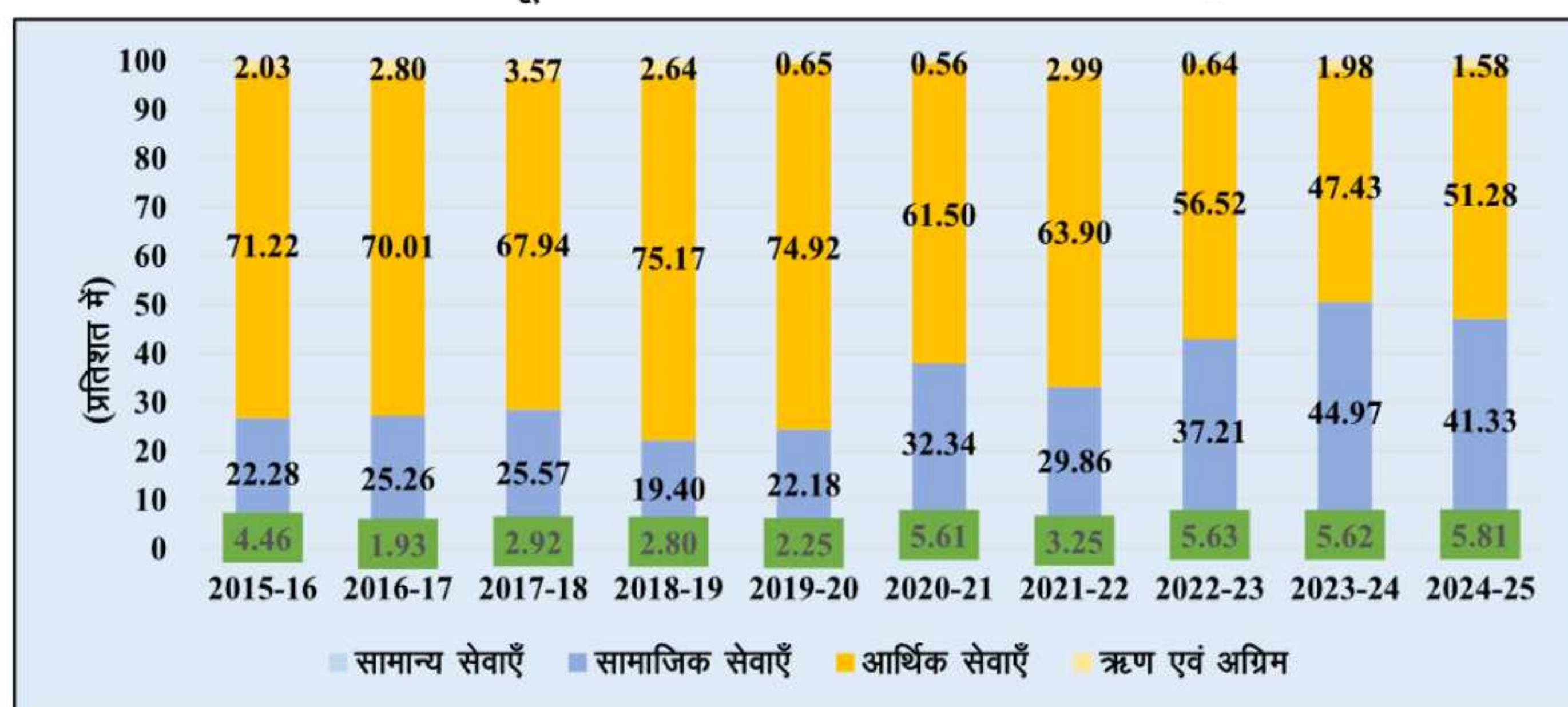
तालिका 1.21: क्षेत्रवार पूंजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

पैरामीटर	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
सामान्य सेवाएँ	362	188	303	256	194
सामाजिक सेवाएँ	1,807	2,461	2,652	1,774	1,912
आर्थिक सेवाएँ	5,776	6,822	7,046	6,874	6,460
ऋण एवं अग्रिम	165	273	370	241	56
पैरामीटर	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
सामान्य सेवाएँ	509	352	755	884	1,184
सामाजिक सेवाएँ	2,935	3,234	4,989	7,074	8,422
आर्थिक सेवाएँ	5,581	6,919	7,577	7,460	10,449
ऋण एवं अग्रिम	51	324	86	312	322

स्रोत: वित्त लेखे

चार्ट 1.24: पूंजीगत व्यय में विभिन्न क्षेत्रों का सापेक्ष हिस्सा



स्रोत: वित्त लेखे

⁶ ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं।

जैसा कि चार्ट 1.24 से देखा जा सकता है, पूंजीगत व्यय में आर्थिक सेवाओं को प्राथमिकता दी गई है, जिसमें 47.43 प्रतिशत से 75.17 प्रतिशत हिस्सेदारी है, इसके बाद सामाजिक सेवाओं (19.40 प्रतिशत से 44.97 प्रतिशत) और सामान्य सेवाओं की प्राथमिकता कुल पूंजीगत व्यय के छह प्रतिशत से कम के साथ सबसे कम है।

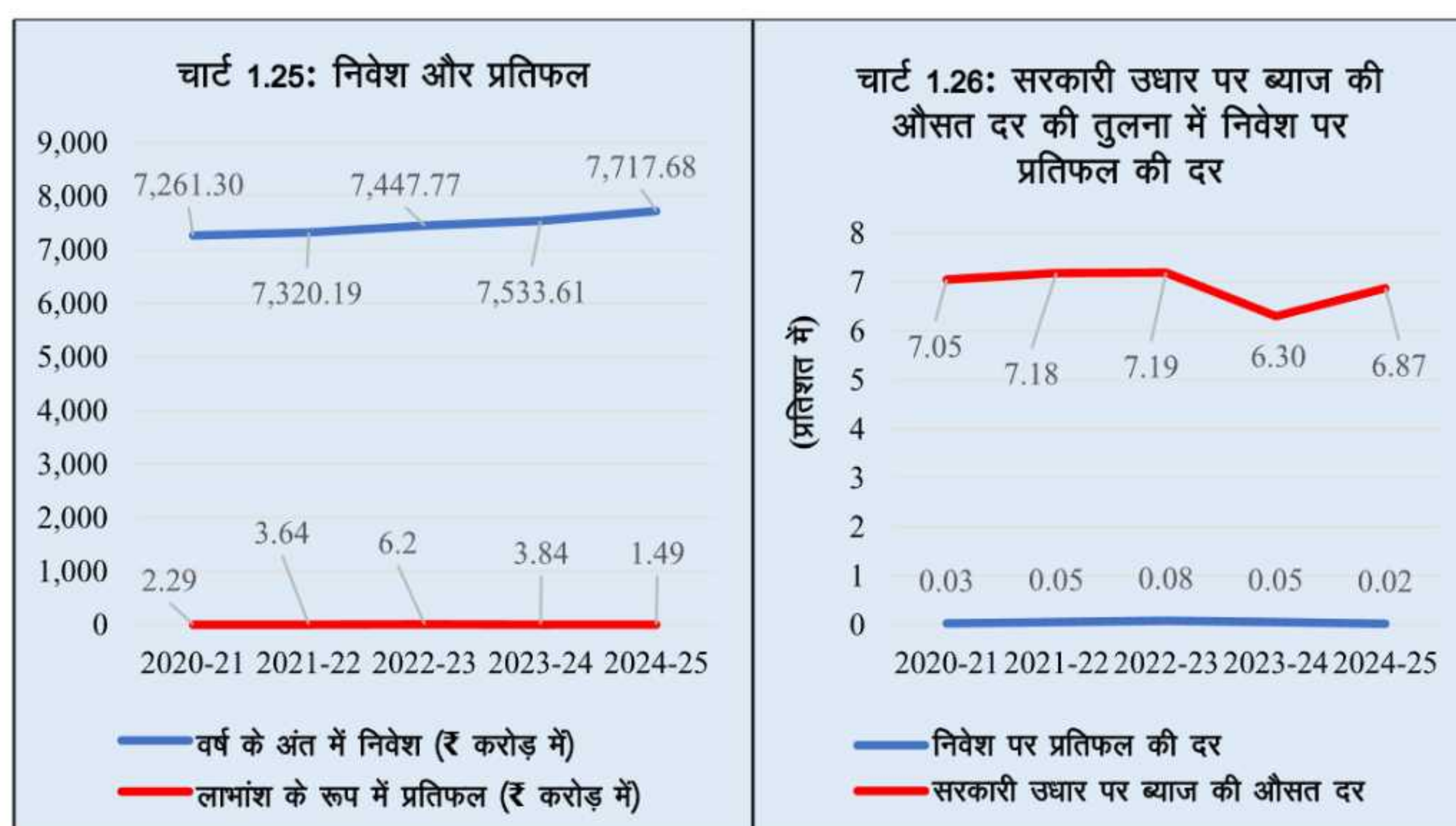
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय सभी पड़ोसी राज्यों झारखंड, ओडिशा और मध्य प्रदेश की तुलना में सबसे कम था, जैसा कि नीचे दिखाया गया है।

कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय					
राज्य	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
छत्तीसगढ़	11.47	12.61	13.58	12.06	13.98
झारखंड	16.66	14.72	21.47	24.48	20.74
ओडिशा	17.02	18.22	21.32	23.63	23.06
मध्य प्रदेश	16.09	19.54	18.97	20.56	22.19

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ राज्य में पूंजीगत व्यय सबसे कम प्राथमिकता पर था।

ख. कंपनियों, निगमों और अन्य निकायों में निवेश की गुणवत्ता

31 मार्च 2025 तक, कंपनियों, निगमों और अन्य निकायों में राज्य शासन का निवेश ₹ 7,717.68 करोड़ था, जिसमें सरकारी कंपनियाँ (₹ 6,782.94 करोड़), सहकारी बैंक और समितियाँ (₹ 340.58 करोड़), सांविधिक निगम (₹ 90.29 करोड़), अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियाँ (₹ 478.72 करोड़) और ग्रामीण बैंक (₹ 25.15 करोड़) शामिल हैं। कंपनियों, निगमों और सहकारी बैंकों और समितियों में वर्ष के अंत में निवेश के रुझान और इन निवेशों पर प्रतिफल को चार्ट 1.25 में दर्शाया गया है। सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर की तुलना में किए गए निवेश पर प्रतिफल की दर को चार्ट 1.26 में दर्शाया गया है।



वर्ष 2024-25 के दौरान, निवेश पर प्रतिफल ₹ 1.49 करोड़⁷ (0.02 प्रतिशत) था (ऐतिहासिक लागत के आधार पर और शुद्ध वर्तमान मूल्य के आधार पर नहीं)। वर्ष 2020-25 के दौरान प्रतिफल

⁷ सांविधिक निगम (₹ 1.01 करोड़); और सहकारी बैंक तथा समितियाँ (₹ 0.48 करोड़)।

केवल 0.02 प्रतिशत और 0.05 प्रतिशत के बीच था, जबकि इसी अवधि के दौरान राज्य शासन द्वारा अपने उधारों पर भुगतान की गई ब्याज की औसत दर 6.30 प्रतिशत और 7.19 प्रतिशत के बीच थी।

सरकारी निवेश से लगातार कम प्रतिफल, जो लगातार सरकारी उधार की लागत से कम होता है, सार्वजनिक धन के अकुशल उपयोग का संकेत देता है और राजकोषीय तनाव को बढ़ाता है। यह अंतर इस बात पर प्रकाश डालता है कि अधिकांश सरकारी कंपनियां और निगम या तो न्यूनतम लाभ कमा रहे हैं या घाटे में चल रहे हैं, जिनमें से केवल कुछ ही नियमित रूप से लाभांश का भुगतान करते हैं।

लाभांश नीति का अभाव और इसका प्रभाव

लाभ कमाने वाले उद्यमों से न्यूनतम लाभ को अनिवार्य करने वाली एक अच्छी तरह से परिभाषित लाभांश नीति, राज्य शासन को एसपीएसई में निवेश से अपने प्रतिफल को इष्टतम बनाने में सक्षम बनाती है और एसपीएसई के वित्तीय प्रदर्शन की निगरानी को बढ़ाती है। यह देखा गया कि राज्य शासन ने दिसंबर 2025 में एक लाभांश नीति तैयार की है, जिसके अनुसार लाभ कमाने वाले सभी एसपीएसई वार्षिक लाभांश के रूप में शुद्ध लाभ का न्यूनतम 30 प्रतिशत यानी कर के बाद लाभ का भुगतान सुनिश्चित करेंगे। इसके परिणामस्वरूप शासन के पर्याप्त इक्विटी निवेश पर लगातार कम रिटर्न (निवेश का 0.21 प्रतिशत) हुआ है, जिससे करेतर राजस्व सृजन की संभावना कम हो गई है।

लाभांश की प्राप्ति न होने से होने वाली राजस्व हानि

पिछले वित्तीय वर्ष (2023-24) के दौरान, 14 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने ₹ 1,435.95 करोड़ का लाभ दर्ज किया, हालांकि केवल एक एसपीएसई (छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड) ने ₹ 2.35 करोड़ का लाभांश दिया। राज्य शासन ने इन संस्थाओं से लाभांश का समय पर और पूर्ण संग्रह सुनिश्चित नहीं किया।

राज्य शासन द्वारा ऋण और अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों और कंपनियों में निवेश के अलावा, राज्य शासन कई संस्थानों/संगठनों को ऋण और अग्रिम भी प्रदान कर रही है। तालिका 1.22 में 31 मार्च 2025 तक बकाया ऋणों और अग्रिमों की स्थिति और पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्य शासन द्वारा उधारों पर ब्याज भुगतान की तुलना में ब्याज प्राप्तियों को प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.22: 2015-25 के दौरान वितरित और पुनर्प्राप्त ऋणों की मात्रा

(₹ करोड़ में)

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
बकाया ऋणों का प्रारंभिक शेष	1,395	1,274	942	1,520	1,598
वर्ष के दौरान अग्रिम राशि	165	273	369	240	56
वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि	296	173	138	162	257
बकाया ऋणों का समापन शेष	1,264	1,374	1,172	1,598	1,397
शुद्ध जोड़	-129	100	230	78	-201
प्राप्त ब्याज	47	30	28	28	2
सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज दर (प्रतिशत)	3.54	2.28	2.61	1.82	0.11
सरकारी ऋणों पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	7.85	7.99	7.55	6.92	7.37
प्राप्त ब्याज की दर और भुगतान किए गए ब्याज के बीच का अंतर (प्रतिशत)	-4.31	-5.71	-4.94	-5.10	-7.26

विवरण	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
बकाया ऋणों का प्रारंभिक शेष	1,397	1,174	1,410	1,378	1,651
वर्ष के दौरान अग्रिम राशि	51	324	86	311	322
वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि	105	88	118	25	24
बकाया ऋणों का समापन शेष	1,343	1,410	1,378	1,665	1,949
शुद्ध जोड़	-54	236	-32	287	298
प्राप्त ब्याज	7	3	37	48	58
सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज दर (प्रतिशत)	0.50	0.24	2.66	3.19	3.24
सरकारी ऋणों पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	7.05	7.18	7.19	6.30	6.87
प्राप्त ब्याज की दर और भुगतान किए गए ब्याज के बीच का अंतर (प्रतिशत)	-6.55	-6.94	-4.53	-3.11	-3.63

स्रोत: वित्त लेखे

पिछले वर्ष के 311.49 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2024-25 के दौरान 321.66 करोड़ की ऋण राशि वितरित की गई। राज्य शासन द्वारा दिए गए ऋणों पर ₹ 58.49 करोड़ का ब्याज प्राप्त हुआ। मार्च 2025 के अंत में, शासन के पास ₹ 1,949.08 करोड़ के बकाया ऋण और अग्रिम थे, जिनमें से ₹ 507.65 करोड़ शहरी विकास प्राधिकरणों से संबंधित हैं, ₹ 322.51 करोड़ सरकारी कंपनियों से संबंधित हैं और ₹ 482.28 करोड़ सहकारी समितियों/निकायों से संबंधित हैं।

ऋण की अदायगी में बकाया होने के बावजूद सहकारी चीनी मिलों को नए ऋण का वितरण

सहकारी चीनी मिलों को वित्तीय सहायता नियम 2014 के नियम 03(02) में कहा गया है कि केवल उन्हीं चीनी मिलों को ऋण दिया जाना था जो सरकारी धन को चुकाने की क्षमता रखते थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ऋणों के पुनर्भुगतान में बकाया होने के बावजूद, राज्य शासन द्वारा चार सहकारी चीनी मिलों को ₹ 48 करोड़ के नए ऋण दिए गए, जिनके नाम हैं – लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल शुगर मिल लिमिटेड (₹ 13 करोड़), भोरमदेव सहकारी शुगर मिल लिमिटेड (₹ 13 करोड़), महामाया सहकारी शुगर मिल लिमिटेड (₹ 16 करोड़), दंतेश्वरी मैया सहकारी शुगर मिल लिमिटेड (₹ 6 करोड़)।

1.3 आकस्मिकता निधि

छत्तीसगढ़ शासन की आकस्मिकता निधि का उद्देश्य राज्य विधानसभा द्वारा प्राधिकार प्राप्त होने तक अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए अग्रिम प्रदान करना है। विधानमंडल द्वारा अतिरिक्त व्यय को मंजूरी देने के बाद निधि की वसूली की जाती है। इस निधि की संचित निधि ₹ 100 करोड़ है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, विभिन्न बजटीय शीर्षों (2055-पुलिस ₹ 37.41 करोड़, 2202-सामान्य शिक्षा ₹ 17.43 करोड़, 2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण ₹ 38.59 करोड़) के तहत निधि से ₹ 136.84 करोड़ की निकासी की गई थी, हालांकि, वित्त वर्ष 2024-25 के अंत तक ₹ 37.41 करोड़ की कुल राशि की भरपाई नहीं की गई थी। 31 मार्च 2025 तक, आकस्मिकता निधि में केवल ₹ 62.59 करोड़ की शेष राशि थी।

आकस्मिकता निधि से किए गए व्यय के विवरण पर अध्याय-II के पैराग्राफ संख्या 2.6 में चर्चा की गई है।

1.4 लोक लेखा

लघु बचत, भविष्य निधियां, आरक्षित निधियां, जमा राशियां, सस्पेंस, प्रेषण आदि जैसे कतिपय लेन-देनों के संबंध में प्राप्तियां और संवितरण, जो संचित निधि का हिस्सा नहीं हैं, संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखा में रखे जाते हैं और राज्य विधानमंडल द्वारा मतदान के अध्याधीन नहीं होते हैं। वर्ष के दौरान संवितरण के बाद शेष राशि विभिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोग के लिए शासन के पास उपलब्ध निधि है।

1.4.1 निवल लोक लेखा शेष

राज्य के लोक लेखा में घटक-वार निवल शेष तालिका 1.23 में दी गई है।

तालिका 1.23: लोक लेखे में घटक-वार निवल शेष

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	उप-क्षेत्र	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
लघु बचत, भविष्य निधियां, आदि।	लघु बचत, भविष्य निधियां, आदि।	(-)8,021.40	(-)8,020.50	(-)9,326.98	(-)10,848.71	(-)12,529.15
आरक्षित निधि	(क) ब्याज वाली आरक्षित निधियां	(-)614.84	(-)769.36	(-)265.27	(-)697.48	(-)1,422.80
	(ख) ब्याज न देने वाली आरक्षित निधियां	(-)1,384.75	(-)1,683.77	(-)2,006.47	(-)2,340.27	(-)1,994.12
जमा और अग्रिम	(क) ब्याज वाली जमा राशियां	(-)33.16	(-)28.27	(-)8.30	(-)1.16	(+)4.98
	(ख) ऐसी जमा राशियां जिन पर ब्याज नहीं लगेगा	(-)5,951.96	(-)5,758.23	(-)6,138.62	(-)6,404.18	(-)6,757.29
	(ग) अग्रिम	(+)1.84	(+)7.35	(+)7.00	(+)7.10	(+)7.10
सस्पेंस और विविध	(क) सस्पेंस	(-)20.08	(-)84.64	(-)180.88	(-)124.65	(-)211.03
	(ख) अन्य लेखे	(+)3,344.86	(+)3,299.78	(+)440.13	(+)5,888.62	(+)3,686.37
	(ग) विदेशी सरकारों के साथ लेखे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(घ) विविध	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
प्रेषण	(क) मनी ऑर्डर, और अन्य प्रेषण	(+)240.97	(+)245.09	(+)197.03	(+)261.15	(+)355.71
	(ख) अंतर-सरकारी समायोजन लेखे	(+)88.41	(+)91.13	(+)101.63	(+)90.35	(+)1,782.99
कुल		(-)12,350.11	(-)12,701.42	(-)17,180.73	(-)14,169.23	(-)17,077.24

स्रोत: वित्त लेखे

नोट: +आंकड़े डेबिट बैलेंस को दर्शाते हैं और -आंकड़े क्रेडिट बैलेंस को दर्शाते हैं।

1.4.2 आरक्षित निधियां

आरक्षित निधियां राज्य शासन के लोक लेखा के अंतर्गत विशिष्ट और परिभाषित उद्देश्यों के लिए सृजित की जाती हैं। इन निधियों की पूर्ति संचित निधि से प्राप्त अंशदान या अनुदान या बाहरी एजेंसियों से प्राप्त धन से की जाती है। इसमें ब्याज देने वाली आरक्षित निधियां और ब्याज न देने वाली आरक्षित निधियां शामिल हैं।

31 मार्च 2025 तक तीन ब्याज देने वाली आरक्षित निधियां और नौ ब्याज न देने वाली आरक्षित निधियां शामिल हैं। 31 मार्च 2025 तक इन आरक्षित निधियों में पड़ी शेष निधि तालिका 1.24 में दी गई है।

तालिका 1.24: प्रमुख आरक्षित निधियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	आरक्षित निधि का नाम	प्रारंभिक संतुलन	वर्ष के दौरान प्राप्ति	ब्याज प्राप्ति	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	31 मार्च 2025 तक शेष राशि
क	ब्याज देने वाली आरक्षित निधियां	4,073.18	1,832.84	245.89	812.08	5,093.95
1	राज्य आपदा राहत निधि	489.93	572.40	16.12	312.08	750.26
2	राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि	3,383.83	1,130.78	221.16	500.00	4,014.61
3	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि	199.42	129.66	8.61	0.00	329.08
ख	ब्याज न देने वाली आरक्षित निधियां	6,621.52	1,767.78	0.00	664.72	7,724.58
1	निक्षेप निधि	3,701.94	480.00		0.00	4,181.94
2	अकाल राहत निधि	4.16	0.02		0.00	4.18
3	राजस्व आरक्षित निधि	4.62	0.00		0.00	4.62
4	शैक्षिक प्रयोजन के लिए विकास निधि	0.03	0.00		0.00	0.03
5	कृषि प्रयोजन के लिए विकास निधि	0.06	0.00		0.00	0.06
6	विद्युत विकास निधि	112.39	340.00		234.82	217.57
7	अन्य विकास एवं कल्याण निधि	2,783.31	462.76		429.90	2,816.17
अ	पर्यावरण निधि ⁸	295.06	19.30		29.73	284.63
ब	ग्राम विकास निधि	375.38	0.00		0.00	375.38
स	वन विकास निधि	15.53	0.00		0.00	15.53
द	पंचायत भूमि राजस्व उपकर और स्टॉप शुल्क निधि	182.01	70.00		70.00	182.01
य	अधोसंरचना निधि	129.35	0.00		76.12	53.24
र	छत्तीसगढ़ राज्य पेंशन निधि	737.09	373.46		0.00	1,110.54
ल	छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निधि	1,048.89	0.00		254.05	794.84
8	प्रत्याभूति मोचन निधि	15.00	485.00		0.00	500.00
9	अन्य निधि	0.01	0.00		0.00	0.01
महायोग		10,689.51	3,581.31	245.89	1,476.78	12,794.04

स्रोत: वित्त लेखे

⁸ इसमें सरकारी योगदान पर लाभांश भी शामिल है।

ऊपर दर्शाई गई आरक्षित निधियां सकल शेष राशि हैं जिनमें ₹ 9,401.62 करोड़ का आरक्षित निधि निवेश शामिल है। उपर्युक्त निधियों में से निम्नलिखित निधियां निष्क्रिय हैं – राजस्व आरक्षित निधि, शैक्षिक प्रयोजन के लिए विकास निधि (वर्ष 2011-12 से निष्क्रिय), कृषि प्रयोजन के लिए विकास निधि (वर्ष 2000-01 से निष्क्रिय), ग्राम विकास निधि (वर्ष 2007-08 से निष्क्रिय), अन्य निधियां (वर्ष 2000-01 से निष्क्रिय)।

1.4.3 रोकड़ शेष

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के साथ समझौते के अनुसार, राज्य सरकारों को बैंक के साथ न्यूनतम दैनिक रोकड़ शेष बनाए रखना चाहिए। यदि शेष राशि इस न्यूनतम से कम हो जाती है, तो कमी को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर संशोधित डब्ल्यूएमए सीमा के साथ अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए)/विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ)/ओवरड्राफ्ट (ओडी) जैसे साधनों के माध्यम से पूरा किया जाता है।

राज्य शासन भारत सरकार की प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों में निर्धारित आरक्षित निधियों सहित आधिक्य रोकड़ शेष का निवेश करती है। इन निवेशों से होने वाली आय '0049-ब्याज प्राप्ति' के तहत जमा की जाती है।

राज्य शासन के लिए यह अवांछनीय है कि वह बड़े अप्रयुक्त नकद शेष रखते हुए बाजार ऋण जुटाए, क्योंकि इससे उत्पादक उपयोग के बजाय निष्क्रिय धन की ओर जाता है। वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए रोकड़ शेष और निवेश विवरण तालिका 1.25 में दिए गए हैं।

तालिका 1.25: रोकड़ शेष और उनका निवेश

(₹ करोड़ में)

	01 अप्रैल 2024 की स्थिति में प्रारंभिक शेष	31 मार्च 2025 की स्थिति में अंतिम शेष
(अ) सामान्य रोकड़ शेष		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमा	194.40	223.19
"रोकड़ शेष निवेश लेखा" में किया गया निवेश	5,933.48	3,730.77
योग (अ)	6,127.88	3,953.96
(ब) अन्य रोकड़ शेष और निवेश		
विभागीय अधिकारियों जैसे वन तथा लोक निर्माण विभाग, राज्यपाल के सैनिक सचिव के पास रोकड़	12.07	12.43
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी पेशगी राशियां	0.34	0.34
विशिष्ट उद्देश्य हेतु निधियों का निवेश	7,656.95	9,401.62
योग (ब)	7,669.36	9,414.39
योग (अ) तथा (ब)	13,797.24	13,368.35
अर्जित ब्याज	26.41	290.47

स्रोत: वित्त लेखे

पिछले दस वर्षों के दौरान रोकड़ शेष निवेश खाते का विवरण तालिका 1.26 में दिया गया है।

तालिका 1.26: रोकड़ शेष निवेश खाता (प्रमुख शीर्ष-8673)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	अंतिम शेष	वृद्धि(+)/कमी(-)	अर्जित ब्याज
2015-16	-1.26	1,856.17	1,857.43	50.35
2016-17	1,856.17	2,512.00	655.83	126.78

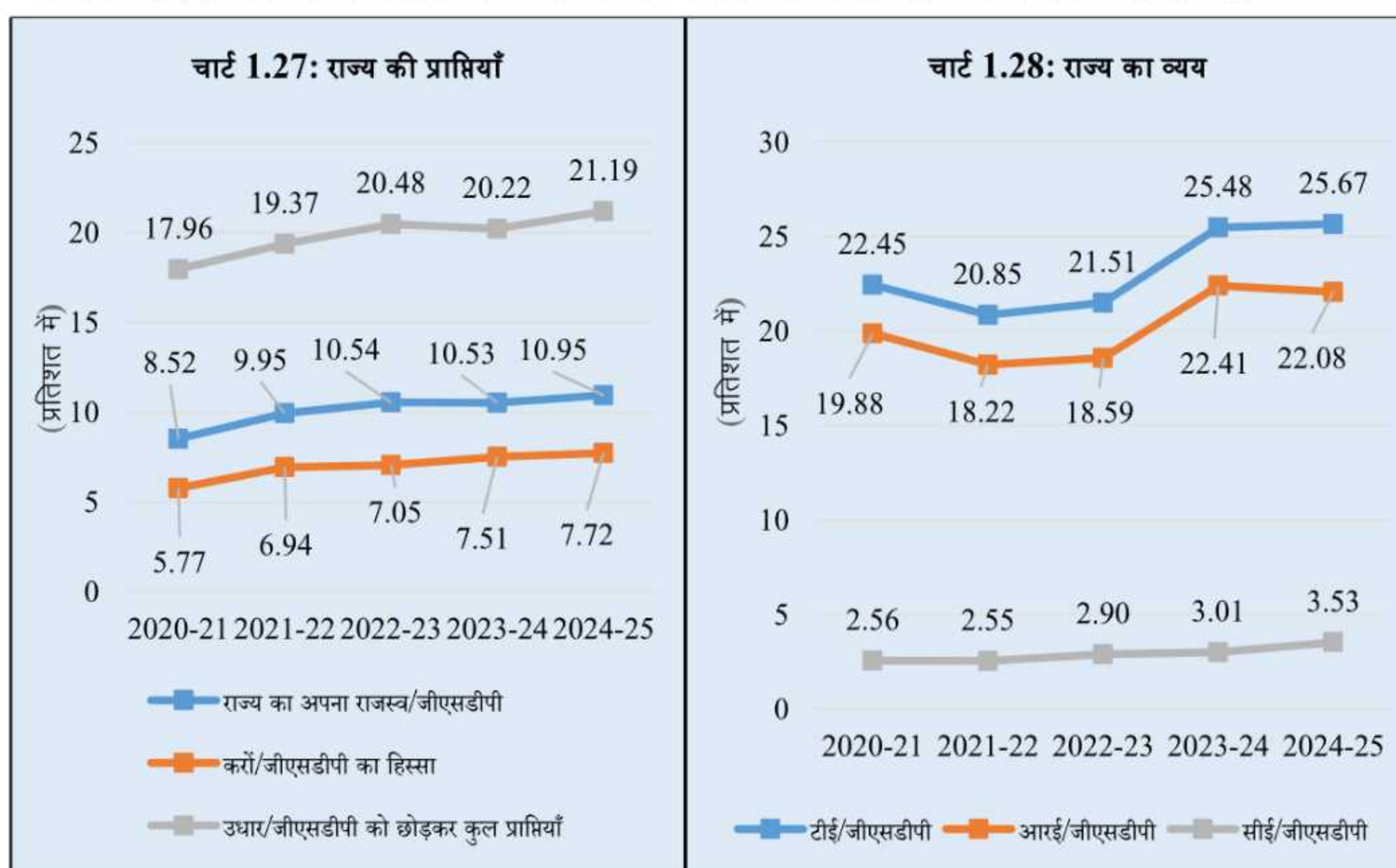
2017-18	2,512.00	4,070.85	1,558.85	140.20
2018-19	4,070.85	9,759.02	5,688.16	144.33
2019-20	9,759.02	5,246.81	(-)4,512.21	196.10
2020-21	5,246.81	3,389.68	(-)1,857.13	29.66
2021-22	3,389.68	3,345.39	(-)44.29	28.23
2022-23	3,345.39	485.61	(-)2,859.78	41.70
2023-24	485.61	5,933.48	5,447.87	26.41
2024-25	5,933.48	3,730.78	(-)2,202.71	290.47

स्रोत: वित्त लेख

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एक समझौते के तहत छत्तीसगढ़ शासन को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ ₹ 0.72 करोड़ का अपेक्षित न्यूनतम नकद शेष बनाए रखना होता है। यदि शेष राशि किसी भी दिन सहमत न्यूनतम शेष राशि से कम हो जाती है, तो साधारण और विशेष अर्थोपाय अग्रिम या साधारण अर्थोपाय अग्रिम लेकर कमी को पूरा किया जाता है। राज्य शासन 356 दिनों के लिए ₹ 0.72 करोड़ का न्यूनतम नकद शेष बनाए रखने में सक्षम थी और उसे नौ दिनों के लिए विशेष आहरण सुविधा लेकर न्यूनतम शेष राशि बनाए रखनी पड़ी। राज्य शासन को वर्ष 2024-25 के दौरान एसडीएफ पर ब्याज के रूप में ₹ 0.88 करोड़ का भुगतान करना पड़ा।

1.5 राजकोषीय स्थिरता

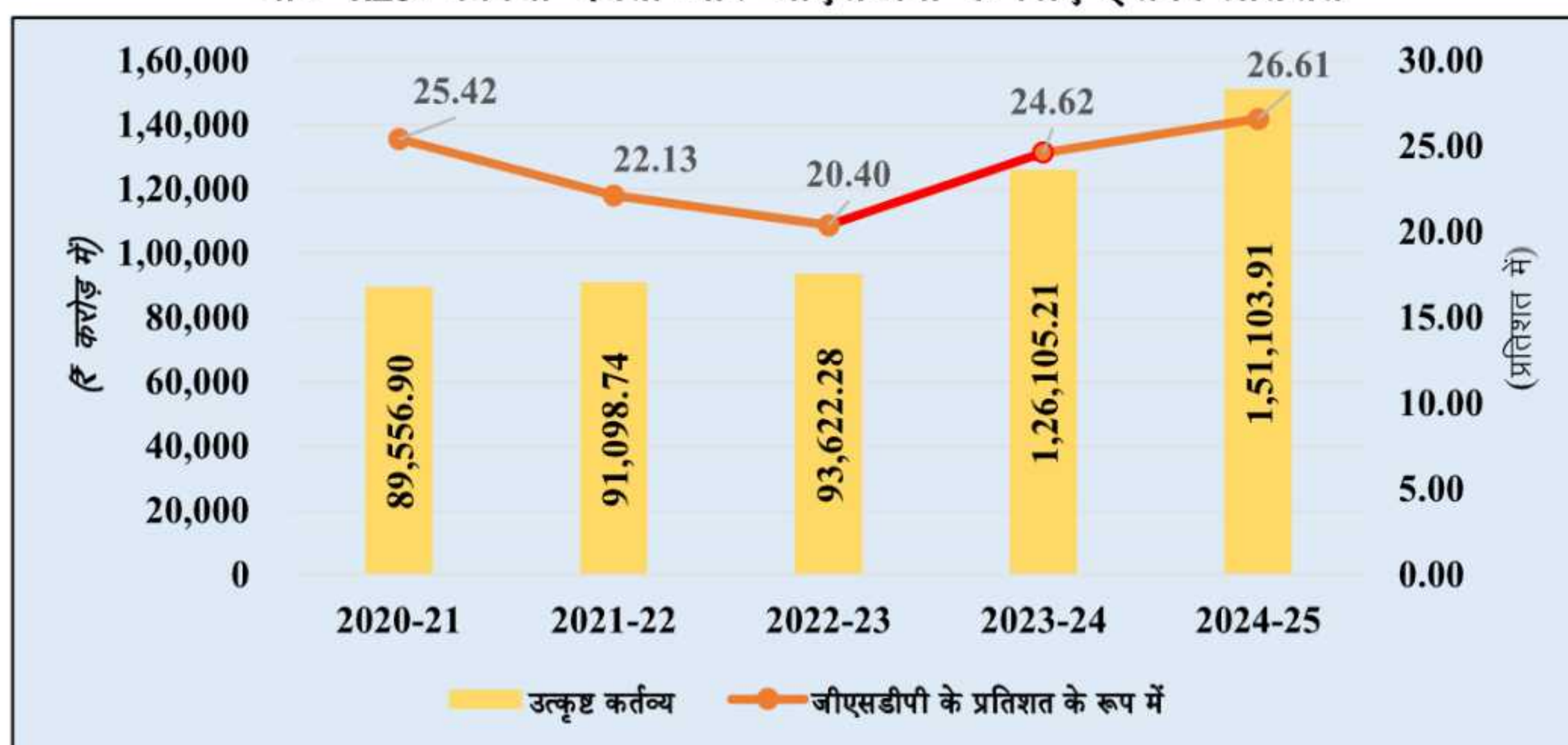
राजकोषीय स्थिरता एक शासन की अपने राजस्व और व्यय को इस तरह से प्रबंधित करने की क्षमता है जो यह सुनिश्चित करती है कि वह अपने वर्तमान और भविष्य के दायित्वों जैसे सार्वजनिक सेवाओं, बुनियादी ढांचे और ऋण चुकौती को अत्यधिक उधार लिए या अस्थिर ऋण जमा किए बिना पूरा कर सके। इसका तात्पर्य लंबी अवधि में राजस्व सृजन और व्यय के बीच एक स्थिर संतुलन बनाए रखना है। चार्ट 1.27 और चार्ट 1.28 क्रमशः वित्त वर्ष 2020-25 के दौरान जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राज्य की प्राप्तियों और व्यय को दर्शाता है।



1.5.1 लोक दायित्व प्रबंधन

वर्ष 2020-21 से 2024-25 के लिए जीएसडीपी के प्रतिशत के साथ राज्य की बकाया देयता को चार्ट 1.29 में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.29: बकाया देयता और जीएसडीपी के लिए इसका प्रतिशत



स्रोत: वित्त लेखे

* बकाया ऋण में जीएसटी मुआवजे की कमी के बदले भारत सरकार से लिए गए बैंक-टू-बैंक ऋण शामिल नहीं हैं, जिनका भुगतान राज्य को अपने स्रोत से नहीं करना है।

1.5.1.1 देयता प्रोफाइल: घटक

राज्य शासन की कुल देनदारियां आमतौर पर राज्य के आंतरिक ऋण (बाजार ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक से अग्रिम तौर-तरीके और साधन अग्रिम, राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां और वित्तीय संस्थानों से ऋण, आदि), केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम, और लोक लेखा देनदारियों का गठन करती हैं। 2015-16 से शुरू होने वाले दस वर्षों की अवधि के लिए राज्य के घटक-वार देयता रुझान तालिका 1.27 में प्रस्तुत किए गए हैं।

तालिका 1.27: घटक-वार देयता की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

राजकोषीय दायित्व के घटक	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
बकाया कुल देयता*	37,741	44,258	52,937	66,750	78,712
लोक ऋण	26,050	30,377	39,030	52,254	63,147
आंतरिक ऋण	24,215	28,330	36,690	49,554	60,383
भारत सरकार से ऋण	1,836	2,047	2,340	2,700	2,764
लोक लेखे की देयतायें	11,691	13,881	13,907	14,495	15,566
छोटी बचत, भविष्य निधि आदि	4,166	5,435	6,078	6,832	7,618
ब्याज देने वाली आरक्षित निधियां	370	693	203	401	1,102
ब्याज न देने वाली आरक्षित निधियां	1,588	1,635	1,387	1,255	1,363
ब्याज देने वाली जमा राशि	72	71	50	43	37
ब्याज नहीं देने वाली जमा राशियां	5,495	6,047	6,189	5,964	5,446
बकाया कुल देयता की वृद्धि दर (प्रतिशत)	21.82	17.27	19.61	26.09	17.92
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)	2,25,163	2,62,802	2,82,737	3,27,107	3,44,672
बकाया कुल देयता/जीएसडीपी (प्रतिशत)	16.76	16.84	18.72	20.41	22.84
उधार और अन्य देनदारियां					
कुल प्राप्तियां	12,902	11,804	15,851	20,737	31,922
कुल पुनर्भुगतान	6,067	6,114	7,203	6,924	19,959
शुद्ध धन उपलब्ध है	6,836	5,690	8,649	13,813	11,963
पुनर्भुगतान/प्राप्तियां (प्रतिशत)	47.02	51.80	45.44	33.39	62.52

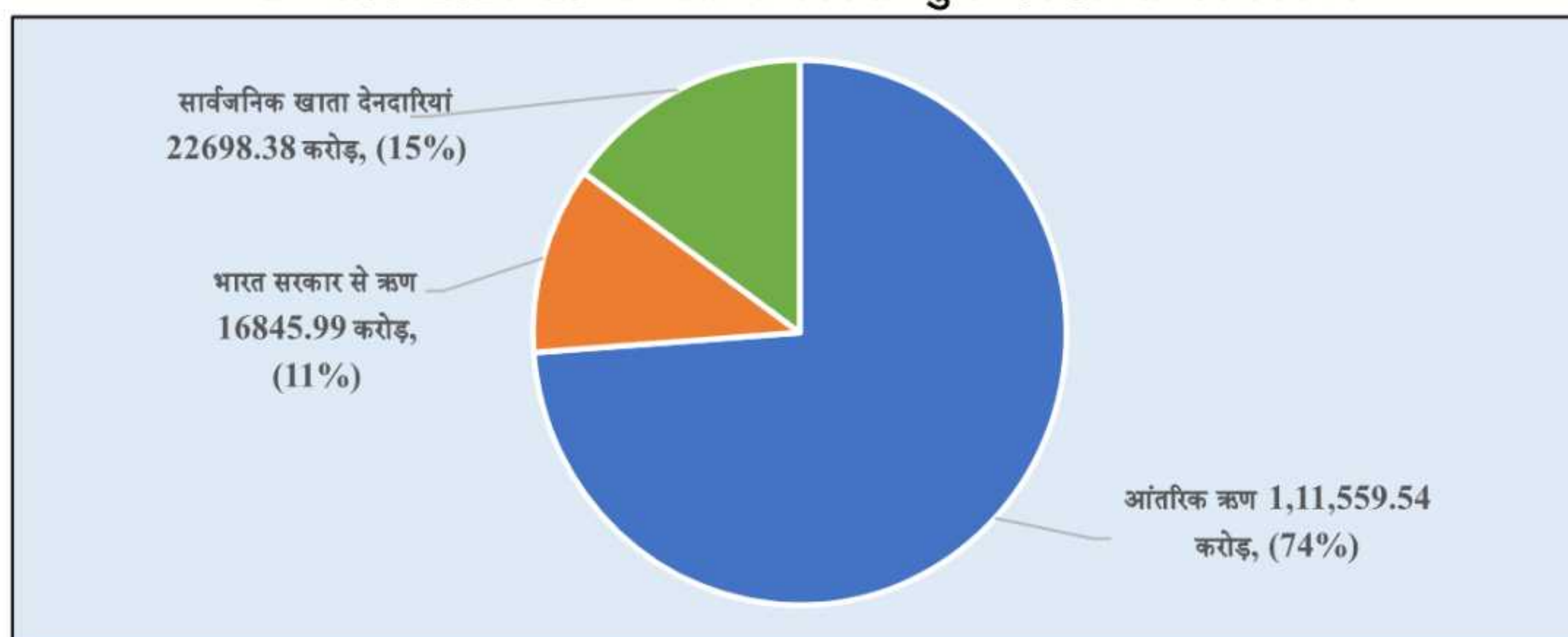
राजकोषीय दायित्व के घटक	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
बकाया कुल देयता*	89,557	91,099	93,622	1,26,105	1,51,104
लोक ऋण	73,551	74,839	75,877	1,05,813	1,28,406
आंतरिक ऋण	70,490	71,187	68,755	95,140	1,11,560
भारत सरकार से ऋण	3,060	3,652	7,122	10,673	16,846
लोक लेखे की देयतायें	16,006	16,260	17,746	20,292	22,698
छोटी बचत, भविष्य निधि आदि	8,021	8,021	9,327	10,849	12,529
ब्याज देने वाली आरक्षित निधियां	615	769	265	697	1,423
ब्याज न देने वाली आरक्षित निधियां	1,385	1,684	2,006	2,340	1,994
ब्याज देने वाली जमा राशि	33	28	8	1	-5
ब्याज नहीं देने वाली जमा राशियां	5,952	5,758	6,139	6,404	6,757
बकाया कुल देयता की वृद्धि दर (प्रतिशत)	13.78	1.72	2.77	34.7	19.82
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)	3,52,328	4,11,613	4,58,891	5,12,107	5,67,880
बकाया कुल देयता/जीएसडीपी (प्रतिशत)	25.42	22.13	20.40	24.62	26.61
उधार और अन्य देनदारियां					
कुल प्राप्तियां	33,424	28,164	21,972	67,413	47,315
कुल पुनर्भुगतान	19,470	21,657	19,449	34,930	22,317
शुद्ध धन उपलब्ध है	13,953	6,507	2,524	32,483	24,999
पुनर्भुगतान/प्राप्तियां (प्रतिशत)	58.25	76.90	88.51	51.81	47.17

स्रोत: वित्त लेखे

* बकाया ऋण में जीएसटी मुआवजे की कमी के बदले भारत सरकार से लिए गए बैंक-टू-बैंक ऋण शामिल नहीं हैं, जिनका भुगतान राज्य को अपने स्रोत से नहीं करना है।

2024-25 के अंत में बकाया कुल देनदारियों का विवरण चार्ट 1.30 में दिखाया गया है।

चार्ट 1.30: 2024-25 के अंत में बकाया कुल देनदारियों का विवरण



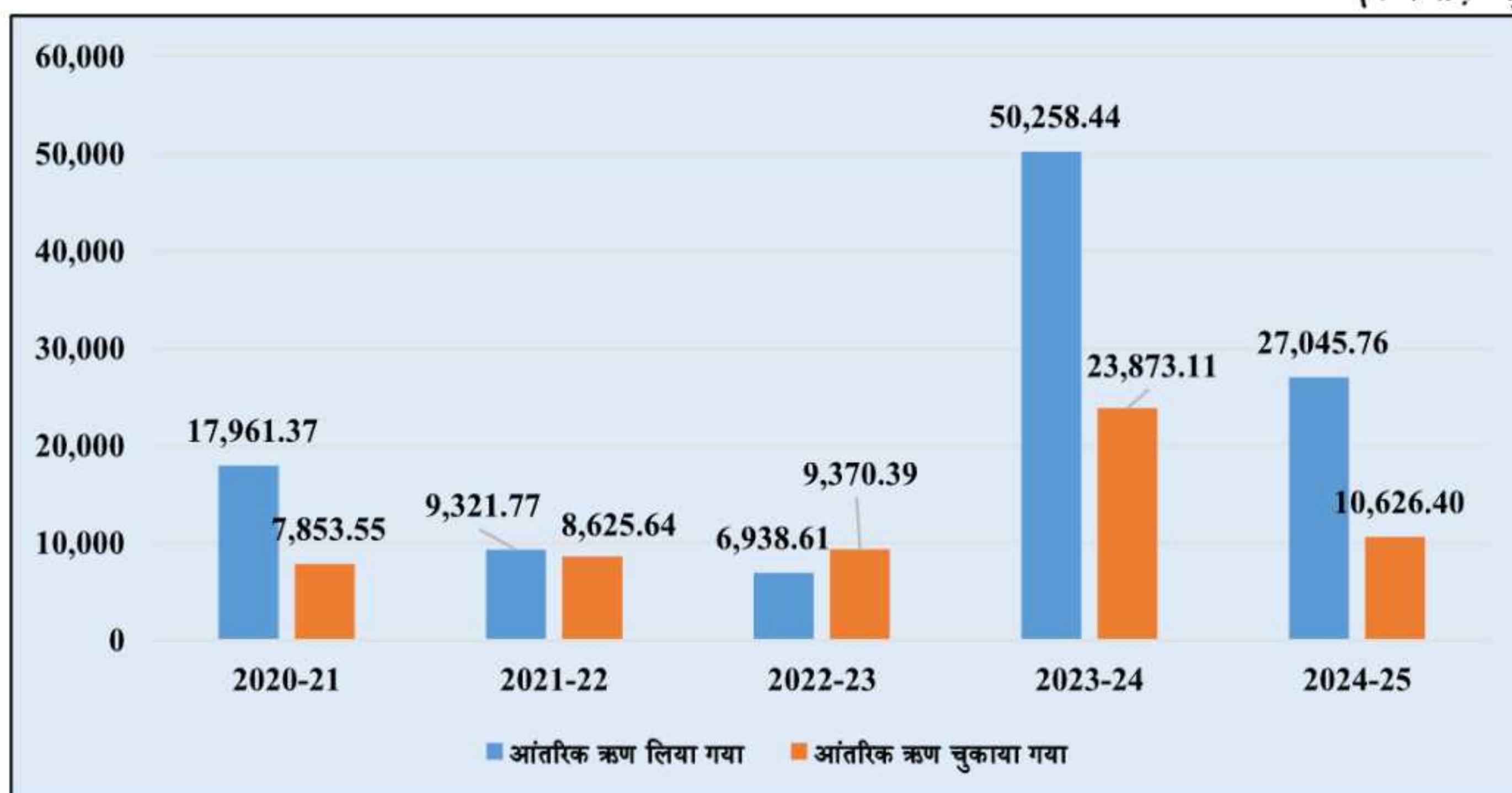
स्रोत: वित्त लेखे

* बकाया ऋण में जीएसटी मुआवजे की कमी के बदले भारत सरकार से लिए गए बैंक-टू-बैंक ऋण शामिल नहीं हैं, जिनका भुगतान राज्य को अपने स्रोत से नहीं करना है।

चार्ट 1.31 पांच वर्ष यानी 2020-25 की अवधि के दौरान चुकाए गए आंतरिक ऋण की मात्रा को दर्शाता है।

चार्ट 1.31: चुकाए गए आंतरिक ऋण की तुलना में लिया गया ऋण

(₹ करोड़ में)



स्रोत: वित्त लेखे

राज्य शासन का आंतरिक ऋण 2020-21 में ₹ 70,490.49 करोड़ से ₹ 41,069.05 करोड़ (58.26 प्रतिशत) बढ़कर 2024-25 में ₹ 1,11,559.54 करोड़ हो गया। 2024-25 के दौरान आंतरिक ऋण पर ब्याज के रूप में ₹ 7,114.65 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया था। आंतरिक ऋण प्राप्तियां 2022-23 में ₹ 6,938.61 करोड़ से ₹ 43,319.83 करोड़ (624.33 प्रतिशत) बढ़कर 2023-24 में ₹ 50,258.44 करोड़ हो गई।

कुल बकाया ऋण-जीएसडीपी अनुपात 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित स्तरों के भीतर रहा, लेकिन बजट अनुमानों में अनुमानित सीमा को पार कर गया। इस पर राज्य शासन ने उत्तर (फरवरी 2026) में कहा कि ₹ 1,51,104 करोड़ की बकाया देनदारियां शामिल हैं, जिनमें ₹ 1,28,406 करोड़ का लोक ऋण और ₹ 22,698 करोड़ की लोक लेखा देनदारियां शामिल हैं। यहां, लोक ऋण में ₹ 13,120 करोड़ के पूंजी निवेश ऋण के लिए राज्यों को 50 वर्ष की ब्याज मुक्त विशेष सहायता (एसएससीआई) शामिल है, लेकिन इसमें जीएसटी बैंक-टू-बैंक ऋण शामिल नहीं हैं। इसलिए, निवल लोक ऋण वास्तव में ₹ 1,15,286 करोड़ (₹ 1,28,406 करोड़ - ₹ 13,120 करोड़) होगा और बकाया देनदारियां ₹ 1,37,984 करोड़ होंगी, जो जीएसडीपी का 24.29 प्रतिशत है। यह (तालिका 1.27) बजट दस्तावेज में दिए गए अनुमानों से कम है। यह उल्लेखनीय है कि जीएसडीपी अनुपात के मुकाबले ऋण में लोक लेखा देनदारियां शामिल नहीं हैं, इसलिए शुद्ध ऋण से जीएसडीपी अनुपात घटकर 20.30 प्रतिशत हो जाएगा।

यह जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बैंक-टू-बैंक ऋण जीएसटी मुआवजे के बदले था और इसे राज्य शासन के संसाधनों से चुकाया नहीं जाना था, इसलिए इसे कुल देनदारी में शामिल नहीं किया गया, जबकि एसएससीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, वित्तीय सहायता राज्य शासन को 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में प्रदान की गई थी, इसलिए बकाया ऋण से जीएसडीपी अनुपात की गणना करते समय इसे शामिल किया जाना चाहिए।

1.5.1.2 उधार ली गई निधियों का उपयोग

उधार ली गई धनराशि का उपयोग आदर्श रूप से पूंजी निर्माण और विकासात्मक गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए किया जाना चाहिए। वर्तमान खपत को पूरा करने और बकाया ऋणों पर ब्याज की अदायगी के लिए उधार ली गई निधियों का उपयोग करना एक स्वस्थ प्रवृत्ति नहीं है।

तालिका 1.28 और चार्ट 1.32 में क्रमशः 2015-25 के दौरान उधार ली गई निधियों के उपयोग और प्रवृत्ति को दर्शाया गया है।

तालिका 1.28: उधार ली गई निधियों का उपयोग

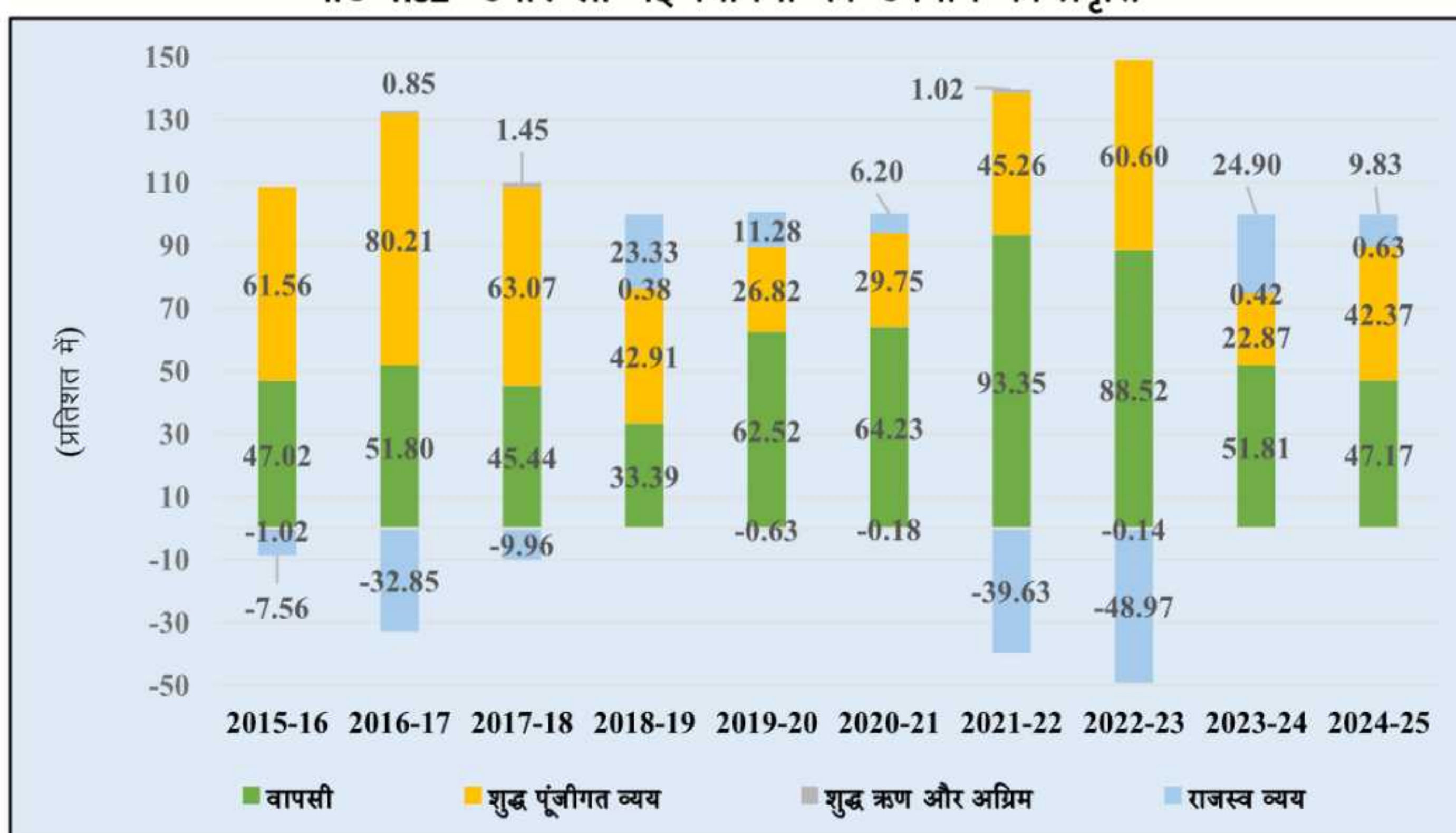
(₹ करोड़ में)

विवरण	कुल उधार*	पहले के उधारों का पुनर्भुगतान (मूलधन)	शुद्ध पूंजीगत व्यय	शुद्ध ऋण और अग्रिम	राजस्व व्यय का हिस्सा शुद्ध उपलब्ध उधारों से पूरा किया जाता है
2015-16	12,902	6,067	7,942	-132	-975
2016-17	11,804	6,114	9,468	100	-3,878
2017-18	15,851	7,203	9,998	230	-1,579
2018-19	20,737	6,924	8,898	78	4,837
2019-20	31,922	19,959	8,562	-201	3,602
2020-21	30,315	19,470	9,019	-54	1,879
2021-22	23,199	21,657	10,499	236	-9,193
2022-23	21,972	19,449	13,315	-31	-10,760
2023-24	67,413	34,930	15,414	286	16,783
2024-25	47,316	22,317	20,050	298	4,651

स्रोत: वित्त लेखे

* बकाया ऋण में जीएसटी मुआवजे की कमी के बदले भारत सरकार से लिए गए बैंक-टू-बैंक ऋण शामिल नहीं हैं, जिनका भुगतान राज्य को अपने स्रोत से नहीं करना है।

चार्ट 1.32: उधार ली गई निधियों का उपयोग की प्रवृत्ति



स्रोत: वित्त लेखे

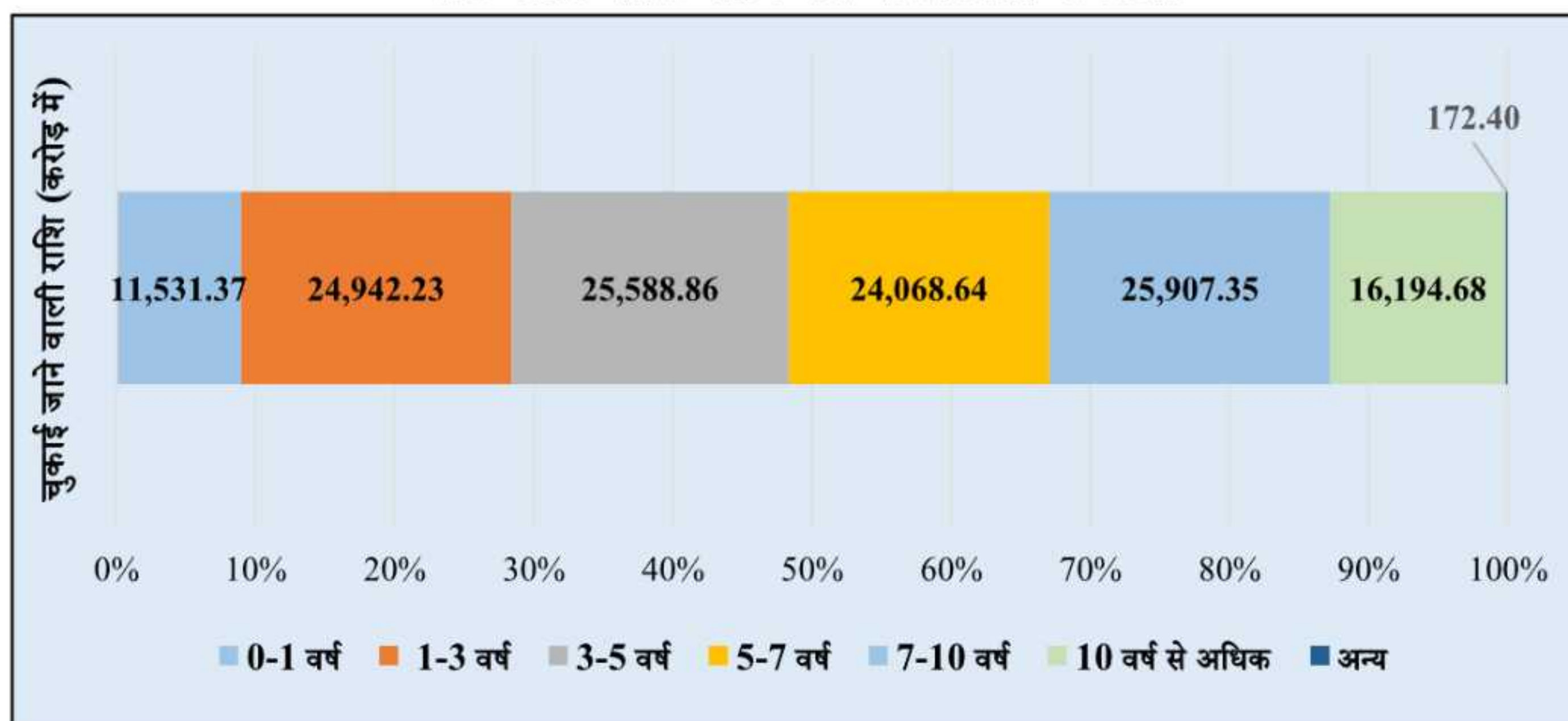
वर्ष 2024-25 के दौरान, उधार ली गई धनराशि का 47 प्रतिशत (₹ 47,315.42 करोड़) का उपयोग पहले के उधारों (₹ 22,316.72 करोड़) के पुनर्भुगतान के लिए किया गया था, जिससे विकास गतिविधियों के लिए उधार ली गई धनराशि का केवल 53 प्रतिशत बचा था। ऋण चुकौती की ओर जाने वाले उधारों के बड़े हिस्से के ऐसे उदाहरण राजकोषीय गुंजाइश को सीमित करते हैं और नियमित जरूरतों के लिए ऋण पर निर्भरता बढ़ाते हैं, जैसा कि पिछले दो वर्षों में देखा गया है कि कुल उधार का 25 प्रतिशत और 10 प्रतिशत क्रमशः 2023-24 और 2024-25 में राजस्व

व्यय के लिए उपयोग किया गया था। यह दीर्घकालिक राजकोषीय स्थिरता को कमजोर करता है और बुनियादी ढांचे में निवेश को बाधित करता है। राज्य को परिसंपत्ति निर्माण पर केंद्रित एक अनुशासित उधार लेने की रणनीति अपनानी चाहिए।

1.5.1.3 ऋण रूपरेखा: परिपक्वता और अदायगी

ऋण परिपक्वता और पुनर्भुगतान रूपरेखा ऋण चुकौती या ऋण अदायगी के लिए शासन की ओर से प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राज्य की ऋण परिपक्वता रूपरेखा को चार्ट 1.33 में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.33: लोक ऋण की परिपक्वता रूपरेखा



स्रोत: वित्त लेखे

* बकाया ऋण में जीएसटी मुआवजे की कमी के बदले भारत सरकार से लिए गए बैंक-टू-बैंक ऋण शामिल नहीं हैं, जिनका भुगतान राज्य को अपने स्रोत से नहीं करना है।

31 मार्च 2025 तक लोक ऋण की परिपक्वता रूपरेखा से संकेत मिलता है कि राज्य को अगले सात वर्षों के भीतर ऋण का 67.07 प्रतिशत भुगतान करना है। अल्प से मध्यम अवधि (0-7 वर्ष) के भीतर परिपक्व होने वाली देनदारियों का ऐसा उच्च सांद्रण संभावित ऋण बंचिंग के मुद्दे को इंगित करता है जिसके परिणामस्वरूप राज्य वित्त पर पुनर्वित्त और नकदी दबाव बढ़ सकता है। इस पर राज्य शासन ने जवाब (फरवरी 2026) में कहा कि सात वर्षों के भीतर 67.07 प्रतिशत ऋण चुकाने की आवश्यकता के बावजूद, राजस्व प्राप्ति के मुकाबले ब्याज भुगतान का वर्तमान अनुपात (7.44 प्रतिशत) 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित 10.00 प्रतिशत के सतत स्तर के भीतर ही बना हुआ है। कुल उधार में से अधिकतम राशि का उपयोग पूंजीगत व्यय के लिए किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप राज्य के लिए परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ था। यह सुनिश्चित करेगा कि उधार ली गई धनराशि भविष्य की पुनर्भुगतान क्षमता का समर्थन करने के लिए दीर्घकालिक आर्थिक मूल्य उत्पन्न करती है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार शुद्ध उधार सीमा तय करता है, लेकिन इसके अलावा पुनर्भुगतान की भी अनुमति देता है। इस प्रकार, एफआरबीएम अधिनियम के अनुसार राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए शुद्ध उधार सीमा केवल एक अतिरिक्त स्थायी उधार सीमा (जीएसडीपी का 3.00 प्रतिशत) है। राज्य के पास संचित निक्षेप निधि (सीएसएफ) में एक मजबूत भंडार (लगभग ₹ 8,900 करोड़) और प्रत्याभूति मोचन निधि (जीआरएफ) में भी ₹ 1,000 करोड़ से अधिक है। इससे नकदी की कमी के कारण होने वाले किसी भी संभावित पुनर्भुगतान से सुरक्षा मिलती है। एक वर्ष में पुनर्भुगतान ₹ 13,000 करोड़ से अधिक नहीं है, जो एक वर्ष में राजस्व प्राप्ति के 10.00 प्रतिशत से कम है।

1.5.1.4 राजकोषीय घाटे की वित्तपोषण संरचना

तालिका 1.29 में 2020-25 के दौरान राजकोषीय घाटे की वित्तपोषण संरचना को दर्शाया गया है।

तालिका 1.29: राजकोषीय घाटे के घटक और इसकी वित्तपोषण संरचना

(₹ करोड़ में)

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
राजकोषीय घाटा	5,444	4,047	6,810	8,292	17,970
राजस्व घाटा/आधिक्य	-2,367	-5,521	-3,417	-684	9,609
शुद्ध पूंजीगत व्यय	7,942	9,468	9,998	8,898	8,562
शुद्ध ऋण और अग्रिम	-132	100	230	78	-201
राजकोषीय घाटे की वित्तपोषण संरचना					
बाजार से लिए गए उधार	4,667	3,898	8,100	12,900	10,980
भारत सरकार से ऋण	-19	212	292	361	64
एनएसएसएफ को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां	5	-421	-431	-444	-456
वित्तीय संस्थानों से ऋण	526	639	691	407	305
छोटी बचत, पीएफ, आदि।	514	427	641	755	785
आरक्षित निधि	390	385	-765	60	814
जमा और अग्रिम	-70	551	121	-231	-524
उचंत तथा विविध	-1,824	-774	-1,611	-5,710	4,505
प्रेषण	-12	49	71	-122	81
मुआवजा और अन्य बांड	822	0	0	0	0
आकस्मिकता निधि	0	0	0	0	0
कुल घाटा	5,000	4,964	7,109	7,975	16,554
रोकड़ शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)	444	-917	-298	317	1,416
सकल राजकोषीय घाटा	5,444	4,047	6,810	8,292	17,970
विवरण	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
राजकोषीय घाटा	15,822	6,093	4,691	26,933	25,447
राजस्व घाटा/अधिशेष	6,857	-4,642	-8,592	11,233	5,099
शुद्ध पूंजीगत व्यय	9,019	10,499	13,315	15,414	20,050
शुद्ध ऋण और अग्रिम	-54	236	-31	286	298
राजकोषीय घाटे की वित्तपोषण संरचना					
बाजार से लिए गए उधार	10,500	1,000	-2,200	26,300	17,000
भारत सरकार से ऋण	3,405	5,557	3,470	3,551	6,173
एनएसएसएफ को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां	-456	-456	-456	-456	-456
वित्तीय संस्थानों से ऋण	112	239	311	628	-38
छोटी बचत, पीएफ, आदि।	404	-1	1,306	1,522	1,680
आरक्षित निधि	-465	454	-181	766	379
जमा और अग्रिम	502	-204	361	258	347
उचंत तथा विविध	1,845	110	2,956	-5,505	2,289
प्रेषण	-51	-7	38	-53	-1,787
मुआवजा और अन्य बांड	0	-87	-87	-87	-87
आकस्मिकता निधि	0	0	0	-13	-24
कुल घाटा	15,796	6,604	5,517	26,912	25,476

रोकड़ शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)	27	-511	-826	21	-29
सकल राजकोषीय घाटा	15,822	6,093	4,691	26,933	25,447

स्रोत: वित्त लेखे

1.5.2 लेखापरीक्षा के बाद के घाटे के संकेतक

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के वित्त लेखे के अनुसार, राज्य का राजस्व घाटा (आरडी) ₹ 5,099.47 करोड़ (जीएसडीपी का 0.90 प्रतिशत) था, राजकोषीय घाटा (एफडी) ₹ 25,447.41 करोड़ (जीएसडीपी का 4.48 प्रतिशत) था, जबकि प्राथमिक घाटा (पीडी) ₹ 16,495.06 करोड़ (जीएसडीपी का 2.90 प्रतिशत) था। तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य सरकार ने राजस्व स्वरूप के ₹ 1,234.79 करोड़ को पूंजीगत व्यय के रूप में, पूंजीगत प्रकृति के ₹ 0.75 करोड़ को राजस्व व्यय के रूप में और ₹ 3,912.32 करोड़ की बजट उधारी की अदायगी को राजस्व व्यय के स्थान पर पूंजीगत व्यय के रूप में गलत वर्गीकृत किया (अध्याय-II के पैरा संख्या 2.5.4 में चर्चा की गई है)। इसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक राजस्व घाटे को कम करके आंका गया और लेखापरीक्षा के बाद राजस्व घाटा ₹ 10,245.83 करोड़ (जीएसडीपी का 1.80 प्रतिशत) हो गया।

1.5.3 राजकोषीय संतुलन: घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की उपलब्धि

वर्ष 2005 के एफआरबीएम अधिनियम और 15वें वित्त आयोग के साथ इसके संशोधनों के अनुसार, राज्य का लक्ष्य है:

- राजस्व घाटे को खत्म करना और राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी के 3 प्रतिशत की सीमा के भीतर बनाए रखना, जिसमें सुधार के लक्ष्यों को पूरा करने पर अतिरिक्त 0.5 प्रतिशत की अनुमति दी जाएगी।
- छत्तीसगढ़ में मध्यावधि राजकोषीय योजना (एमटीएफपी) का भी पालन किया जाता है और आकस्मिक देनदारियों और बजट से इतर उधारों का खुलासा करना अपेक्षित होता है।

वित्त वर्ष 2015-16 से 2024-25 के लिए राज्य एफआरबीएम अधिनियम में निर्धारित वित्तीय लक्ष्यों की तुलना में लेखापरीक्षा के बाद की उपलब्धियों का विवरण तालिका 1.30 में दिया गया है।

तालिका 1.30: लेखा परीक्षा के बाद राज्य एफआरबीएम अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन

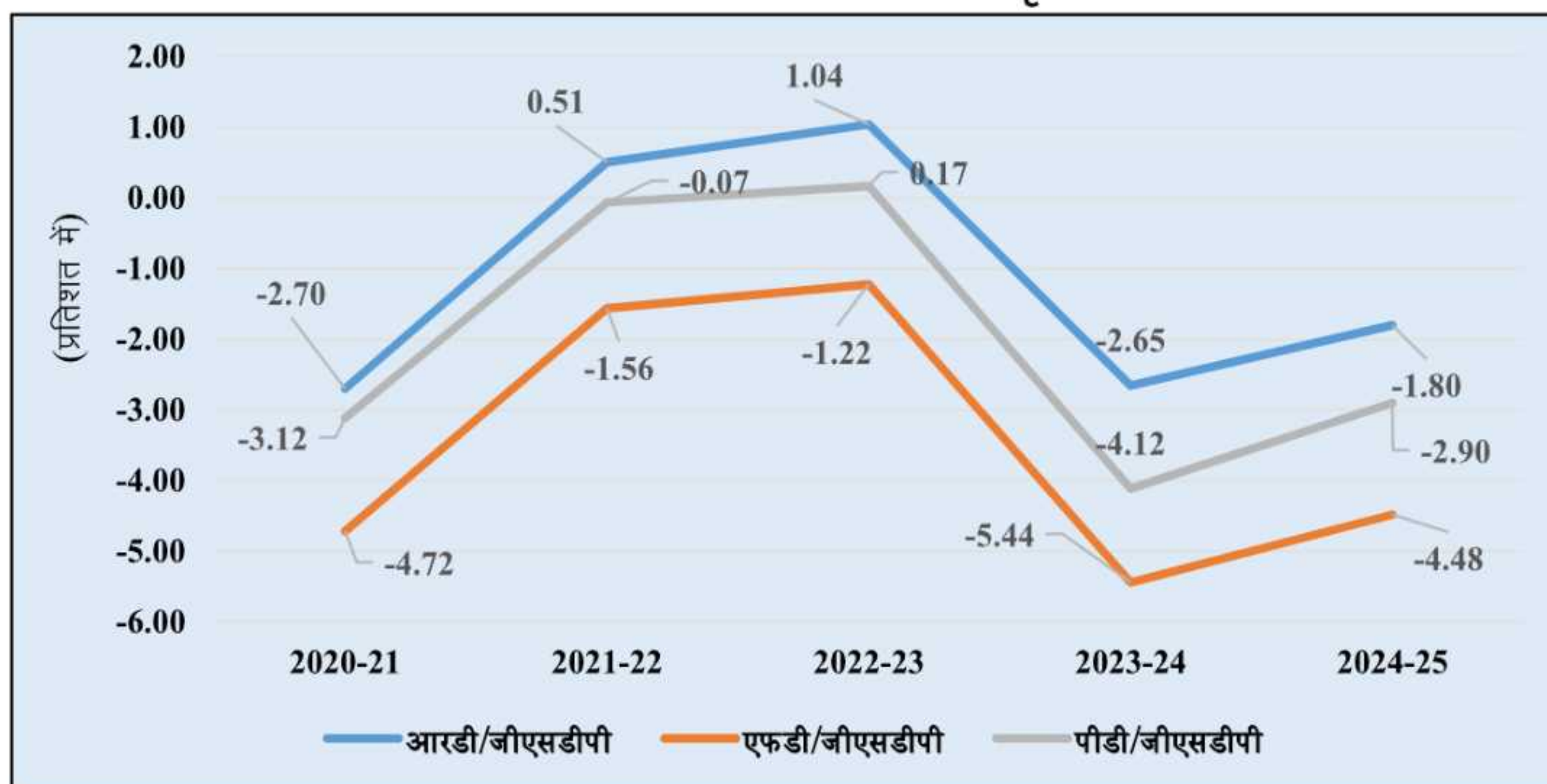
राजकोषीय पैरामीटर		एफसीआर में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धि				
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
राजस्व घाटा(-)/आधिक्य (+) (जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में) #	लक्ष्य	1.85	1.79	1.73	1.32	0.32
	उपलब्धि	0.94	2.10	1.21	0.21	-2.79
राजकोषीय घाटा (-)/आधिक्य (+) (जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में) #	लक्ष्य	-3.50	-3.50	-3.50	-3.50	-5.00
	उपलब्धि	-2.42	-1.54	-2.41	-2.54	-5.21
जीएसडीपी के लिए कुल बकाया देयता का अनुपात (प्रतिशत में)	लक्ष्य	16.09	15.45	18.47	18.06	21.23
	उपलब्धि	16.76	16.84	18.95	20.65	23.04
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान	लक्ष्य	3.59	4.19	4.57	5.14	5.63
	उपलब्धि	4.66	5.00	5.19	5.61	7.78
राजकोषीय पैरामीटर		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25*
राजस्व घाटा (-) / आधिक्य (+) (जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में)	लक्ष्य	0.67	0.96	0.16	0.69	0.20
	उपलब्धि	-2.70	0.51	1.04	-2.65	-1.80
राजकोषीय घाटा (-) / अधिशेष (+) (जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में)	लक्ष्य	-5.00	-4.56	-3.33	-2.99	-2.90
	उपलब्धि	-4.72	-1.56	-1.22	-5.44	-4.48

जीएसडीपी के लिए कुल बकाया देयता का अनुपात (प्रतिशत में)	लक्ष्य	21.59	28.34	26.41	23.81	25.43
	उपलब्धि	26.07	23.07	21.96	26.05	27.45
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान	लक्ष्य	6.97	8.16	8.11	6.53	6.24
	उपलब्धि	8.92	7.71	6.80	6.57	7.44

* 2024-25 के आंकड़ों में केवल राजस्व और पूंजीगत व्यय के गलत वर्गीकरण का प्रभाव शामिल है, इसलिए उनकी तुलना 2020-21 से 2023-24 के आंकड़ों से नहीं की जा सकती है।

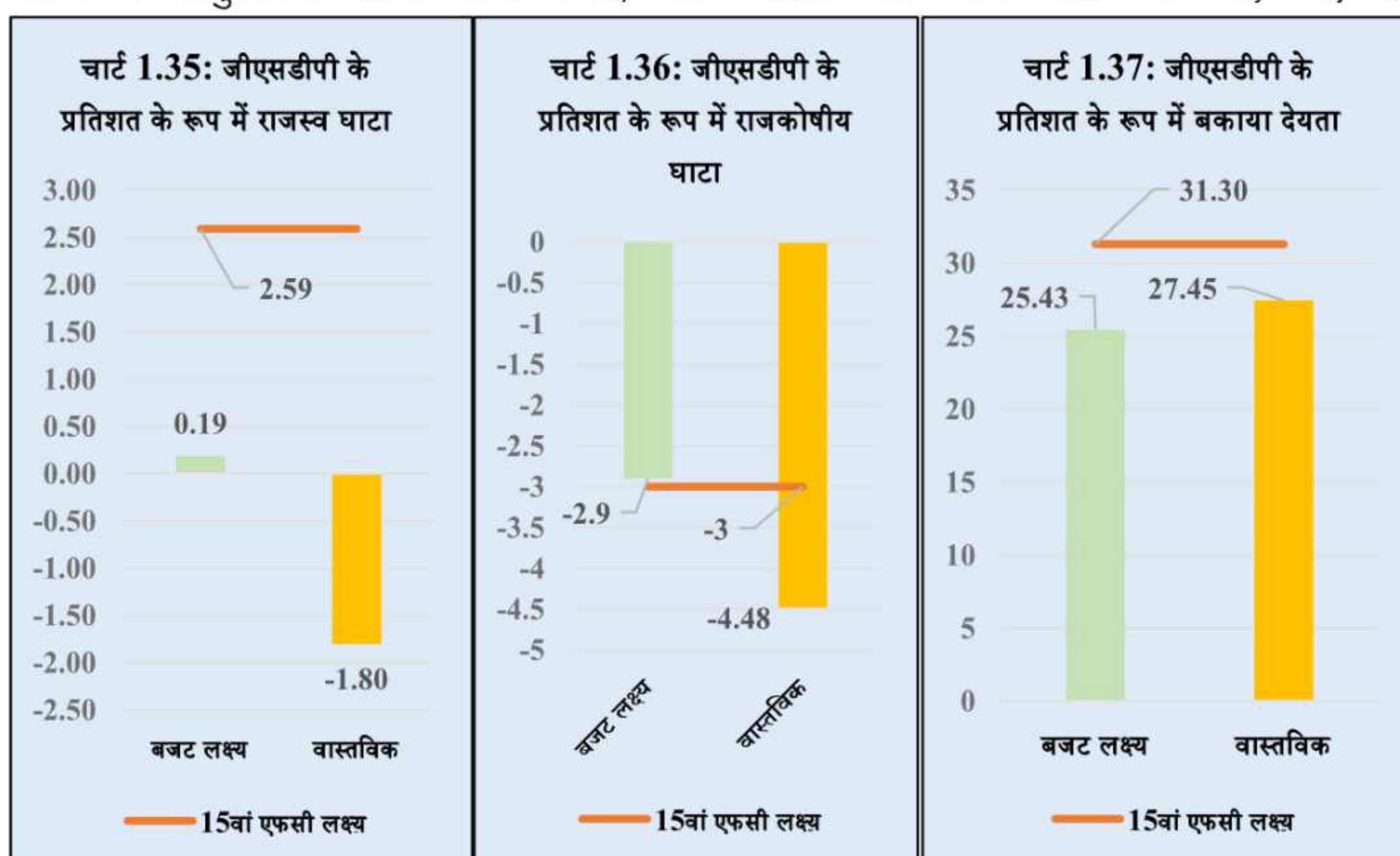
2015-16 से 2019-20 के लिए राजस्व और राजकोषीय घाटे के आंकड़े लेखा परीक्षा से पहले के आंकड़े हैं।

चार्ट 1.34: लेखापरीक्षा के बाद घाटे की प्रवृत्ति विश्लेषण



* ऋणात्मक आंकड़ा घाटे को दर्शाता है और धनात्मक आंकड़ा आधिक्य को दर्शाता है।

15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य और वर्ष 2024-25 के दौरान जीएसडीपी के संदर्भ में प्रमुख राजकोषीय आंकड़ों के संबंध में उपलब्धियों की तुलना में राज्य के बजट में अनुमानित लक्ष्य चार्ट 1.35, चार्ट 1.36 और चार्ट 1.37 में दिए गए हैं।



स्रोत: वित्त लेखे और बजट दस्तावेज

वर्ष 2024-25 के दौरान, राजस्व घाटा-जीएसडीपी और राजकोषीय घाटा-जीएसडीपी अनुपात 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित स्तरों और बजट अनुमानों में अनुमानित स्तरों के भीतर नहीं थे। बजट 2024-25 में, हालांकि राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीएसडीपी का 2.90 प्रतिशत निर्धारित किया गया था, लेकिन यह भी उल्लेख किया गया था कि भारत सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय के लिए ₹ 3,400 करोड़ की विशेष सहायता को ध्यान में रखते हुए राजकोषीय घाटा बढ़कर 3.51 प्रतिशत हो जाएगा। इस पर राज्य शासन ने उत्तर (फरवरी 2026) में कहा कि छत्तीसगढ़ शासन को भारत सरकार से 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (एसएससीआई) योजना के तहत वित्त वर्ष 2024-25 में ₹ 6,104 करोड़ और वित्त वर्ष 2023-24 में ₹ 3,365 करोड़ प्राप्त हुए हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, इस ऋण राशि को राजकोषीय घाटे की गणना से बाहर रखा जाना है, इसलिए वित्त वर्ष 2024-25 में शुद्ध लोक ऋण (₹ 16,435 करोड़) 2.89 प्रतिशत होगा। एसएससीआई और शुद्ध सार्वजनिक खाता प्राप्तियों के कारण राजकोषीय घाटे का आंकड़ा वर्तमान में बढ़ा हुआ है।

1.5.4 ऋण स्थिरता विश्लेषण

ऋण स्थिरता से तात्पर्य राज्य की वर्तमान और भविष्य में अपने ऋण दायित्व को पूरा करने की क्षमता से है। ऋण स्थिरता संकेतकों में भिन्नता का विश्लेषण तालिका 1.31 में दिया गया है।

तालिका 1.31: ऋण स्थिरता संकेतकों में रुझान

(₹ करोड़ में)

ऋण स्थिरता संकेतक	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
समग्र देनदारियां या समग्र ऋण*	37,741	44,258	52,937	66,750	78,712
समग्र देयता की वृद्धि दर (प्रतिशत)	21.82	17.27	19.61	26.09	17.92
नॉमिनल जीएसडीपी	2,25,163	2,62,802	2,82,737	3,27,107	3,44,672
नॉमिनल जीएसडीपी ग्रोथ (प्रतिशत)	1.83	16.72	7.59	15.69	5.37
समग्र देयता/जीएसडीपी (प्रतिशत)	16.76	16.84	18.72	20.41	22.84
सकल उधार का पुनर्भुगतान (प्रतिशत)	47.02	51.80	45.44	33.39	62.52
सकल उधार के प्रतिशत के रूप में उपलब्ध निवल उधार	52.98	48.20	54.56	66.61	37.48
समग्र ऋण पर ब्याज भुगतान	2,149	2,687	3,098	3,653	4,970
समग्र ऋण पर ब्याज की प्रभावी दर (प्रतिशत)	7.85	7.99	7.55	6.92	7.37
राजस्व प्राप्तियों के लिए ब्याज भुगतान (प्रतिशत)	6.28	5.00	5.19	5.61	7.78
राजस्व घाटा/आधिक्य	-9,493	5,521	3,417	684	-9,609
प्राथमिक राजस्व शेष (पीआरबी)	-7,344	8,207	6,516	4,336	-4,638
प्राथमिक शेष राशि (पीबी)	-3,295	-1,360	-3,712	-4,640	-12,999
पीबी/जीएसडीपी (प्रतिशत)	-1.46	-0.52	-1.31	-1.42	-3.77
समग्र देयता पर आरओआई और ब्याज की प्रभावी दर के बीच अंतर	-4.33	-5.27	-5.31	-5.10	-7.26
तरलता प्रबंधन	0	0	0	0	36
ऋण स्थिरीकरण	-5,141	1,831	-3,694	581	-14,437
डोमर मानदंड					
जीएसडीपी (स्थिर शब्दों में)	1,90,584	2,13,705	2,20,136	2,44,579	2,51,549
वास्तविक विकास (निरंतर शब्दों में)	2.57	12.13	3.01	11.10	2.85
सीपीआई पर आधारित मुद्रास्फीति (प्रतिशत)	6.75	3.48	2.69	2.40	2.48
प्रभावी ब्याज दर	7.85	7.99	7.55	6.92	7.37
ब्याज की वास्तविक प्रभावी दर	1.10	4.51	4.86	4.52	4.89

विकास ब्याज अंतर	1.47	7.62	-1.85	6.58	-2.04
ऋण स्थिरता संकेतक	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
समग्र देनदारियां या समग्र ऋण	89,557	91,095	93,622	1,26,105	1,51,103
समग्र देयता की वृद्धि दर (प्रतिशत)	13.78	1.72	2.77	34.70	19.82
नॉमिनल जीएसडीपी	3,52,328	4,11,613	4,58,891	5,12,107	5,67,880
नॉमिनल जीएसडीपी ग्रोथ (प्रतिशत)	2.22	16.83	11.49	11.60	10.89
समग्र देयता/जीएसडीपी (प्रतिशत)	25.42	22.13	20.40	24.62	26.61
सकल उधार का पुनर्भुगतान (प्रतिशत)	58.25	76.90	88.51	51.81	47.17
सकल उधार के प्रतिशत के रूप में उपलब्ध निवल उधार	41.75	23.10	11.49	48.19	52.83
समग्र ऋण पर ब्याज भुगतान	5,633	6,144	6,382	6,798	8,952
समग्र ऋण पर ब्याज की प्रभावी दर (प्रतिशत)	7.05	7.18	7.19	6.30	6.87
राजस्व प्राप्तियों के लिए ब्याज भुगतान (प्रतिशत)	8.92	7.71	6.80	6.57	7.44
राजस्व घाटा/आधिक्य	-6,857	4,642	8,592	-11,233	-5,099
प्राथमिक राजस्व शेष (पीआरबी)	-1,224	10,786	14,974	-4,434	3,853
प्राथमिक शेष राशि (पीबी)	-10,189	51	1,691	-20,134	-16,495
पीबी/जीएसडीपी (प्रतिशत)	-2.89	0.01	0.37	-3.93	-2.90
समग्र देयता पर आरओआई और ब्याज की प्रभावी दर के बीच अंतर	-6.55	-6.94	-4.53	-3.11	-3.63
तरलता प्रबंधन	30	38	15	99	9
ऋण स्थिरीकरण	-14,147	8,056	5,209	-14,286	-11,300
डोमर मानदंड					
जीएसडीपी (स्थिर शब्दों में)	2,51,192	2,67,033	2,85,817	3,06,712	3,29,752
वास्तविक विकास (निरंतर शब्दों में)	-0.14	6.31	7.03	7.31	7.51
सीपीआई पर आधारित मुद्रास्फीति (प्रतिशत)	7.43	4.83	4.69	3.43	5.78
प्रभावी ब्याज दर	7.05	7.18	7.19	6.30	6.87
ब्याज की वास्तविक प्रभावी दर	-0.38	2.35	2.50	2.87	1.09
विकास ब्याज अंतर	0.24	3.96	4.53	4.44	6.42

स्रोत: वित्त लेखे

* जीएसटी मुआवजे की कमी के बदले भारत सरकार से बैंक-टू-बैंक ऋणों को शामिल नहीं किया गया है, जिन्हें राज्य द्वारा अपने स्रोत से नहीं चुकाया जाना है।

पीआरबी: राजस्व प्राप्तियां-राजस्व व्यय (ब्याज भुगतान का निवल), जहां (-) पीबी का तात्पर्य प्राथमिक घाटा है और इसके विपरीत।

पीबी: कुल प्राप्तियां (उधार का निवल)-कुल व्यय (ब्याज भुगतान का निवल), जहां (-) पीबी का तात्पर्य प्राथमिक घाटा है और इसके विपरीत।

प्रभावी ब्याज दर: [ओबीबी पर आईपी को छोड़कर ब्याज भुगतान/[गैर-ब्याज-वहन देनदारियों को छोड़कर पिछले और चालू वित्त वर्ष की औसत बकाया देयता, बैंक-टू-बैंक ऋण और राज्यों को जारी ब्याज मुक्त ऋण,] तरलता प्रबंधन (आरबीआई के पास उपलब्ध वित्तीय आवास साधनों का उपयोग) (दिनों की संख्या) एसडीएफ, डब्ल्यूएमए और ओडी के खिलाफ प्राप्त राशि

क्वांटम स्प्रेड (ब्याज स्प्रेड * समग्र देयता) जहां ब्याज प्रसार = (जीएसडीपी वृद्धि दर - समग्र देयता पर ब्याज की प्रभावी दर)। क्वांटम स्प्रेड की गणना के लिए, पूंजीगत व्यय/निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत बैंक-टू-बैंक ऋण, गैर-ब्याज देय देनदारियों और राज्यों को जारी किए गए ब्याज मुक्त ऋण को छोड़कर समग्र देयता ली गई है; आरओआई : निवेश पर रिटर्न

ऋण स्थिरीकरण = क्वांटम स्प्रेड + प्राथमिक शेष

ब्याज की वास्तविक प्रभावी दर = ब्याज की प्रभावी दर-मुद्रास्फीति

विकास ब्याज अंतर = वास्तविक विकास - ब्याज की वास्तविक प्रभावी दर

वर्ष 2021-22 और 2022-23 को छोड़कर कुल ऋण/देनदारियों में वृद्धि नॉमिनल जीडीपी में वृद्धि से अधिक रही। पिछले दो वर्षों में समग्र ऋण/देनदारियों की बढ़ती वृद्धि दर से पता चलता है कि राज्य को ऋण में वृद्धि को रोकने के लिए मितव्ययिता के उपाय करने की आवश्यकता है ताकि इसे नॉमिनल जीडीपी वृद्धि के साथ बनाए रखा जा सके।

ऋण-से-जीएसडीपी अनुपात में उतार-चढ़ाव होता है, लेकिन यह 2020-21 में 25.42 प्रतिशत से 2024-25 में 26.61 प्रतिशत तक समग्र रूप से बढ़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है, जिसमें मध्यवर्ती वर्षों में गिरावट आई है। इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था के सापेक्ष ऋण का बोझ आम तौर पर बढ़ रहा है, खासकर 2022-23 के बाद। 2024-25 में 26.61 प्रतिशत का ऋण-जीएसडीपी अनुपात राज्य सरकार द्वारा एमटीएफपीएस (25.43 प्रतिशत) में निर्धारित लक्ष्य से अधिक था, लेकिन 15वें वित्त आयोग (31.30 प्रतिशत) द्वारा अनुमानित राज्य सरकार के सांकेतिक ऋण पथ के भीतर था।

2020-25 के दौरान सकल उधारी के पुनर्भुगतान में 47.27 प्रतिशत से 88.51 प्रतिशत तक उतार-चढ़ाव का रुझान देखा गया है। सकल उधारी के लिए उच्च पुनर्भुगतान राजकोषीय योजना में सरकार के लचीलेपन को कम करेगा और गुणवत्ता व्यय पर खर्च में और कटौती करने की आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा, उत्पादक उद्देश्यों और विकास को बढ़ावा देने वाले निवेश के लिए उपलब्ध निवल उधार ने न तो लगातार वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई है और न ही व्यय की गुणवत्ता में निरंतर सुधार करने के लिए पर्याप्त रूप से स्थिर रहा है।

राजस्व प्राप्तियों के लिए ब्याज भुगतान अनुपात 2023-24 में 6.57 प्रतिशत से बढ़कर 2024-25 में 7.44 प्रतिशत हो गया, जो राज्य बजट 2024-25 के साथ प्रस्तुत व्यापक आर्थिक ढांचा विवरण (6.24 प्रतिशत) में निर्धारित लक्ष्य से भी अधिक था। राजस्व प्राप्तियों के अनुपात में बढ़ता ब्याज भुगतान राज्य शासन द्वारा ऋण अदायगी से जुड़ी संभावित चिंता को दर्शाता है। इस पर विभाग ने कहा कि ब्याज भुगतान अनुपात 2023-24 में 6.57 प्रतिशत से बढ़कर 2024-25 में 7.44 प्रतिशत हो गया, जो 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित 10 प्रतिशत की स्थायी सीमा के तहत है।

पिछले पांच वर्षों में से तीन वर्षों में प्राथमिक संतुलन और ऋण-स्थिरीकरण मीट्रिक (क्वांटम स्प्रेड प्लस प्राथमिक शेष) दोनों नकारात्मक रहे, लेकिन 2023-24 की तुलना में 2024-25 के दौरान दोनों संकेतकों में सुधार हुआ, जो दर्शाता है कि राज्य को एक स्थायी राजकोषीय पथ की ओर बढ़ने के लिए पर्याप्त उपाय करने की आवश्यकता है। विकास ब्याज अंतर सभी पांच वर्षों में सकारात्मक रहा, और यह 2020-21 में 0.24 से बढ़कर 2024-25 में 6.42 हो गया। सकारात्मक जीआईडी इंगित करता है कि राज्य स्थायी राजकोषीय पथ की ओर बढ़ रहा है।

इसके अलावा, तरलता प्रबंधन के लिए आरबीआई के पास उपलब्ध वित्तीय सुविधा का उपयोग 2024-25 में 09 दिनों में सबसे कम और पिछले पांच वर्षों में 2023-24 में 99 दिनों का उच्चतम था। इससे पता चलता है कि तरलता प्रबंधन के लिए अल्पकालिक उधार पर निर्भरता पिछले वर्ष की तुलना में काफी कम हो गई है। इस सूचक में सुधार से पता चलता है कि राज्य तरलता प्रबंधन में सुधार के लिए उचित उपाय कर रहा है।

डोमर मानदंड से पता चलता है कि नॉमिनल वृद्धि मुख्य रूप से महामारी प्रभावित वर्ष (2020-21) को छोड़कर मुद्रास्फीति के बजाय वास्तविक विकास से प्रेरित थी।

1.5.5 गारंटी की स्थिति – आकस्मिक देनदारियां

गारंटी उधारकर्ता के चूक के मामले में संचित निधि पर आकस्मिक देनदारियां हैं। राज्य वैधानिक निगमों, बोर्डों, स्थानीय निकायों और सहकारी संस्थानों जैसी संस्थाओं द्वारा उठाए गए ऋणों के

लिए गारंटी प्रदान करता है। छत्तीसगढ़ राज्य शासन गारंटी नियम, 2020 (संशोधित) के अनुसार, एक वित्तीय वर्ष में दी गई कुल सरकारी गारंटी पिछले वर्ष में राज्य की अपनी राजस्व प्राप्तियों के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। पिछले दस वर्षों के लिए कुल प्राप्तियों की गारंटी और बकाया गारंटी की स्थिति का विवरण तालिका 1.32 में दिया गया है।

तालिका 1.32: राज्य शासन द्वारा दी गई गारंटी

(₹ करोड़ में)

गारंटी	गारंटी की बकाया राशि पर लागू अधिकतम सीमा	वर्ष की शुरुआत में गारंटी की बकाया राशि	वर्ष के अंत में बकाया गारंटी
2015-16	14,446	2,362	1,988
2016-17	15,603	1,988	3,983
2017-18	17,230	3,982	3,882
2018-19	18,365	3,882	10,769
2019-20	20,391	11,559	18,459
2020-21	30,052	18,469	19,836
2021-22	30,026	19,836	19,500
2022-23	40,935	19,500	22,100
2023-24	48,371	22,100	21,891
2024-25	53,934	21,890	20,763

स्रोत: वित्त लेख और वार्षिक वित्तीय विवरण

* छत्तीसगढ़ राज्य शासन गारंटी नियमावली, 2003 के अनुसार, एक वित्तीय वर्ष में दी गई कुल सरकारी गारंटी पिछले वर्ष में राज्य की अपनी राजस्व प्राप्तियों के सत्तर प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। हालांकि, छत्तीसगढ़ राज्य शासन गारंटी नियम, 2020 (संशोधित) के माध्यम से सीमा को बढ़ाकर शत-प्रतिशत (जुलाई 2020) कर दिया गया था।

31 मार्च 2025 तक बकाया गारंटी राशि ₹ 20,763.08 करोड़ थी, जो बिजली (₹ 2,591.50 करोड़); सहकारी समितियों (₹ 15,009.54 करोड़); राज्य वित्त निगम/कंपनियों (₹ 67.91 करोड़); शहरी विकास और आवास (₹ 2,781.78 करोड़); और अन्य (₹ 312.35 करोड़) से संबंधित थी।

शासन ने 2020-25 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य शासन गारंटी नियम, 2020 (संशोधित) में निर्धारित सीमाओं के भीतर गारंटी दी। वर्ष की शुरुआत और अंत में गारंटियों की बकाया राशि की तुलना स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि वित्त वर्ष 2023-24 और 2024-25 को छोड़कर, आकस्मिक देनदारियों को आगे बढ़ाया जा रहा था और राज्य सरकार द्वारा इसके जोखिम को कम करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया था, लेकिन 2023-24 और 2024-25 के दौरान राज्य सरकार ने आकस्मिक देनदारियों में अपना जोखिम कम कर दिया।

राज्य शासन ने आकस्मिक देनदारियों से जुड़े जोखिम को अवशोषित करने के लिए वित्त वर्ष 2022-23 में प्रत्याभूति मोचन निधि की स्थापना की है।

1.5.6 राजकोषीय स्थिरता के मार्ग

राजस्व बढ़ाकर और व्यय को युक्तिसंगत बनाकर घाटे में सुधार किया जा सकता है। इसमें कर अनुपालन को मजबूत करना, कर आधार का विस्तार करना, उपयोगकर्ता शुल्क को संशोधित करना और निष्क्रिय सरकारी परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करना शामिल है। खर्च के पक्ष में, सब्सिडी का बेहतर लक्ष्यीकरण, वेतन और पेंशन वृद्धि को नियंत्रित करना और व्यय का उचित वर्गीकरण सुनिश्चित करना प्रमुख कारक हैं। उत्पादक पूंजी निवेश को प्राथमिकता देने और

पारदर्शी और कुशल उधार के माध्यम से ऋण प्रबंधन में सुधार करने से राजकोषीय दबाव को और कम किया जा सकता है। ये उपाय सामूहिक रूप से राजकोषीय स्थान बनाते हैं और राजस्व, राजकोषीय और प्राथमिक घाटे को स्थायी तरीके से कम करने में मदद करते हैं। इन पर बाद के पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

1.5.6.1 राज्य के राजस्व में सुधार

अप्रयुक्त राजस्व क्षमता, यदि प्रभावी ढंग से उपयोग की जाती है, तो राजकोषीय स्थान में काफी वृद्धि हो सकती है और ऋण पर निर्भरता कम हो सकती है। राज्य जीएसटी, स्टॉप ड्यूटी और उत्पाद शुल्क जैसे प्रमुख कर धाराओं के मूल्यांकन, कम मूल्यांकन और सीमित प्रवर्तन तंत्र में अक्षमता से राजस्व वृद्धि में कमी आएगी। कम उपयोगकर्ता शुल्क, खराब लागत वसूली और सार्वजनिक परिसंपत्तियों और निवेशों पर उप-इष्टतम रिटर्न के साथ कम वसूली वाले करेत्तर राजस्व भी राजकोषीय क्षेत्र को बाधित करते हैं। लंबित बकायों की समय पर वसूली (कर और करेत्तर) राजकोषीय क्षेत्र को बढ़ाने की दिशा में एक और कदम है।

क. राजस्व का बकाया

31 मार्च 2025 तक, राजस्व के प्रमुख शीर्षों के संबंध में राजस्व का बकाया ₹ 5,991.74 करोड़ था, जिसमें से ₹ 2,458.32 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे, जैसा कि तालिका 1.33 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.33: राजस्व का बकाया

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	राजस्व का प्रमुख	31 मार्च 2025 तक बकाया राशि	31 मार्च 2025 तक पांच वर्षों से अधिक के लिए बकाया राशि
1	बिजली पर कर और शुल्क	5,929.71	2,396.60
2	वन और वन्यजीव	5.60	5.32
3	राज्य आबकारी	56.43	56.40
कुल		5,991.74	2,458.32

स्रोत: विभागीय जानकारी

ख. मूल्यांकन में बकाया

वर्ष की शुरुआत में लंबित मामलों की संख्या, मूल्यांकन के लिए देय मामलों, वर्ष के दौरान निपटाए गए मामलों और वर्ष के अंत में अंतिम रूप देने के लिए लंबित मामलों की संख्या, जैसा कि वन और वन्यजीव, ऊर्जा विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तालिका 1.34 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.34: मूल्यांकन की बकाया राशि

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	राजस्व प्रमुख	प्रारंभिक संतुलन	2024-25 के दौरान मूल्यांकन के लिए नए मामले निर्धारित हैं	कुल मूल्यांकन देय	2024-25 के दौरान निपटाए गए मामले	वर्ष के अंत में शेष राशि	निपटान का प्रतिशत
1	वन और वन्यजीव	4.91	0	4.91	0	4.91	0
2	बिजली पर कर और शुल्क	4,615.23	6	79	0	79	0

स्रोत: विभागीय जानकारी

उत्पाद शुल्क विभाग ने कर निर्धारण के बकायों के शून्य मामले प्रस्तुत किए हैं।

ग. विभाग द्वारा पता लगाए गए कर अपवंचन, रिफंड के मामलों आदि का विवरण

कर चोरी के जिन मामलों का पता चला है, जिन मामलों का अंतिम निपटारा हुआ है और अतिरिक्त कर की जो मांगें उठाई गई हैं, वे राज्य सरकार के राजस्व संग्रह प्रयासों के महत्वपूर्ण संकेतक हैं।

वर्ष 2024-25 के दौरान वन एवं वन्यजीव विभाग द्वारा पता लगाए गए कर चोरी के मामलों का विवरण, संबंधित विभागों द्वारा रिपोर्ट किए गए अंतिम रूप दिए गए मामले और अतिरिक्त कर की मांग को **तालिका 1.35** में दर्शाया गया है। उत्पाद शुल्क और ऊर्जा विभाग (बिजली पर कर और शुल्क) ने कर अपवंचन का कोई मामला प्रस्तुत नहीं किया है।

तालिका 1.35: कर चोरी का पता चला

क्र. सं.	राजस्व प्रमुख	31 मार्च 2024 तक लंबित मामले	2024-25 के दौरान पाए गए मामले	कुल	उन मामलों की संख्या जिनमें मूल्यांकन/जांच पूरी हो गई है और जुर्माने आदि के साथ अतिरिक्त मांग की गई है		31 मार्च 2025 तक अंतिम रूप देने के लिए लंबित मामलों की संख्या
					मामलों की संख्या	मांग की राशि (करोड़ में)	
1	वन और वन्यजीव	15	0	15	0	0	15
	कुल	15	0	15	0	0	15

स्रोत: विभागीय जानकारी

अन्य विभागों, जैसे वाणिज्यिक कर (पंजीकरण), खनिज संसाधन आदि ने सितंबर 2025 में लेखापरीक्षा द्वारा अनुरोध किए जाने के बावजूद कर/राजस्व की चोरी से संबंधित विवरण प्रस्तुत नहीं किए।

रिफंड मामलों के निपटान में तत्परता विभागों के प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। वर्ष की शुरुआत में लंबित रिफंड मामलों की संख्या, वर्ष के दौरान प्राप्त दावों, वर्ष के दौरान अनुमत रिफंड और वर्ष के अंत में लंबित मामले, जैसा कि विभागों द्वारा सूचित किया गया है, **तालिका 1.36** में दिए गए हैं:

तालिका 1.36: धनवापसी के मामले

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	वन और वन्यजीव		राज्य आबकारी	
		मामलों की संख्या	कुल धनराशि	मामलों की संख्या	कुल धनराशि
1	वर्ष की शुरुआत में बकाया दावे (1 अप्रैल 2024)	15	1.00	26	0.85
2	वर्ष (2024-25) के दौरान प्राप्त दावे	0	0	62	5.98
3	वर्ष (2024-25) के दौरान किए गए रिफंड	0	0	70	5.06
4	वर्ष (2024-25) के दौरान रिफंड अस्वीकार कर दिया गया	0	0	0	0
5	वर्ष के अंत में बकाया शेष राशि (31 मार्च 2025)	15	1.00	18	1.77

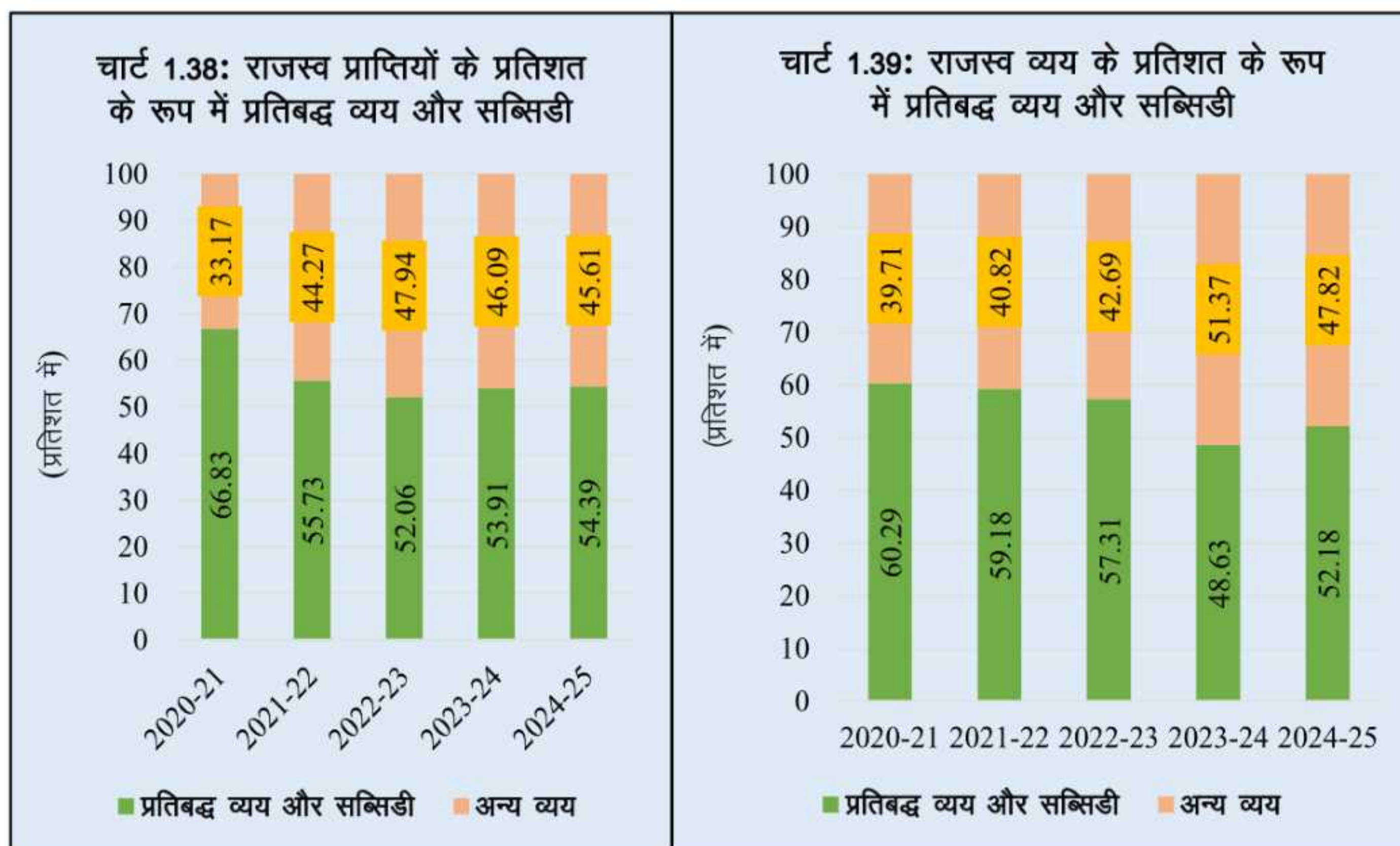
स्रोत: विभागीय जानकारी

ऊर्जा विभाग (बिजली पर कर और शुल्क) ने रिफंड के लंबित होने के शून्य मामलों की सूचना दी, जबकि वाणिज्यिक कर (पंजीकरण), खनिज संसाधन विभागों ने मार्च 2025 के अंत में रिफंड के लंबित मामलों का विवरण प्रस्तुत नहीं किया।

1.5.6.2 व्यय पक्ष पर मुद्दे

क. प्रतिबद्ध व्यय और सब्सिडी से राजकोषीय तनाव

चार्ट 1.38 और चार्ट 1.39 क्रमशः वित्त वर्ष 2020-25 के दौरान राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रतिबद्ध व्यय और सब्सिडी को दर्शाता है।



वर्ष 2024-25 में, राज्य का ₹ 48,882.96 करोड़ का प्रतिबद्ध व्यय जिसमें वेतन और मजदूरी (₹ 31,419.87 करोड़), पेंशन (₹ 8,510.74 करोड़), और ब्याज भुगतान (₹ 8,952.35 करोड़) शामिल हैं, जो राजस्व प्राप्तियों का लगभग 40.64 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त, सब्सिडी की राशि ₹ 16,539.20 करोड़ थी, जिससे कुल कठोर व्यय ₹ 65,422.16 करोड़ हो गया, जो राज्य की राजस्व प्राप्तियों का लगभग 54.39 प्रतिशत था। इस तरह के व्यय की उच्च और अनम्य प्रकृति राजकोषीय स्थान को महत्वपूर्ण रूप से कम कर देती है, जिससे पूंजी निवेश और विकासात्मक प्राथमिकताओं के लिए संसाधनों को आवंटित करने की राज्य की क्षमता सीमित हो जाती है। यह संरचनात्मक असंतुलन लगातार राजस्व और प्राथमिक घाटे के जोखिम को बढ़ाता है, दीर्घकालिक राजकोषीय स्थिरता को बाधित करता है, और उभरती सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का जवाब देने की सरकार की क्षमता को कम करता है।

राजकोषीय लचीलापन बढ़ाने और एक स्थायी राजकोषीय मार्ग सुनिश्चित करने के लिए सब्सिडी के युक्तिकरण, बेहतर लक्ष्यीकरण और वेतन और पेंशन प्रतिबद्धताओं के विवेकपूर्ण प्रबंधन के माध्यम से व्यय सुधार की तत्काल आवश्यकता है।

ख. अधूरी परियोजनाओं में पूंजी अवरुद्ध

अधूरी पूंजीगत परियोजनाओं में अवरुद्ध पूंजी का आकलन भी पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता का संकेत देगा। अधूरी परियोजनाओं/कार्यों में निधियों को अवरुद्ध करने से व्यय की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और राज्य को लंबे समय तक परियोजनाओं के इच्छित लाभों से वंचित किया जाता है। इसके अलावा, संबंधित वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उधार ली गई निधियों से ऋण और ब्याज देनदारियों की अदायगी के संदर्भ में अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। अधूरी परियोजनाओं का विवरण (वर्ष 2024-25 के लिए वित्त खातों के परिशिष्ट-IX

के लिए राज्य शासन द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर) तालिका 1.37 में दिखाया गया है।

तालिका 1.37: अधूरी परियोजनाओं में अवरुद्ध पूंजी

(₹ करोड़ में)

अधूरी परियोजनाओं की आयु प्रोफाइल				विभाग-वार अपूर्ण परियोजनाओं की प्रोफाइल के अनुसार		
31 मार्च 2025				31 मार्च 2025		
साल	अधूरी परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	किया गया खर्च	विभाग	अधूरी परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत (खर्च किया गया)
1995 से पहले	2	55.35	100.96	सिंचाई	78	2,925.34 (3,160.60)
1995-2000	0	0.00	0.00	इमारतें	10	1,243.48 (1,086.50)
2001-2005	2	214.16	149.21	सड़कें	61	3,058.26 (1,488.53)
2006-2010	17	611.47	1,051.31	पुलों	14	317.60 (156.15)
2011-2015	34	1,516.66	1,679.49	अन्य	0	0(0)
2016-2020	43	3,199.76	1,835.42			
2021-2025	65	1,947.28	1,075.39			
कुल	163	7,544.68	5,891.78	कुल	163	7,544.68 (5,891.78)

स्रोत: वित्त लेखे

इन 163 चालू परियोजनाओं पर ₹ 7,544.68 करोड़ की अनुमानित लागत में से वर्ष 2024-25 तक ₹ 5,891.78 करोड़ खर्च किए गए थे। इसलिए, इन 163 परियोजनाओं के पूरा न होने के कारण ₹ 5,891.78 करोड़ का पूंजीगत व्यय अवरुद्ध रहा।

वर्ष 2024-25 (राज्य शासन द्वारा प्रदान किए गए) के वित्त खातों के परिशिष्ट-IX (अपूर्ण पूंजीगत कार्यों की सरकार की प्रतिबद्धता सूची) में अधूरी जानकारी के कारण, लेखापरीक्षा 31 मार्च 2025 तक वास्तविक प्रगतिशील व्यय, कार्य की भौतिक प्रगति, लंबित भुगतान (भविष्य की देयता) की स्थिति और संशोधित लागत, यदि कोई हो, का पता नहीं लगा सकी।

ग. राजकोषीय क्षेत्र पर अप्रदत्त देनदारियां

लंबित या स्थगित देनदारियों का समय पर निपटान न होने पर भविष्य के विकास और अवसंरचना संबंधी खर्चों के लिए उपलब्ध वित्तीय संसाधन कम हो जाएंगे। इससे न केवल पारदर्शिता और विश्वसनीयता की कमी होगी, बल्कि सतत रूप से संसाधन जुटाने की राज्य की क्षमता भी प्रभावित होगी, जिससे समग्र वित्तीय स्थिति और दीर्घकालिक स्थिरता पर असर पड़ेगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार पर वर्षों से कई ऐसे बकाया दायित्व जमा हो गए हैं जिनका भुगतान नहीं किया गया है, और जिनका राजकोषीय स्थिरता पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- खनिज विकास निधि, केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि, अवसंरचना विकास उपकरण और पर्यावरण उपकरण जैसे वैधानिक निधियों/उपकरणों का हस्तांतरण न होना, जिनकी राशि ₹ 1,217.51 करोड़ है।
- बकाया ब्याज देनदारियां कुल मिलाकर ₹ 58.83 करोड़ हैं।

- ऑफ-बजट उधार और अन्य देनदारियां जो ऋण भंडार में शामिल नहीं हैं, जिनकी राशि ₹ 4,776.57 करोड़ है।
- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस)/छत्तीसगढ़ राज्य पेंशन कोष में राज्य शासन के अंशदान में ₹ 138.86 करोड़ की कमी/गैर-हस्तांतरण।
- लंबित रिफंड मामलों की राशि ₹ 2.77 करोड़ है।

इन बकाया देनदारियों का संचयी मूल्य ₹ 6,194.54 करोड़ था, जो वर्ष 2024-25 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 1.09 प्रतिशत और राजकोषीय घाटे का 24.34 प्रतिशत है।

लेखापरीक्षा में सिफारिश की गई है कि राज्य शासन सभी अनिर्वहन देनदारियों का पारदर्शी रूप से खुलासा करे और उनका समाधान करे और भविष्य के राजकोषीय दबाव से बचने के लिए इन दायित्वों के समय पर निर्वहन के लिए प्रावधान करे।

1.6 निष्कर्ष

पिछले पांच वर्षों में से तीन में एक से अधिक की सकारात्मक स्वयं की राजस्व उछाल यह दर्शाती है कि राज्य अपने जीएसडीपी में वृद्धि की तुलना में तेजी से अपना राजस्व जुटाने में सक्षम था।

राजस्व व्यय के अनुपात के रूप में सब्सिडी वर्ष 2020-21 में 10.44 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 13.19 प्रतिशत हो गई, जिससे विकासात्मक व्यय के लिए उपलब्ध संसाधनों पर दबाव पड़ा। पिछले तीन वर्षों में सब्सिडी व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति भी राजकोषीय स्थिरता के लिए संभावित जोखिम का संकेत देती है।

राजस्व प्राप्तियों के अनुपात के रूप में ब्याज भुगतान वर्ष 2023-24 में 6.57 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 7.44 प्रतिशत हो गया, जो राज्य के वित्त पर बढ़ते ब्याज बोझ का संकेत देता है।

राज्य शासन ने 31 मार्च 2025 तक वैधानिक निगमों, सरकारी कंपनियों और सहकारी समितियों में अपने कुल निवेश (₹ 7,717.68 करोड़) पर केवल 0.02 प्रतिशत का प्रतिफल अर्जित किया।

31 मार्च 2025 तक लोक ऋण की परिपक्वता प्रोफाइल के विश्लेषण से पता चलता है कि 67.07 प्रतिशत ऋण आगामी सात वर्षों के भीतर देय है। अल्प से मध्यम अवधि में परिपक्व होने वाले ऋण की प्रबलता से ऋण बंधिंग की उपस्थिति का पता चलता है, जिसमें राज्य के वित्त पर पुनर्वित्त और तरलता दबाव के संभावित प्रभाव हैं।

राज्य की संचित अप्रदत्त देनदारियां ₹ 6,194.54 करोड़ थीं, जो वर्ष 2024-25 के लिए जीएसडीपी के 1.09 प्रतिशत और राजकोषीय घाटे के 24.34 प्रतिशत के बराबर है।

जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा (लेखापरीक्षा के बाद) वर्ष 2023-24 में 5.44 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2024-25 में 4.48 प्रतिशत हो गया; हालांकि, यह 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सीमाओं के साथ-साथ बजट अनुमानों में अनुमानित सीमाओं से अधिक रहा।

वर्ष 2024-25 में जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में मापी गई बकाया देनदारियां (लेखापरीक्षा के बाद) 27.45 प्रतिशत थी जो 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर रहीं, लेकिन यह बजट अनुमानों में अनुमानित स्तर से अधिक हो गई।

वर्ष 2024-25 में, राज्य का ₹ 48,882.96 करोड़ का प्रतिबद्ध व्यय राजस्व प्राप्तियों का लगभग 40.64 प्रतिशत था। इसके अतिरिक्त, सब्सिडी की राशि ₹ 16,539.20 करोड़ थी, जिससे कुल कठोर व्यय ₹ 65,422.16 करोड़ हो गया, जो राज्य की राजस्व प्राप्तियों का लगभग 54.39 प्रतिशत

था। इस तरह के व्यय की उच्च और अनम्य प्रकृति राजकोषीय स्थान को महत्वपूर्ण रूप से कम कर देती है, जिससे पूंजी निवेश और विकासात्मक प्राथमिकताओं के लिए संसाधनों को आवंटित करने की राज्य की क्षमता सीमित हो जाती है।

1.7 अच्छी प्रथाएं

- राज्य की जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियां वर्ष 2020–21 में 17.93 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2024–25 में 21.18 प्रतिशत हो गई, जो राज्य के राजकोषीय लचीलेपन को उजागर करती हैं।
- राज्य के जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय वर्ष 2020–21 में 2.56 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2024–25 में 3.53 प्रतिशत हो गया, जो दर्शाता है कि राज्य दीर्घकालिक परिसंपत्ति निर्माण को प्राथमिकता दे रहा है।

1.8 अनुशंसाएँ

शासन कर सकती है

- कर अनुपालन में सुधार करके, संपत्ति मूल्यांकन प्रणालियों को अद्यतन करके, और विशेष रूप से लाभांश, खनन और ब्याज प्राप्तियों के लिए एक स्पष्ट करेत्तर राजस्व नीति लागू करके और समय-समय पर उपयोगकर्ता शुल्क और फीस को संशोधित करके राजस्व जुटाने को मजबूत करना।
- राजस्व व्यय और प्रतिबद्ध देनदारियों को युक्तिसंगत बनाना, और विकासात्मक व्यय के लिए राजकोषीय गुंजाइश बनाने के लिए ब्याज भुगतान को नियंत्रित करना।
- बुनियादी ढांचा क्षेत्रों के लिए आवंटन बढ़ाकर, व्यय के गलत वर्गीकरण से बचकर और पूंजीगत परिव्यय को आर्थिक विकास के साथ तालमेल सुनिश्चित करके गुणवत्ता बढ़ाना और पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता देना।
- लाभ कमाने वाले सार्वजनिक उपक्रमों के लिए लाभांश नीति लागू करके, गैर-निष्पादित संस्थाओं से विनिवेश करके और वित्तीय अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ऋणों और अग्रिमों की निगरानी बढ़ाकर लोक निवेश पर प्रतिफल में सुधार करना।
- इष्टतम प्रतिफल की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए उन संस्थाओं के लिए अपने निवेश और ऋण और अग्रिमों की समीक्षा करना जिनसे लगातार कम प्रतिफल मिलता है।
- ऑफ-बजट उधार के प्रकटीकरण के साथ एफआरबीएम लक्ष्यों का सख्ती से पालन करके राजकोषीय पारदर्शिता सुनिश्चित करना।